e/; izns'k 'kklu x`g ¼iqfyl½ foHkkx

ftyk iqfyl 'kgMksy

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005

vUrxZr

lwpuk & iqfLrdk

dk;ky; ifyl v/kh{kd ftyk 'kgMky e0i0

1- ifLrdk dh i"BHkfe

(lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट दिनांक 21 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित होकर दिनांक 13.8.2005 से अन्य प्रांतों सहित मध्य प्रदेश राज्य में भी लागू हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य अधिनियम में प्रस्तावित उपबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस विभाग की सभी इकाईयों एवं शाखाओं द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराना है एवं किये जाने वाले समस्त कार्यो, नियमों का अभिलेख इस प्रकार से संधारण करना है जिससे सूचना के अधिकार की अवधारणा को साकार किया जा सके अर्थात् जब कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई जानकारी नियमानुसार मांगे तो उसे निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जा सके।

2. ifLrdk dk mn~ns';

इस पुस्तिका के माध्यम से यह प्रसारित, प्रचारित किया जाना है कि सूचना का अधिकार एवं इस अधिनिमय के अंतर्गत मांगी जाने वाली सूचना जन साधारण की जानकारी के लिये नियमानुसार प्रदाय करने हेतु अपनी अपनी इकाई एवं शाखाओं में संकलित की जावे। समाज के सभी वर्गो के आम नागरिक, संस्थायें अशासकीय संस्थायें इत्यादि को पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में पूर्ण जानकारी पारदर्शिता सहित दी जा सके।

3. ;g ifLrdk fdu O;fDr;k@lLFkkuk@lxBuk vkfn d fy; mi;kxh g %&

यह पुस्तिका पुलिस विभाग की सभी इकाईयों एवं शाखाओं तथा जन साधारण के लिये बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें पुलिस विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश है और समय–समय पर इसमें आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी जोड़ी जावेगी।

4. ifLrdk dk i:i

पुस्तिका मूल रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना के अधिकार की धारा 3,4(1–बी), (1–17), धारा–5(2)ए धारा–24, धारा–27, धारा–28 के प्रावधानों के अनुरूप है एवं अधिनियम में बताई गई अन्य धाराओं की जानकारी इसमें उपलब्ध कराई गई है।

5. ifjHkk"kk; %&

(पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषायें)

सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 में परिभाषित शब्द ही इस पुस्तिका में उपयोग किया गया है।

6. ifLrdk e lek;kftr fo"k;k d lc/k e foLr`r tkudkjh ,o tkudkfj;k d fy;s lEid 0;fDr %&

l-	fooj.k	fjekd
1	संगठन की विशिष्टियॉ,कृत्य एवं कर्तव्य	
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	
3	कर्त्तव्यों के निर्वाहन हेतु नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	
4	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण	
5	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण	
6	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	
7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियॉ	
8	निर्णय लेने की प्रक्रिया	
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	
10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	
11	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	
12	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	
13	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	
14	कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/ नियम	
15	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें	
16	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
17	अन्य उपयोगी जानकारियॉ	

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जानकारी के लिये विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

7. ifLrdk e: miyC/k tkudkjh d: vfrfjDr lpuk ikIr dju: dh fof/k ,o 'kYd

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में लोक सूचना / सहायक सूचना अधिकारी को निर्धारित शुल्क (10 रूपये नकद के रूप में या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में देय होगा, जो लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित किया जाये) जमा करने पर सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के दस्तावेज / इलेक्ट्रानिक माध्यम की प्रति प्रदाय की जावेगी : –

अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जायेगी :–

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए–4 या ए–3 आकार) कागज के लिए दो रूपये :

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत :

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत : और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नही, और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पॉच रूपये की फीस।

धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :–

(क) डिस्केट या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रूपये : और

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपये।

vkosnu i= dk izk:i

प्रति,

सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
पुलिस विभाग
थाना/अनुभागीय अधिकारी पुलिस/
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला – – – – –– – –

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आपकी इकाई/विभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित जानकारी की . . . . . कारण से आवश्यकता है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क रू.10/– नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जमा करा दिया है/ रसीद संलग्न है (जिस माध्यम से शुल्क जमा किया जा रहा है, उस पर निशान लगावें)।

2/ मैं वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन भी करना चाहता हूँ जिसके लिये निर्धारित शुल्क देने को तैयार हूँ (पहले घंटे के लिए कोई फीस नही, और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पॉच रूपये की फीस जमा करावें)।

(क) डिस्केट या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रूपये : और

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपये।

3/ मुझे . . . . जानकारी उपलब्ध कराई जावें जिसके लिये मैंने उपरोक्तानुसार शुल्क का भुगतान कर दिया है। कृपया मुझे जानकारी शीघ्र प्रदान की जावे।

(जो लागू नही है उसे काट देवें)

तारीख . . . . . .

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम आवेदक . . . . .
पूर्ण पता . . . . . .
दूरभाष नं. इत्यादि

vkond dk tkudkjh miyC/k djkus dh pj.kc) le;&lhek

1.	आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक से संबंधित शाखा प्रभारी के पास भेजने का समय	5 दिन
2.	शाखा प्रभारी से जानकारी मंगवाने की समय–सीमा	7 दिन
3.	जानकारी का परीक्षण	5 दिन
4.	भेजी जाने वाली जानकारी का लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुमोदन	3 दिन
5.	आवेदक को जानकारी भेजने की समय–सीमा	28 दिन

नोट – अधिनियम में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जानकारी उपलब्ध कराने की अधिकतम समय–सीमा 30 दिवस निर्धारित की गई है। अतः 25 दिवस के भीतर जानकारी भेजा जाना उचित है।

v/;k;&2 (eU;vy&1)

lxBu dh fof'k"V;k] dR; ,o drO;

1- ykd ikf/kdj.k (ifyl foHkkx) d mnn'; %

1. कानून व्यवस्था बनाये रखना।
2. व्यक्तियों एवं संपत्तियों की सुरक्षा।
3. केन्द्र एवं राज्य के संस्थानों की सुरक्षा।
4. लोक शांति बनाये रखना।
5. विभिन्न प्रकार के अनुज्ञा पत्र प्रदाय करने की अनुशंसा करना।
6. अन्य विभागों से आवश्यकता अनुसार समन्वय करना।
7. आपदाओं का प्रबंधन करना।
8. आपराधिक अन्वेषण करना।
9. आसूचना संग्रहण करना।
10. विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा करना।

2- ykd ikf/kdj.k (ifyl foHkkx) dk fe'ku@ fotu %

राज्य के समग्र विकास, शांति एवं सामाजिक ढांचा बनाये रखते हुये प्रत्येक नागरिक की जान–माल की सुरक्षा। विभाग के विजन इस प्रकार है :–

- मानव अधिकारों का संरक्षण।
- कानून का परिपालन।
- जरूरत मंद को सहायता के लिये हमेशा तत्पर।
- जनता का सहयोग प्राप्त करने को आतुर।
- समाज के कमजोर वर्गो, महिलाओं एवं अन्य पीड़ित लोगों की हमेशा सहायता को तत्पर।
- राज्य में शांति एवं सांप्रदायिक सद्‌भवना सुनिश्चित करने के लिये सदैव सर्तक।

3. ykd ikf/kdj.k (ifyl foHkkx) dk lf{kIr bfrgkl vkj bldk xBu dk ilx :

वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य, राज्य पुर्नगठन अधिनियम के उपबंधों के परिणाम स्वरूप 1 नवम्बर, 1956 को अस्तित्व में आया। इस नये राज्य में पुराने मध्य प्रदेश राज्य के 17 जिलें जिस क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से महाकौशल क्षेत्र कहा जाता है, संपूर्ण मध्य भारत राज्य जिसका निमार्ण 22 रियासतों के विलयन द्वारा हुआ था तथा जो संविधान के अधीन बी–वर्ग का राज्य था और fo/; in'k jkT; ftldk fuekZ.k 21 fj;klrk d lfoy;u }kjk gvk Fkk rFkk tk lh&oxZ dk jkT; Fkk और भोपाल राज्य जो सी–वर्ग का राज्य था शामिल है। राजस्थान के कोटा जिलें का कुछ क्षेत्र भी जो सिरोंज उप संभाग कहलाता है इस राज्य में सम्मिलित किया गया था।

पुराना मध्य प्रदेश राज्य (Central Provinces) 2 नवम्बर,1861 को तत्कालीन शासन के रेजोलूशन (Resolution) द्वारा नागपुर एवं उसके अधीन राज्य, सागर तथा नर्मदा अंचल को मिलाकर गठित किया गया था जिसकी राजधानी नागपुर थी। 30 अप्रेल,1862 को सम्बलपुर एवं उसके अधीन प्रदेशों का विलय भी इस प्रदेश में हुआ तत्समय यह राज्य 4 जिलों छत्तीसगढ, भण्डारा, चांदा एवं देवगढ़, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा में विभाजित था। इसी समय सन् 1860–61 में भारतीय दण्ड विधान

व दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू की गई तथा पुलिस अधिनियम –1861 भी तभी लागू हुआ जो आज तक प्रभावशील है।

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में पुराने मध्य प्रदेश का लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र ही स्थित है तथा 75 प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश पुलिस के चिन्ह (Crest) में 1854 का उल्लेख पाया जाने से जिसके आधार पर मध्य प्रदेश के 150 वर्ष पूर्ण होना कहा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य का पुर्नगठन 1 नवम्बर, 1956 को हुआ इसलिये मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना वर्ष भी 1956 से ही प्रचलित है तथा वर्ष 1955 में जिला शहडोल की स्थापना हुई, तथा शहडोल जिले का विभाजन 6 जुलाई 1998 को जिला उमरिया तथा 15 अगस्त 2003 को जिला अनूपपुर के रूप में हुआ है।

History of MP Police

Reorganization of states led to the formation of the present state of M. P. on 1.11.1956 comprising of the erstwhile central province of Bhopal, Madhya Bharat & Vindhya Pradesh. On the day of its birth the state had a complement of 252 Gazetted Officers and 39785 Non Gazetted Officers and men covering 739 Police Station. Six posts of DIG were created in the new state. The post of DIG of Police SAF & DIG of Police Admin.were added later in 1958 & 1959 respectively.23 new police stations were established mainly in the dacoit infested areas as part of a larger scheme to strike a decisive blow to organize and arrested dacoit gangs. Strength of the Distt. Executive Force & the SAF were augmented, keeping in view the law and order situation with the State.

To keep pace with the needs of a fast developing state, the Indian Police Service and State Service Cadre were suitably expanded. Existing Police Regulations were revised with a view to ensure uniformity of police working throughout the state.The administration of the Police throughout the General Police District invested in the IG of Police and his assistants at the PHQ. During these years, the M.P.Police force saw 12 Inspectors-General of Police and the up gradation of IG's post to Director General of Police .The first IG of the new state was Shri B.G.Ghate, who was succeeded by Shri K. F. Rustamji in 1958.

Shri Rustamji had the distinction of leading the force for 7 years before he was chosen to create a new Central Force, the Border Security Force. It was during Shri Rustamji's time that the Police Force achieved many milestones, including starting of Forensic Science Laboratory in 1964.

History of AJK (Anusuchit Janjati Kalyan)

Madhya Pradesh has a sizeable population of Scheduled Tribes and scheduled castes, who have remained cut off from the mainstream for centuries. Most of them lived in abject poverty under sub-human conditions, and were exploited by the society in general.

With the emergence of social-justice as a major concept in our democratic polity, old laws relating to the underprivileged classes were reviewed and more empowering social enactments were introduced by the parliament. At the same time, the role of police began to be conceived, not as mere enforcement machinery, but as the agents of social change.

Consequently, it was enjoined on police to play a more decisive role in the implementation of social laws. The Government of Madhya Pradesh, recognizing this change and realizing that normal police structure will not be sufficient to play the desired role, created specialized police

set-up for this. Consequently, a separate Anusuchit Jati Janjati Kalyan Wing(AJK) was created in 1973, and special AJK police stations look into the complains of SC/ST persons and investigate cases registered on such complaints. The network of AJK police stations works under a separate ADG level officer and form a very important constituent of M.P.Police today.

Structural Changes and Modernization

With the growing use of scientific technology, professionalism and multifarious urban based problems, the police had to make corresponding organizational improvements, in training and make technological advancements in tune with the times.

The first step in this direction was enacting of Special Act armed force in 1968.This act has special provisions for better disciplinary control of armed personnel. To impart specialized training in field craft, to be able to deal with dacoits and Naxalites, the state police up graded its training centers and established Armed Police Training College at Indore in 1982, to cater to the needs of SAF personnel. Similarly the training college, established in 1906 at Sagar, was up graded as Police Academy later on, with a new perspective and academic flair to train the directly recruited Sub-Inspectors and Deputy Superintendents of Police.

Housing of police-men has been a problem with all police forces in the country and the M.P. police also faced this problem. Consequently, in 1981, a separate Police Housing Corporation was established by the state government for the construction of residential houses of policemen in far off areas where the PWD would not normally work. The corporation has constructed nearly 10,000 residential houses of policemen so far.

The western part of the state witnessed increased activities of smugglers in narcotics substances, Mandsaur being the largest opium producing district in the country. After the passing of Special Act to deal with narcotics substances, the state police created a separate Narcotics wing headed by an officer of ADG rank to deal with this problem in 1996.

Upkeep of crime records also needed to be computerized with the introduction of computer technology. As part of the countrywide programme of computerization of crime records, the state police established its computer wing in 1977 which was later converted into State Crime Record Bureau on the lines of NCRB.Subsequently all the districts were supplied with computers to bring their crime records on the computer system. Looking to the large size of the state, the state police set-up was re-organized in 1999 and officers of the rank of IG were posted to all ranges for better control and supervision of the work.

Numerous improvements were made in the communication, weaponry, riot control methods and traffic control, which need no elaboration. The state police is officer oriented in working and is rated very high in its performance amongst all the state police forces in the country today. Several of its armed battalions are deployed ex-state, since sixties permanently and are doing excellent work for the maintenance of law and order and counter-insurgency.

The state police is looking forward to enter the new millennium with a high head and history that would make any one feel proud.

4- ykd ikf/kdj.k (iqfyl foHkkx) dk drZO; %

1. सार्वजनिक व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखना।
2. आंतरिक सुरक्षा कायम रखना।
3. रेल्वे और ग्राम पुलिस की व्यवस्था करना।
4. पुलिस प्रशिक्षण शालाओं का संचालन।
5. शस्त्रागार एवं शस्त्रों का अनुरक्षण।
6. अपराधों की रोकथाम करना।
7. अपराधों का अन्वेषण करना।
8. निगरानी एवं रक्षा करना।
9. शांति भंग की रोकथाम करना।
10. यातायात का नियंत्रण करना।
11. शासन के अन्य विभागों को सतत् सहायता करना।
12. सम्मनों एवं वारंटों की तामीली करना।
13. लोक संपत्ति की सुरक्षा करना।
14. सामाजिक बुराईयों, अवैध शराब, जुऑ–सट्टा इत्यादि की रोकथाम करना।
15. आसूचना संकलन करना।
16. सैनिक शिक्षा नगर सेना, आर्थिक अपराधों की रोकथाम, राजनैतिक अपराधों की रोकथाम करना।
17. भारत की प्रतिरक्षा या सुरक्षा संबंधी निवारक उपाय करना।
18. सिविल प्रतिरक्षा करना।
19. अन्तर्राज्यीय पुलिस बेतार (वायरलेस) पद्धति।
20. पुलिस पदक की अनुशंसा करना।
21. भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषय।
22. राज्य पुलिस सेवा से संबंधित विषय।
23. ऐसी सेवाओं से संबंध सभी विषय जिनका पुलिस विभाग से संबंध है।
24. अश्वारोही पुलिस ।
25. विशेष सशस्त्र बल।
26. जनता के साथ संबंध।
27. रोगी, दीनहीन व्यक्ति एवं यात्रियों को सहायता करना।
28. महामारियों के समय चिकित्सकों के संपर्क में रहना एवं सहायता करना।
29. अग्निशमन का कार्य
30. प्राकृतिक प्रकोप के दौरान आम जनता की सहायता करना।
31. जन्म एवं मृत्यु के सूचना रजिस्टर का संघारण करना।

foHkkx ls lacaf/kr fu;e@vf/kfu;e %&

1. पुलिस अधिनियम–1861
2. मध्य प्रदेश पुलिस मैन्युअल एवं रेग्युलेशन
3. मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल – 1968 एवं 1973
4. पुलिस विभाग से संबंधित जी.ओ.पी.
5. मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये परिपत्र
6. पुलिस महानिदेशक,मध्य प्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्र

5- ykd ikf/kdj.k (ifyl foHkkx) d e[; dR;

जनता की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कायम रखना।

6- ykd ikf/kdj.k (ifyl foHkkx) }kjk inRr lokvk dh lph ,o mudk lf{kIr fooj.k

पुलिस विभाग के विभिन्न संगठन बिन्दु क्रं.7 में उल्लेखित है।

7- ykd ikf/kdj.k (ifyl foHkkx) d fofHkUu Lrjk ('kklu] fun'kky;] {k=] ftyk] Cykd vkfn) ij lXBukRed <kpk :

Organizational Structure

Madhya Pradesh Police Distt Shahdol is headed by Supdt of Police . He is assisted by Additional Supdt of Police, who heads various branches in Police Distt Head Quarters.

Steno/ Head Clerck/ SRC/ OM/Complaint/ GPF/ Contigencies/AC/TA/ DSB/DCB/DCRB/MOB/JAB/AJK/Traffic/DRP Line/Police Hospital/ FCC/SEJC/Help Line/

Distt Head Quarters and Support functions

Supdt OF Police Office Structure
Addl Supdt OF Police

Head Clerck | Steno | Acctt | Establisment | Reader

Asstt Clerck | Offence Moharir | Record Keeper | Despatch

Distt Special Branch | Special Branch | DCRB | DCB

MOB | JAB | FSL Unit | Computer | Distt Sports Officer

Complaint Branch

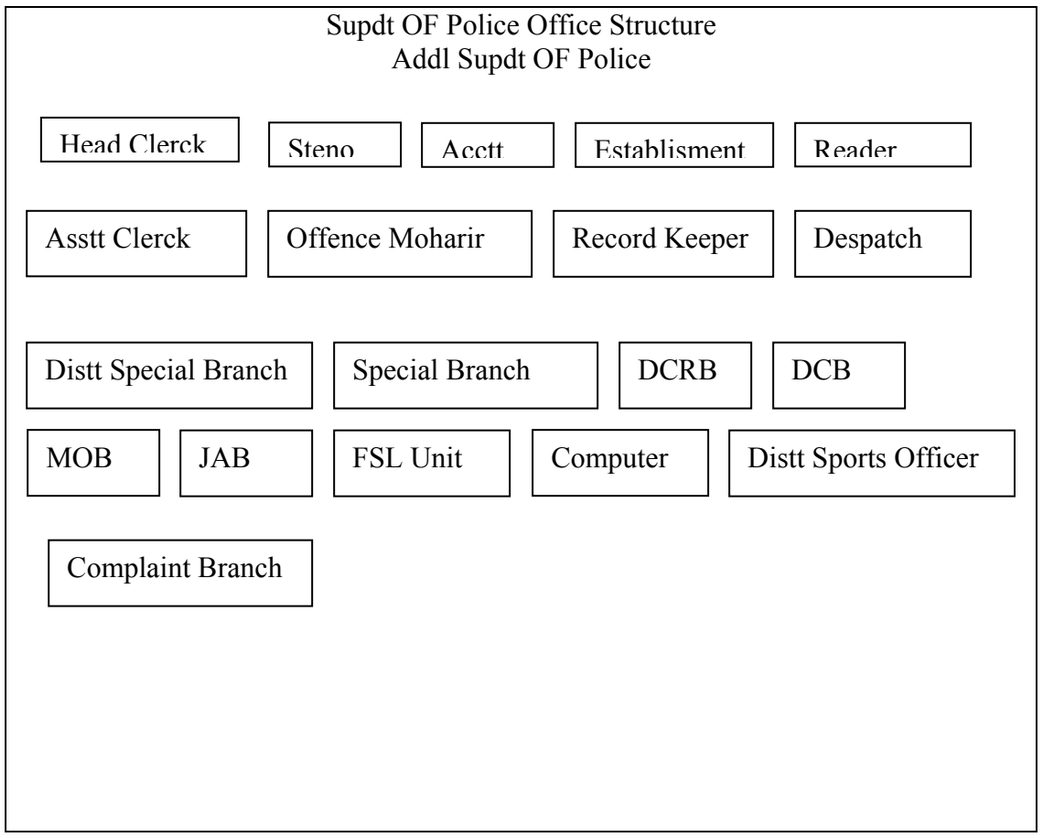

Supdt OF Police			
Addl. Supdt OF Police			
DSP HQ	SDOP Dhanpuri	SDOPBeohari	DSP AJK
PS Kotwali PS Traffic DRP Line Control Room	PS Burhar OP Khairaha OP Keshwahi PS Dhanpuri PS Amlai PS Jaipur OP Jhinkbijuri	PS Beohari PS Jaisingh Nagar PS Deolaund	PS AJK

जिला पुलिस शहडोल

ifyl v/kh{kd dk;ky;   QhYM ;fuV~l

ifyl v/kh{kd dk;ky;

मुख्य लिपिक	स्टेनो	लेखापाल	स्थापना	सहायक लिपिक	सांख्यिकी लिपिक	रिकार्ड कीपर	आवक जावक

प्रवाचक	जिला विषेष शाखा	विषेष शाखा	जिला अपराध अभिलेख शाखा	जिला अपराध शाखा
कार्यप्रणाली शाखा	बाल अपराध शाखा	विधि विज्ञान प्रयोग शाला	खेल एवं युवक कल्याण	
षिकायत शाखा				

QhYM ;fuV~l

uke dk;ky;	vf/kdkjh dk inuke
पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्टेनो रीडर प्र.आर. रीडर आरक्षक
उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)	उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) रीडर प्र.आर. रीडर आरक्षक
अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)	एसडीओपी ब्यौहारी रीडर प्र.आर. रीडर आरक्षक
अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)	एसडीओपी धनपुरी रीडर प्र.आर. रीडर आरक्षक

उप पुलिस अधीक्षक अजाक	उप पुलिस अधीक्षक अजाक शहडोल रीडर प्र.आर. रीडर आरक्षक
पुलिस लाइन	रक्षित निरीक्षक–01 सूबेदार–01 लाइन आफीसर–01 उ.नि. एमटी–01 सउनि एमटी–02 प्र.आर.एमटी–05 आरएमटी–12 डी.आई.–02 प्र.आर. लेखक–01 प्र.आर. स्टोर्स–01 प्र.आर. कैष–01 प्र.आर. शस्त्र–01 प्र.आर. वेलफेयर–01 निरीक्षक–01 उपनिरीक्षक–03 सउनि–04 प्र.आर. –17 आर.–102
कन्ट्रोल रूम	उप निरीक्षक–01 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–02 आरक्षक–02
विधि विज्ञान प्रयोगषाला	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी–01 आर. फोटोग्राफर–01 आर. एम–01
खेल एवं युवक कल्याण	जिला खेलकूद अधिकारी–01 सहायक ग्रेड–3–01 भृत्य –01
थाना कोतवाली	थाना प्रभारी निरीक्षक–01 उप निरीक्षक–03 सहा.उप निरीक्षक–03 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–02 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–07 आरक्षक–33

थाना अजाक	थाना प्रभारी निरीक्षक–01 उप निरीक्षक–02 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–03 प्र.आर. कम्प्यूटर–01 आरक्षक–16
थाना यातायात	थाना प्रभारी सहा.उप निरीक्षक–01 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 प्रधान आरक्षक –07 आरक्षक–35

थाना बुढ़ार	थाना प्रभारी निरीक्षक–01 उप निरीक्षक–01 सहा.उप निरीक्षक–02 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–02 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–05 आरक्षक–23
चौकी खैरहा	प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 आरक्षक–04
थाना धनपुरी	थाना प्रभारी निरीक्षक–01 सहा.उप निरीक्षक–01 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 आरक्षक–04
थाना अमलाई	थाना प्रभारी निरीक्षक–01 उप निरीक्षक–02 सहा.उप निरीक्षक–02 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–02 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–08 आरक्षक–53
थाना जैतपुर	थाना प्रभारी उप निरीक्षक–01 सहा.उप निरीक्षक–01 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–01 आरक्षक–08
थाना ब्यौहारी	थाना प्रभारी निरीक्षक–01 उप निरीक्षक–01 सहा.उप निरीक्षक–02 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–03 आरक्षक–13
थाना जैसिंहनगर	थाना प्रभारी उप निरीक्षक–01 सहा.उप निरीक्षक–01 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–02 आरक्षक–08
थाना देवलोंद	थाना प्रभारी उप निरीक्षक–01 सहा.उप निरीक्षक–01 प्रधान आरक्षक(मोहर्रिर)–01 प्रधान आरक्षक(गश्ती)–01 आरक्षक–08

8- ykd ikf/kdj.k (iqfyl foHkkx) dh dk;Zn{krk c<kus gsrq tu lg;kx dh vis{kk;s %

1. सूचना के अधिकार अधिनियम का अधिक एवं प्रभावी उपयोग करें।
2. अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्राप्त करे।
3. नीति निर्धारण विषयों पर अपने मत से अवगत करायें।

4. समय–समय पर कार्यालय की क्षमता एवं प्रणाली का मूल्यांकन करें एवं अवगत करायें।
5. जनहित एवं विकास के मुद्दों पर कार्यवाही करायें।
6. जन संवाद हेतु इकाई स्तर पर माह में दो बार जनता के साथ सम्मेलन आयोजित करना।

9- tu lg;kx lfuf'pr djus dk fy;s fof/k@O;oLFkk %

- परामर्शदात्री समिति
- जनशिकायत निवारण कक्ष उपलब्ध है।
- इकाई स्तर पर जन संवाद शिविरों का आयोजिन
- खुला दरबार
- पुलिस मैत्री शिविरों का आयोजन
- पुलिस चिकित्सा शिविरों का आयोजन
- पुलिस ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति सम्मेलनों का आयोजन
- सूचना खिड़की

10- tu lsokvksa dks vuqJo.k ,oa f'kdk;rks dk fujkdj.k dh O;oLFkk %

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना जिसमें जनता के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधि शामिल होगें एवं विषय वस्तु तथा नीतियों से परिचित होकर जन शिकायतों की सुनवाई की जावेगी।

uhfr fu/kkZj.k gsrq O;oLFkk

स0क्र0	विषय／कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (gk@ugh)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1.	थाना स्तर पर जनसंवाद	हॉ	गठन
2.	शांति समितिओं का गठन एवं परामर्श	हॉ	गठन
3.	पुलिस सामुदायिक व्यवस्था हेतु सुरक्षा समितियों का गठन	हॉ	गठन

जनसंवाद ,शांति समितियों एवं पुलिस सामुदायिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है ।

11. e[; dk;kZy; rFkk fofHkUu Lrjksa ij dk;kZy;ksa ds irs

(कृपया पतों का जिला अनुविभाग एवं थाना वार वर्गीकरण करें)

ifyl dk;kZy;	t;LrEHk pkd l;Dr ftyk dk;kZy; ifjlj 'kgMkZy
	dk;kZy; ds njHkk"k ,oa QSDl u-
पुलिस अधीक्षक	07652–245100 (कार्यालय) 07652–245101 (निवास) 9425119688 (मोबाईल) 07652–241522 (फैक्स)
अति. पुलिस अधीक्षक	07652–241525 (कार्यालय) 07652–245230 (निवास) 9425165161 (मोबाईल)
उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	07652–241232 (कार्यालय) 07652–245327 (निवास) 9425182785 (मोबाईल)
थाना कोतवाली	07652–245222 (कार्यालय) 9425343299 (मोबाईल)
थाना यातायात	07652–245898 (कार्यालय) पीपी 9425343873 (मोबाईल)
कन्ट्रोल रूम	07652–245898 (कार्यालय) 1098 100
पुलिस लाइन	07652–245105 (कार्यालय) 9425183767 (मोबाईल)
उप पुलिस अधीक्षक अजाक	07652–245108 (कार्यालय) पीपी 07652–248738 (निवास)
थाना अजाक	07652–245108 (कार्यालय) 9826416228 (मोबाईल)
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धनपुरी	07652–260972 (कार्यालय) 9826297242 (मोबाईल)
थाना बुढ़ार	07652–260032 (कार्यालय) 9826459393 (मोबाईल)
थाना धनपुरी	07652–250280 (कार्यालय) 9425167650 (मोबाईल)
थाना अमलाई	07652–250250 (कार्यालय) 9425186729 (मोबाईल)
थाना जैतपुर	07657–272230 (कार्यालय) 9425228033 (मोबाईल)
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी	07650–262221 (कार्यालय)
थाना ब्यौहारी	07650–262222 (कार्यालय)
थाना जैसिंहनगर	07651–221232 (कार्यालय)
थाना देवलोंद	07650–268510 (कार्यालय)

पुलिस मुख्यालय के अलावा अन्य पुलिस इकाईयों के कार्यालयों के पते एवं टेलीफोन नम्बरों की जानकारी पुलिस वेबसाईट www.mppolice.gov.in में उपलब्ध है।

12- dk;kZy; ds [kqyus dk le; % izkr% 10-30 cts
dk;kZy; ds cUn gksus dk le; % lk;a 05-30 cts

v/;k;&3 (eU;ivy&2)

vf/kdkfj;ks vkj deipkfj;ks dh 'kfDr;k ,o drO;

1. कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराएं :

पद का नाम	पुलिस अधीक्षक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	पुलिस अधीक्षक, आरक्षी विभाग का जिला प्रमुख है और प्रशासन की इस शाखा से संबंधित सभी विषयों में शासन का प्रषासनिक अधिकारी है। पुलिस एक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत, आरक्षक संवर्ग, सउनि एम, आर. से निरीक्षक तक निलंबन, आर. से प्र.आर. के पद पर पदोन्नति, आर. एवं प्र.आर., नि.वर्ग.लि., स्टेनो को पदच्युति/सेवामुक्त तथा आर. से निरीक्षक स्तर तक स्थानान्तरण करने तक एवं पु.रे. के पैरा क्र. 214 से 218 तक अधिनस्थ कर्मचारियों को दण्ड देने की की सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। जिले की कानून व्यवस्था, अपराधों पर नियंत्रण, थानों का निरीक्षण, गंभीर अपराधों का पर्यवेक्षण, अधिनस्थ राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली संधारण करने तथा अधिनस्थ कर्मचारियों से रूबरू मिलकर ओ.आर. के माध्यम से उनकी समस्याओं/गुजारिषों, अच्छे कार्यों/डिफाल्टर के संबंध में निराकरण करने की षक्तियां। 1. म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन 2. म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 3. म.प्र.सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण अपील नियम 4. मूलभूत एवं पूरक नियम 5. समय समय पर शासन द्वारा जारी आदेश एवं परिपत्र 6. पुलिस राजपत्र आदेश उक्त नियमों का परिपालन सुनिष्चित कराना
	वित्तीय	1. वित्तीय अधिकारों का उपयोग म.प्र. वित्तीय संहिता एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन संहिता के अंतर्गत विषय अनुसार सक्षम अधिकारी करता है। 2. जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक एवं उनके अधीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को नियमानुसार स्वीकृत बजट का आहरण एवं संवितरण के लिये अधिकृत किया गया है। अधिनस्थ आर. से निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को अच्छे कार्यों के लिए

		नगद इनाम एवं त्रुटि के लिए अर्थदण्ड/वेतनवृद्धि कमी/रोकने का दण्ड देने हेतु अधिकार हैं।
	अन्य	पुलिस वेबसाईट में अन्य सभी शाखाओं का विवरण उपलब्ध है।
कर्तव्य	आदेश एवं नियम जिन्हें इंडियन पुलिस एक्ट 1861 (कं.5 सन् 1861) एवं पुलिस मेनुअल एवं रेगुलेषन की पैरा क्र 4 एवं 32 के अन्तर्गत जिले की आन्तरिक बचत एवं प्रबंध, अनुषासन, बनाये रखने, न्यायालयों या अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये गये सभी आदेषों एवं निर्देषों का पालन जिले के अधिनस्थ अधिकारियों से कराना, जिला दण्डाधिकारी एवं सत्र न्यायाधीष से समन्वय स्थापित करना, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रषासनिक सहयोग प्रदान करना।	
पद का नाम	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	पुलिस अधीक्षक द्वारा द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना तथा पुलिस अधीक्षक को प्रषासनिक कार्यों में सहयोग करना, अधिनस्थ अनुविभाग/थानों का निरीक्षण एवं अपराधों का पर्यवेक्षण, षिकायतों की जांच करने की शक्तियां तथा पैरा क्र. 36 के अनुसार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग
पद का नाम	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/उप पुलिस अधीक्षक	
शक्तियॉ	प्रशासकीय	उप पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शासन एवं विभाग द्वारा आबंटित पुलिस थाना/चौकियों के अपराधों पर नियंत्रण, अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाना, पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना तथा पुलिस अधीक्षक को प्रषासनिक कार्यों में सहयोग करना, अधिनस्थ थानों का निरीक्षण एवं अपराधों का पर्यवेक्षण, षिकायतों की जांच करने की शक्तियां तथा पैरा क्र. 36 के अनुसार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग
पद का नाम	रक्षित निरीक्षक	
कर्तव्य	पुलिस रेगु0 के पैरा 512 से 514 के अनुसार कानून व्यवस्था/व्ही. आई.पी. डियूटी में बलों को उपलब्ध कराने, अनुषासित कवायद का पूर्ण ज्ञान कर्मचारियों को कराना, सेवा पुस्तिका का संधारण, आर्डर बुक का संधारण, आर्म्स एवं एम्युनेषन, वाहन, किट क्लोदिंग का रखरखाव व उनका समुचित वितरण, पुलिस लाइन में संचालित कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित कराना, कर्मचारियों के छुट्टी आदि का निराकरण कराना।	
पद का नाम	सूबेदार	
कर्तव्य	रक्षित निरीक्षक के कार्यों सहयोग देना	
पद का नाम	थाना प्रभारी	
कर्तव्य	पुलिस रेगुलेषन के पैरा क्र. 579 से 583 तक दिये गये अधिकारों का प्रयोग, थाना क्षेत्र के प्रभार की सीमाओं के अन्दर पंजीबद्ध	

	अपराधों/मर्गो की विवेचना/तस्दीक करना, अधिनस्थों द्वारा की गई विवेचना/जांच का अवलोकन करना, त्रुटिपूर्ण होने पर सुधार कराना, संज्ञेय अपराधों के एफ.आई.आर. लिखना, अपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाना, स्टाफ से परेड कराना, पेट्रोलिंग एवं संमंस वारन्टों की तामीली, घटित अपराधों की वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना
पद का नाम	उप निरीक्षक/स.उ.नि./प्र.आर.
कर्तव्य	पुलिस रेगुलेषन के पैरा क्र. 586 से 594 तक दिये गये अधिकारों का प्रयोग एवं पुलिस रेगुलेषन में वर्णित थाना में पंजीबद्ध अपराधों/मर्गो की विवेचना/तस्दीक करना, अपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाना, पेट्रोलिंग एवं संमंस वारन्टों की तामीली करना व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना प्रभारी के कार्यो में सहयोग करना, ग्राम कोटवार से ग्रामों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना व सूचनाओं का संकलन कर कार्यवाही करना। पुलिस कार्यालय प्राप्त रकम का संधारण करना व थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना
पद का नाम	आरक्षक
कर्तव्य	पुलिस रेगुलेषन के पैरा क्र. 595 के अनुसार गिरफ्तार षुदा व्यक्तियों को न्यायालय पहुंचाना, सड़क पेट्रोलिंग बाजार प्रबंध, संमंस वारन्टों की तामीली, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाना, नाइट पेट्रोलिंग करना व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना प्रभारी के कार्यो में सहयोग करना, महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना। अधिसूचित क्षेत्रों में धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करना।

v/;k;&4 (eU;|vy & 3)

dR;ksa d fuoZgu gsrq fu;e] fofu;e] vuqns'k] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k

1. लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं :

   (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

vfHkys[k dk uke %&	vfHkys[k dk izdkj
1. भारतीय दण्ड विधान	
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता	निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने
3. पुलिस अधिनियम 1861	(नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका,
4. लघु अधिनियम	अभिलेख, अन्य)
5. म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन	
6. पुलिस राजपत्र आदेश	
7. म.प्र.शासन के पुलिस विभाग से संबंधित परिपत्र	

vfHkys[k dk laf{kIr ifjp;

इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं?

पता : 1. कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल, म.प्र.
दूरभाष क्रं.07652–245100

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)
आवेदन पत्र के प्रारूप में खुलासा किया गया है।

Madhya Pradesh Police Regulation

CONTENTS

PART - I (THE POLICE FORCE) P.R. 1 - 37

- CHAPTER I (The Constitution and Organization of the State Police Force) **1 - 9**
- CHAPTER II (Position and Duties of Superior Inspector General) **10-37**

PART - II (ADMINISTRATION) P.R. 38 - 320

- CHAPTER I (Appointments and Enlistments) 38 - 64
- CHAPTER II (Promotions and Rewards) 65 - 85
- CHAPTER III (Drill and Instruction of Constables) 86 - 114
- CHAPTER IV (Training and Examination) 115 - 152
- CHAPTER V (Special Armed Force and Mounted Police) 153 - 171
- CHAPTER VI (Leave) 172 - 196
- CHAPTER VII (Transfer and Traveling Allowance) 197 - 212
- CHAPTER VIII (Punishment and prosecution of Police Officers) 213 - 250
- CHAPTER IX (Resignation Discharge and Re-Enlistments) 251 - 261
- CHAPTER X (Appeals and Petitions) 262 - 275
- CHAPTER XI (Pension and Gratuities) 276 - 291
- CHAPTER XII (Housing and Medical Aid) 292 - 306
- CHAPTER XIII (Buildings) 307 - 320

PART - III (FUNCTIONS POWERS AND DUTIES) P.R. 321 - 507

CHAPTER I (Functions, Powers and Duties of Police Officers) 321 - 342

- CHAPTER II. (Duties under Special Local Laws) 343 - 404
- CHAPTER III (Miscellaneous Duties Imposed by Executive Orders) 405 - 430
- CHAPTER IV (Maintenance of Order and Public Safety) 431 - 448
  - CHAPTER V (Watch and Ward in Towns) 449 - 453
  - CHAPTER VI (Guards and Escorts) 454 - 495
  - CHAPTER VII (Inquests) 496 - 507

PART - IV (THE HEAD QUARTER STAFF AND THEIR DUTIES) P.R. 508 - 574

- CHAPTER I (STAFF) 508 - 533
- CHAPTER II (The Head -Quarters Lines) 534 - 537
- CHAPTER III (Clothing, Stores and Ammunition) 538 -574

PART - V (THE WORKING OF POLICE STATIONS) P.R. 575 - 709

- CHAPTER I (The Police Station and its Staff) 575 - 607
- CHAPTER II (The Police Station and its Daily Work) 608 - 674
- CHAPTER III (Village Officers) 675 - 690
- CHAPTER IV (Miscellaneous) 691 - 709

PART VI (CRIME AND CRIMINALS) P.R. 710 - 861

- CHAPTER I (Investigation of Crime) 710 - 790
- CHAPTER II (Special Procedure In Certain Cases) 791 - 806
  - CHAPTER III (Treatment of Persons Arrested) 807 - 817
  - CHAPTER IV (Identification of old Offenders) 818 - 831
  - CHAPTER V (EXPERTS) 832 -833
  - CHAPTER VI (Conduct of Cases) 834 -838
  - CHAPTER VII (Security for good Behaviors) 839 - 842
- CHAPTER VIII (Surveillance) 843 - 861

PART - VII (MISCELLANEOUS) P.R. 862 - 973

- CHAPTER I (Tours and Inspection) 862 - 877
- CHAPTER II (Office Work) 878 - 910
- CHAPTER III (Accounts and Records) 911 - 963
- CHAPTER - IV (Miscellaneous) 964 - 973

Appendix -A	Promotion Rules
Appendix -B	Physical Inspection of candidates.
Appendix -C	Rules for President's Police and Fire Service Medal
Appendix -D	Excise Act
Appendix -E	M.P. Police Benevolent Fund
Appendix -F	Food During Emergency duties.

foLrr fooj.k ifyl foHkkx dh oscLkbV **www.mppolice.gov.in** eS miyC/k gSA

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

NO.2 OF 1974 [25th January, 1974.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.
BE it enacted by Parliament in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Chapter	Title	Sections
Chapter 1	PRELIMINARY	Sections 1-5
Chapter 2	CONSTITUTION OF CRIMINAL COURTS AND OFFICES	Sections 6-25
Chapter 3	POWER OF COURTS	Sections 26-35
Chapter 4	POWERS OF SUPERIOR OFFICERS OF POLICE	Sections 36-40
Chapter 5	ARREST OF PERSONS	Sections 41-60
Chapter 6	PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE	Sections 61-90
Chapter 7	PROCESSES TO COMPEL THE PRODUCTION OF THINGS	Sections 91-105
Chapter 8	SECURITY FOR KEEPING THE PEACE AND FOR GOOD BEHAVIOR	Sections106-124
Chapter 9	N.A.	Sections125-128
Chapter 10	MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER AND TRANQUILITY	Sections129-148
Chapter 11	PREVENTIVE ACTION OF THE POLICE	Section 149-153
Chapter 12	INFORMATION TO THE POLICE AND THEIR POWERS TO INVESTIGATE	Section 154-176
Chapter 13	JURISDICTION OF THE CRIMINAL COURTS IN INQUIRIES AND TRIALS	Section 177-189
Chapter 14	CONDITIONS REQUISITE FOR INITIATION OF PROCEEDING	Section 190-199
Chapter 15	COMPLAINTS TO MAGISTRATES	Section 200-203
Chapter 16	COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS BEFORE MAGISTRATES	Section 204-210
Chapter 17	THE CHARGE	Section 211-224
Chapter 18	TRIAL BEFORE A COURT OF SESSION	Section 225-237
Chapter 19	TRIAL OF WARRANT-CASES BY MAGISTRATES	Section 238-250
Chapter 20	TRIAL OF SUMMONS-CASES BY MAGISTRATES	Section 251-259
Chapter 21	SUMMARY TRIALS	Section 260-265
Chapter 22	ATTENDANCE OF PERSONS CONFINED OR DETAINED IN PRISONS	Section 266-271
Chapter 23	EVIDENCE IN INQUIRIES AND TRIALS	Section 272-299
Chapter 24	GENERAL PROVISIONS AS TO INQUIRIES AND TRIALS	Section 300-327
Chapter 25	PROVISIONS AS TO ACCUSED PERSONS OF UNSOUND MIND	Section 328-339

Chapter 26	**PROVISIONS AS TO OFFENCES AFFECTING THE ADMINISTRATION OF JUSTICE**	Section 340-352
Chapter 27	**THE JUDGMENT**	Section 353-365
Chapter 28	**SUBMISSION OF DEATH SENTENCES FOR CONFIRMATION**	Section 366-371
Chapter 29	**APPEALS**	Section 372-394
Chapter 30	**REFERENCE AND REVISION**	Section 395-405
Chapter 31	**TRANSFER OF CRIMINAL CASES**	Section 406-412
Chapter 32	**EXECUTION, SUSPENSION, REMISSION AND COMMUTATION OF SENTENCES**	Section 413-435
Chapter 33	**PROVISIONS AS TO BAIL AND BONDS**	Section 436-450
Chapter 34	**DISPOSAL OF PROPERTY**	Section 451-459
Chapter 35	**IRREGULAR PROCEEDINGS**	Section 460-466
Chapter 36	**LIMITATION FOR TAKING COGNIZANCE OF CERTAIN OFFENCES**	Section 461-473
Chapter 37	**LIMITATION FOR TAKING COGNIZANCE OF CERTAIN OFFENCES**	Section 474-484

foLr`r fooj.k ifyl foHkkx dh osclkbV **www.mppolice.gov.in** esa miyC/k gSA

INDIAN PENAL CODE

CHAPTER I: INTRODUCTION

CHAPTER II: GENERAL EXPLANATIONS

CHAPTER III: OF PUNISHMENTS

CHAPTER IV : GENERAL EXCEPTIONS

CHAPTER V :OF ABETMENT

CHAPTER V(A) : CRIMINAL CONSPIRACY

CHAPTER VI : OF OFFENCES AGAINST THE STATE

CHAPTER VII: OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY, 74 [NAVY AND AIR FORCE]

CHAPTER VIII: OF OFFENCES AGAINST THE PUBLIC TRANQUILITY

CHAPTER IX: OF OFFENCES BY OR RELATING TO PUBLIC SERVANTS

CHAPTER IX(A) : OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS

CHAPTER X **OF CONTEMPT OF THE LAWFUL AUTHORITY OF PUBLIC SERVANTS**

CHAPTER XI OF FALSE EVIDENCE AND OFFENCES AGAINST PUBLIC JUSTICE

CHAPTER XII OF OFFENCES RELATING TO COIN AND GOVERNMENT STAMPS

CHAPTER XIII OF OFFENCES RELATING TO WEIGHTS AND MEASURES

CHAPTER XIV OF OFFENCES AFFECTING THE PUBLIC HEALTH, SAFETY, CONVENIENCE, DECENCY AND MORALS

CHAPTER XV: OF OFFENCES RELATING TO RELIGION

CHAPTER XVI: OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY

CHAPTER XVII: OF OFFENCES AGAINST PROPERTY

CHAPTER XVIII OF OFFENCES RELATING TO DOCUMENTS AND TO 173[***] PROPERTY MARKS

CHAPTER XIX: OF THE CRIMINAL BREACH OF CONTRACTS OF SERVICE

CHAPTER XX: OF OFFENCES RELATING TO MARRIAGE

CHAPTER XXA : OF CRUELTY BY HUSBAND OR RELATIVES OF HUSBAND

CHAPTER XXI: OF DEFAMATION

CHAPTER XXII: OF CRIMINAL INTIMIDATION, INSULT AND ANNOYANCE

CHAPTER XXIII : OF ATTEMPTS TO COMMIT OFFENCES

FOOT NOTES

foLr`r fooj.k iqfyl foHkkx dh osclkbV **www.mppolice.gov.in** esa miyC/k gSA

INDIAN BARE ACTS

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

PART I : RELEVANCY OF FACTS

- CHAPTER I **PRELIMINARY** SECTIONS 1-4
- CHAPTER II **OF THE RELEVANCY OF FACTS** SECTIONS 5-55

PART II : ON PROOF

- CHAPTER II **FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED** SECTIONS 56-58
- CHAPTER IV **OF ORAL EVIDENCE** SECTIONS 59-60
- CHAPTER V **OF DOCUMENTARY EVIDENCE** SECTIONS 61-90
- CHAPTER VI **OF EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY EVIDENCE** SECTIONS 91-100

PART III : PRODUCTION AND EFFECT OF EVIDENCE

- CHAPTER VII **OF THE BURDEN OF PROOF** SECTIONS 101-114
- CHAPTER VIII **ESTOP PEL** SECTIONS 115-117
- CHAPTER IX **OF WITNESSES** SECTIONS 118-134
- CHAPTER X **OF EXAMINATION OF WITNESSES** SECTIONS 135-166
- CHAPTER XI **OF IMPROPER ADMISSION AND REFECTION OF WITNESS** SECTION 167

- **FOOT NOTES**

foLr`r fooj.k iqfyl foHkkx dh osclkbV **www.mppolice.gov.in** esa miyC/k gSA

ठंबा

Laws, Rules & Regulations

- Govt. Circular Regarding "*Khandan*" of Mislead News published in Newspapers
- Circular Regarding Adverse Annual Confidential Report
- Circular Regarding Inspection of Welfare Activities
- Circular Inspection and Night Halt by Supervisory Officers
- Government Circular Regarding Mutual Transfer between M.P. and Chhattisgarh
- Seniority List of Stenographers (other then Spl. Branch) as on 01.04.2005
- Circular Regarding Instructions for Drivers
- District Scene of Crime Unit Regulations-2005
- Circular Regarding Inspection and Investigation of Scene of Bomb Blast
- Circular Regarding Extraordinary Pension
- Circular Regarding Application Against Transfer
- Circular Regarding Prime Minister's 15 Points Program for Welfare of Minority

foLr`r fooj.k ifyl foHkkx dh oscl kbV **www.mppolice.gov.in** esa miyC/k gSA

Madhya Pradesh Police GOP Back

vuqdzef.kdk / **(Appendix)**

क	राजपत्र शासनादेश	विवरण
1	GOP 1/58	Procedure for submission of advance copies of application and petitions etc
2	GOP 2/58	Participation by Government servants in proselytism Instructions regarding
3	GOP 3/58	Prohibition of Government servants from bidding (either privately or by proxy) at Government auctions.
4	GOP 4/58	Prevention of accidents to life and property due to maneuvers, firing and artillery practices
5	GOP 5/58	Observance of courtesies by officers of Government in their dealings with members of parliament and state Legislature
6	GOP 6/58	Corrigendum

1959

7	GOP 1/59	Efficient prosecution of cases in courts and closer liaison between the public Prosecutors and District police Prosecutors .
8	GOP 2/59	Central Excise seizure of excisable goods by police officials Instructions regarding
9	GOP 3/59	Instructions in the matter of service of processes issued by criminal court
10	GOP 4/59	Code of Criminal Procedure (Amendment) Act supply of copies of documents to accused person
11	GOP 5/59	Test identification Parades
12	GOP 6/59	C Instructions regarding channel of communication with foreign countries

1962

13	GOP 1/62	Detailed instructions for collections , packing and transporting different type of exhibits to the Forensic Science Laboratories
14	GOP 2/62	Members of Legislature search and seizure of belongings. precautions against premature publication of privileged documents.

1965

15	GOP 1/65	Members of Parliament and Legislature arrest , detention. conviction, release of and service of summons on.

16	GOP 2/65	Instructions of maintaining a record of police Officers prosecuted in Criminal Courts ,either by the State or on private complaints, of facing civil suits for something done either in their official of private capacity
17	GOP 3/65	Demonstration by or deputation of bodies of people visit of to Bhopal/Delhi during sessions of vidhan Sabha Parliament or at other times.

1971

18	जी.ओ.पी. क 1/71	केस डायरी न्यायालय में अविलम्ब भेजने बाबत
19	जी.ओ.पी. क 2/71	I.G. of police & DIsG of police on tour instructions to police Officers to meet the.

1983

20	जी.ओ.पी. क 1/83	मध्यप्रदेश रेल पुलिस तथा जिला पुलिस के बीच समन्यव हेतु स्थायी व्यव्यस्था
21	जी.ओ.पी. क 2/83	डकैती ओर डकैतो द्वारा अपहरण एंव अन्य अपराध बाबत
22	जी.ओ.पी. क 3/83	केस डायरी
23	जी.ओ.पी. क 4/83	विभिन्न पदो के लिये नामांकन भेजने के संबंध में निर्देश
24	जी.ओ.पी. क 5/83	प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
25	जी.ओ.पी. क 6/83	Recovery of arms ammunitions and explosives
26	जी.ओ.पी. क 7/83	पुलिस में अल्पसंख्यक वर्गो का प्रतिनिधित्व
27	जी.ओ.पी. क 8/83	वन्य प्राणी संरक्षण में पुलिस के कर्तव्य
28	जी.ओ.पी. क 9/83	writing of A.C.R,s
29	जी.ओ.पी. क 10/83	मध्यप्रदेय विनिद्रिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 में स्पेशल रिपोट भेजने बाबतृ
30	जी.ओ.पी. क 11/83	Prevention of leakage of contents of case diaries
31	जी.ओ.पी. क 12/83	Discharge of recruits arms and ammunitions during transit
32	जी.ओ.पी. क 13/83	Theft of the Army"s arms and ammunitions during transit
33	जी.ओ.पी. क 14/83	निरीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक को दिये गये दण्डो के आदेश हेतु पु.मु. में एक रजिस्टर रखने बाबत
34	जी.ओ.पी. क 15/83	पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण बाबतृ निर्देश
35	जी.ओ.पी. क 16/83	Deployment of A.F
36	जी.ओ.पी. क 17/83	Entries in Service Roll
37	जी.ओ.पी. क 18/83	मृत पुलिस कर्मचारी के परिवार के सदस्य को पुलिस विभाग में नौकरी देने बाबातृ
38	जी.ओ.पी. क 19/83	कानून व्यवस्था हेतु डयूटी के लिये भेजे जाने वाले नव आरक्षको के संबंध में
39	जी.ओ.पी. क 20/83	पृथक–आगमन विभाग के कार्य की समीक्षा
40	जी.ओ.पी. क 21/83	प्रधान आरक्षको का वरिष्ठता क्रम रखने के संबंध में

1984

41	जी.ओ.पी. क 22/83	अवैध जमाव को तितर– बितर करने के संबंध मे {गोली चालन की कार्यवाही सहित} निर्देश एवं वैधानिक उपबंध
42	जी.ओ.पी. क 23/83	नागकिों या संस्थाओं से कार्यवाही के लिए प्रप्त आवेदन–पत्रो की सूचना देने संबंधी निर्देश देने संबंधी निर्देश

43	जी.ओ.पी. क्र 24/83	थानेदार एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को नागरिकों से मिलने के लिए निर्देश
44	जी.ओ.पी. क्र 25/83	राष्टपति पुलिस पदकधरी एवं पुलिस पदक प्राप्त सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों के अतिंम संस्कार के समय पुलिस सम्मान प्रदर्शन.
45	जी.ओ.पी. क्र 26/83	Insgtruction to police officers to visit branches of bank once in a month situated under their jurisdiction and ensure their safety
46	जी.ओ.पी. क्र 27/83	Instruction to Investigation officers to attend office of the Advocate General along with the case diaries
47	जी.ओ.पी. क्र 28/83	तृतीय वर्ग के कर्मचारीयों के विरूध न्याययलय में चालान प्रस्तुत करने के पूर्व क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक तथा राजपत्रित अधिकारियों के प्रकरणों में पुलिस महानिरीक्षक से आदेश प्राप्त कर चालान पेश करने संबंधी निर्देश.
48	जी.ओ.पी. क्र 29/83	Direction regarding maintaining a register of the civil or Post & Telegraph Department pensioners in the police stations.
49	जी.ओ.पी. क्र 30/83	समाज के कमजोर वर्गो {आदिवासी,हरिजन} महिलाओं के आवेदन– पत्रो पर शीघ्र पुलिस कार्यवाही करने एंव अन्य आचरणें के संबंध में
50	जी.ओ.पी. क्र 31/83	पुलिस रेडियो विभाग के आरक्षक से निरीक्षक {रेडियो} के पद के कर्मचारियों क स्थानांतरण हेतु पुलिस अधिकारियों के अधिकार.
51	जी.ओ.पी. क्र 32/83	अअवि द्वारा अपराध प्रकरणों का अनुसंधान
52	जी.ओ.पी. क्र 33/83	सेवा में रहते मृत कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन तथा अन्य देय राशियों का समयबद्व भुगतान
53	जी.ओ.पी. क्र 34/83	Wearing of police Uniform after retirement.
54	जी.ओ.पी. क्र 35/83	शासन द्वारा हरिजन,आदिवासियों,महिलाओ के उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही संबंधी निर्देश

1985

55	जी.ओ.पी. क्र 36/85	पुलिस बल में आरक्षकों की भर्ती सम्बघी नियम
56	जी.ओ.पी. क्र 36/85	आयकर विभाग की सूचनाओं वर दबिश देने के पूर्व गोपनीयता सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश
57	जी.ओ.पी. क्र 36/85	मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत मोटरयान चैकिंग
58	जी.ओ.पी. क्र 36/85	आरक्षक,प्रधान आरक्षक,निम्न वर्ग लिपिक के स्थानांतरण संबंधी नीति निर्धारण
59	जी.ओ.पी. क्र 36/85	शासकीय विभागों के अधिकानियों के विरूद्व अभियोजन
60	जी.ओ.पी. क्र 36/85	बाल सहायता इकाई द्वारा जिलों में कार्य संपादन के संबंध में दिशा निर्देश.

1986

61	जी.ओ.पी. क्र 36/86	पुलिस पिभाग में सउनि से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना संबंधी निर्देश {स्थानान्तरण नीति}

1987

62	जी.ओ.पी.क्र 43/87	पुलिस वाहनो की मरम्मत.

1988

63	जी.ओ.पी. क 36/88	म.प्र. वि.स.बल के आरक्षक टेड मेन को डिल कवायद और आरक्षकों के समान रायफल के उपयोग का अभ्यास कराने संबंधी निर्देश
64	जी.ओ.पी. क 36/88	रक्त वर्गीकरण के संबंध में

1989

65	जी.ओ.पी. क 36/89	विभिन्न पदों की योग्यता सूची तैयार करने के लिए निर्देश

1991

66	जी.ओ.पी. क 36/91	विशेष सशस्त्र बल में आरक्षको की भर्ती संबंधी निर्देश

1992

67	जी.ओ.पी. क 36/92	विशेष सशस्त्र बल में आरक्षको की भर्ती संबंधी निर्देश

1993

68	जी.ओ.पी. क 36/93	विशेष सशस्त्र बल में विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु प्रणाली
69	जी.ओ.पी. क 36/93	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम द्वारा निर्मित आवासों का आवंटन
70	जी.ओ.पी. क 36/93	वि.स.बल से जिला पुलिस बल में स्थानान्तरण
71	जी.ओ.पी. क 36/93	पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण बाबत निर्देश.
72	जी.ओ.पी. क 36/93	नगर निरीक्षक का कार्य/स्टेशन आफीसर के दायित्व करा निर्वहन करना तथा अनुविभागीय अधिकारी/नगर पुलिस अधीक्षक का दारूित्व/मंडल निरीक्षकों /नगर निरीक्षकों के कार्यो के साथ अपने कार्य संपादित करने संबधी निर्देश
73	जी.ओ.पी. क 36/93	आरक्षक से प्र.आर. एंव प्र.आर. से सहायक उप निरीक्षक की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओ की पुर्नगणना एंव पुर्नमूल्यांकन बाबत
74	जी.ओ.पी. क 36/93	पुलिस मुख्याालय में पदस्थ अनुसचिवीय अल में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानान्तरण नही किये जाने संबधी निर्देश
75	जी.ओ.पी. क 36/93	{एमटी} में पदस्थ आरक्षक {एमटी} से निरीक्षक {एमटी} के पदों पर पदोन्नति संबंधी निर्देश/प्रक्रिया.
76	जी.ओ.पी. क 36/93	म.प्र. पुलिस {टेडमेन} के लिये पदोन्नति नियम
77	जी.ओ.पी. क 36/93	म.प्र. पुलिस में आरक्षक {बैण्ड/बिगुलर} की भर्ती

1994

78	जी.ओ.पी. क 36/94	प्रदेश में सट्टे के अड्डे बन्द करने हेतु कायवाही
79	जी.ओ.पी. क 36/94	पुलिस प्रशिक्षण संस्थानो में आरक्षका संवर्ग एवं ड्रिल इंस्ट्क्टर का विधान
80	जी.ओ.पी. क 36/94	जिला बल व शा.रे.बल में आरक्षकों की भर्ती हेतु शारीरिक मापदण्डो में छूट के संबंध में
81	जी.ओ.पी. क 36/94	15 वर्ष का सेवाकाल पुर्ण आरक्षकों को वरिष्ठ आरक्षकों का दर्जा दिये जाने बाबत्
82	जी.ओ.पी. क 36/94	द्वितीय/तृतीय श्रंणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति
83	जी.ओ.पी. क 36/94	राजपत्रित एंव अराजपत्रित अधिकारियों की नक्सल प्रभावित इलाको में पदस्थापना संबंधी नीति

84	जी.ओ.पी. क्र 36/94	पुलिस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जॉच राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कराये जाने तथा रिर्पोट पुलिस मुख्यालय भेजे जाने वाले संबंधी निर्देश
85	जी.ओ.पी. क्र 36/94	विभिन्न पदों की र्योयता सूची तैयार करने संबंधी निर्देश
86	जी.ओ.पी. क्र 36/94	45– ए जी.ओ.पी. क्रमांक 66/94 में संशोधन

1995

87	जी.ओ.पी. क्र 36/95	Direction regarding return of extra vehicles
88	जी.ओ.पी. क्र 36/95	दया याचिका का निराकरण करने हेतु समय–सीमा का निर्धारण
89	जी.ओ.पी. क्र 36/95	पुलिस विभाग में कार्यरत द्वितीय एंव तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण बाबत् नीति निर्धारण
90	जी.ओ.पी. क्र 36/95	केन्द्रीय क्रय समिति का गठन
91	जी.ओ.पी. क्र 36/95	प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों का उपयोग एंव बजट नियंत्रण के संबंध में निर्देश

1996

92	जी.ओ.पी. क्र 36/96	राष्ट्पति पुलिस पदक व भारतीय पुलिस पदक प्राप्त र्कारत अथवा सेवानिवृत अधिकारियों के अतिम संस्कार के समय प्रदर्शन संबंधी निर्देश.

1997

93	जी.ओ.पी. क्र 36/97	वि.स.बल में आर. {जी.डी.} से कम्पनी कमान्डर{जी.डी.} के पदों पर पदोन्नति हेतु निर्देश/प्रक्रिया .
94	जी.ओ.पी. क्र 36/97	कल्याणकारी गतिविधयों के संचालान एंव पर्यवेक्षण हेतु कमेटी का गठन
95	जी.ओ.पी. क्र 36/97	आरक्षक से प्र.आर. पदोन्नति नियम एंव प्रक्रिया.
96		जी.ओ.पी. क्र 77/97 में संशोधन दिनांक 16.12.99
97		आर. से प्र.आर. के पदोन्नति नियम जी.ओ.पी. क्र. 77/97 में अघतन संशोंधन.
98	जी.ओ.पी. क्र 36/97	जिला पुलिस बल एवं रेल पुलिस बल में आरक्षकगण की भर्ती के संबंध में नियम
99	जी.ओ.पी. क्र 36/97	पुलिस दूरसंचार में आरक्षक {रेडियो} एंव अन्य आरक्षक{जी.डी} अर्दली/ट्रेडमार्क/डीआ/एमटी की भर्ती के संबंध में
100	जी.ओ.पी. क्र 36/97	वि.स.बल. में आरक्षक {जीडी} की भर्ती

1998

101	जी.ओ.पी. क्र 36/98	प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक पदोन्नति नियम एंव प्रक्रिया
102	जी.ओ.पी. क्र 36/98	ि0.स.बल में आ {ट्रेड} की भर्ती {29.4.98}
103		81–ए/98 का संशोधन{27.5.98}
104	जी.ओ.पी. क्र 36/98	सहायक उप निरीक्षक{प्रेस} एंव आरक्षक {प्रेस} के पद पर भर्ती के संबंध म

1999

105	जी.ओ.पी. क्र 36/99	उप निरीक्षक {एम} स्टेनोग्राफर/सउनि{एम} {निम्नवर्गलिपिक} के पद पर भर्ती के संबंध में

106	जी.ओ.पी. क्र 36/99	आरक्षक {ट्रेडमेन} केडर के अंतर्गतत नाई,धोबी,माची,कारपेन्टर,वाहनचालक,कुक,अर्दली आदि को आरक्षक{ट्रेड} की निपुणता हासिल करने के साथ–साथ आरक्षक का बुनियादी प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी निर्देश.
107	जी.ओ.पी. क्र 36/99	विभिन्न शखाओ के लिये अलग अलग केन्द्रीय क्रय समितियों का गठन
108	जी.ओ.पी. क्र 36/99	पुलिस भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगाने संबंधी निर्देश

2000

109	जी.ओ.पी. क्र 36/2000	न्यायिक अभिरक्षा में भेजें गये अभियुक्तों के विरूध समय–सीमा में अभियो पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश
110	जी.ओ.पी. क्र 36/2000	गिरफतारी एवं निरोध में बरती जाने वाली सावधनियां
111	जी.ओ.पी. क्र 36/2000	प्रशासनिक प्राधिकरण/न्यायालयों में तत्काल जबाबदावा प्रस्तुत करने बाबत्

2001

112	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	वि.स.बल. में आरक्षक{ट्रेड} की भर्ती संशोधन जी.ओ.पी. 81–ए98
113	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	वि.स.बल. में आरक्षक {जी.डी.} की भर्ती संशोधन 80/97
114	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	महिला उत्पीडन के प्रकरण एंव त्वरित कार्यवाही
115	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	अजाक,थानो के कार्यो में एकरूपता लाने हेतु दिशा निर्देश
116	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	वि.स.बल. में आरक्षक {जी.डी.} की भर्ती संशोधन 80/97
117	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	वि.स.बल में आरक्षक {जी.डी} की भर्ती संशोधन 80/97
118	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	म.प्र.दूरसंचार शाखा में केडर परिवर्तन संबंधी नियम
119	जी.ओ.पी. क्र 36/2001	पुलिस दूरसंचार शाखा के कर्मचारियों के पदोन्नति नियमावली संशोधन

2002

120	जी.ओ.पी. क्र 36/2002	वि.स.बल. में महिला आरक्षक{जी.डी.} की भर्ती हेतु जी.ओ. पी. क्रमांक 80/97 में समायोजन बाबत्
121	जी.ओ.पी. क्र 36/2002	जिला पुलिस बल एंव रेल पुलिस बल में आरक्षकगण की भर्ती के नियम जी.ओ.पी क्रमांक 78/97 में संशोधन
122	जी.ओ.पी. क्र 36/2002	विशेष सशस्त्र बल में आरक्षक ट्रेडमैन की भर्ती के नियम जी.ओ.पी. क्र. 81–ए/98,दिनांक 29.4.98 में संशोधन
123	जी.ओ.पी. क्र 36/2002	अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा आपराधिक प्रकराणों के अनुसंधान बाबत्
124	जी.ओ.पी. क्र 36/2002	खेलनीति
125	जी.ओ.पी. क्र 36/2002	विशेष शाखा संवर्ग में आरक्षक के भर्ती प्रधान आरक्षक एंव संहायक उपनिरीक्षक के पदोन्नति तथा पुलिस विभाग की अन्य इकाई से विशेष शाखा संवर्ग में कर्मचारियों के

		संविलियन नियम
126	जी.ओ.पी. क 36/2002	प्रशंसा,प्रशस्ति–पत्र एंव पारितोषिक पदक के संबंध में

foLr'r fooj.k ifyl foHkkx dh ocl kbV **www.mppolice.gov.in** e miyC/k gA

पुलिस अधिनियम, 1861
{ 1861 का अधिनियम, संख्या 5 }

1 निवचन खण्ड
2. बल का गठन
3. राज्य सरकार के अधीक्षण निहित होना
4. पुलिस महानिरीक्षक आदि
5. महानिरीक्षक की शक्तियां
6. शक्तियों का प्रयोग
7. अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि
8. पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र
9. पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या दो मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगें
10. पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे
11. { ' ' ' }
12. महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति
13. व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुसि अधिकारी
14. रेल और अन्य कर्मो के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति
15. विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना
15क. निवासियों या भूमि में हितबद्व व्यक्तियों के दुराचरण से पीडितों को प्रतिकर अनिर्णीत करना
16. धारा 13, 14, 15, और 15क के अधिन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्ययन
17. विशेष पुलिस अधिकारी
18. विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां
19. विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इंकार
20. पुलिस अधिकरियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार
21. ग्राम पुलिस अधिकारी
22. . . . . .
23. पुलिस अधिकारियों के कर्त्तव्य
24. पुलिस अधिकारी इत्तिला कर सकेंगें
25. . . . . .
26 मजिस्ट्रेट समपत्ति को निरूद्व कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा
27. यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता तो सम्पत्ति का अधिहरण

28. पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाणपत्रा इत्यादि का परिदान करने से इंकार करने वाले व्यक्ति

29. क्र्त्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिये शास्तियॉ

30. लोक जमावें और जुलूसों का विनियमन और उनके लिये अनुज्ञप्ति देना

30क. अनुज्ञप्ति की शर्तो का अतिक्रमण करने वाले जमावेां और जुलूसों के संबंध में शक्तियॉ

31. पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी

32. ठीक पूर्ववर्ती तीन घाराओं के अधीन निकाले गये ओदशेा की अवज्ञा के लिए शांति

33. जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की आवृत्ति

34. सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिये दण्ड इत्यादि

35. अधिकारिता

36. अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी

37. मजिस्ट्रेट द्वारा, अधिरोपित शक्तियों और जुर्मानों की वसूली

38. { ' ' ' }

39. { ' ' ' }

40. { ' ' ' }

41. { ' ' ' }

42. कार्यवाहियों के लिए परिसीमा

43. यह अभिवचन कि कार्य वारन्ट के अधीन किया गया था

44. पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे

45. राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी

45अ. पुलिस अधिकारियों की शक्तियों का प्रदान करना

46. अधिनियम की परिधि

47. पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार

foLr`r fooj.k iqfyl foHkkx dh oscl kbV **www.mppolice.gov.in** esa miyC/k gSA

v/;k;&5 (eSU;qvy & 4)

uhfr fu/kkZj.k o dk;kZUo;u ds lEcU/k esa turk ;k tu&izfrfu/kh ls ijke'kZ ds fy;s cuk;h x;h O;oLFkk dk fooj.k

<u>uhfr fu/kkZj.k gsrq</u>

1. क्या लोक प्राधिकरण द्वारा निति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधी की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

1. जन संवाद
2. शांति समितियों का गठन, बैठक एवं परिचर्चा
3. परिवार परामर्ष केन्द्र
4 सामाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण
5 हेल्प लाइन सेवा

d-l-	fo"k;@ d`R; dk uke	D;k bl fo"k; esa turk dh Hkkxhnkjh vfuok;Z gS\ (gk¡@ ugha)	turk dh Hkkxhnkjh lqfuf'pr djus ds fy;s dh xbZ O;oLFkk
1.	तात्कालिक	तात्कालिक विषय वस्तु पर निर्भर है।	प्रस्तावित है कि नीतिगत विषयों पर अंतिम निर्णय पारित करने के पूर्व जनता का अभिमत इलेक्ट्रानिक माध्यम से लिया जायेगा।

uhfr ds dk;kZUo;u gsrq

2. क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से/ की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें ।

'kklu ls fn'kk funsZ'k izkIr gksrs gSaA

d-l-	fo"k;@ d`R; dk uke	D;k bl fo"k; esa turk dh Hkkxhnkjh vfuok;Z gS\ (gk¡@ ugha)	turk dh Hkkxhnkjh lqfuf'pr djus ds fy;s dh xbZ O;oLFkk
1.	तात्कालिक	तात्कालिक विषय वस्तु पर निर्भर है।	प्रस्तावित है कि नीतिगत विषयों पर अंतिम निर्णय पारित करने के पूर्व जनता का अभिमत इलेक्ट्रानिक माध्यम से लिया जायेगा।

Community Involvement

Rural Areas

- Village youth to be selected by the community for training to perform police functions within the village.
- Number of persons should be passed on same norms, say one persons per hamlet or one persons per 100 households.
- They should consist of women and person belonging to deprived groups because:
    - Traditionally kotwals came from deprived communities.
    - More importantly, community police largely consisting of the women and deprived classes and communities would lead to more balanced powersharing by counter veiling the money and power influences of social status in the village community.
- Persons selected to be such as are most likely to live in the villages.
- Educational qualification may be flexible.
- All should be provided through training for the police functions required to be discharged in the rural context.
- Women to be trained initially separately with an arrangement for joint-training for some time towards the end of the training programs.
- Village police should be under the control of Gram Sabha.
- It should perform the following functions:
    - Maintenance of order, peace and tranquility in the village.
    - Prevention of crime by appropriate watch and ward duty, keeping eye on the visit, movement and conduct of outsiders/ strangers.
    - Investigation and detection of minor crimes, to be defined as those that are compoundable or as can be further made compoundable by appropriate amendments of laws.
    - Prosecution of these cases in the Gramsabha/ Gram Nyayalaya.
    - Maintenance of order and smooth flow of traffic during special social, religious congregation like fairs.
- An arrangement of net-working amongst a cluster of villages so that a village in the time of special need may call upon community police of other village to assist.
- Community women police, in addition to be usual responsibility may also be entrusted with the task of acting during domestic violence and atrocities on women.

Urban Areas

Similar approach may be adopted for urban areas with the difference that :

- There may be higher qualifications for the trainees.
- Wards and neighborhoods may be put in place.
- Instead of the Gramsabha, Wardsabha may supervise the work of community police.
- A system of registration of private security agencies operating in housing complexes factories and major establishments may be put in place.
- Closer interaction of the police station with the community police may be organized because of proximity and easy accessibility.
- Advisory Committee at the police station may have representatives of community police system in the wards under the jurisdiction of the urban police station.

Police Stations

- An advisory committee should be constituted for a police station.
- It should have proportionate representation from women and deprived communities.
- Representatives of the 3 tier panchayat and local urban bodies in the area should also be included.
- Voluntary agencies of high reputation may also be included.
- There should be no educational qualifications but preference may be given to educated/ enlightened citizens.
- Advisory committee should meet at least once in a month.
- Where there is a major crime or break-down of law and order it should meet as early as possible to take stock of the situation.
- The committee should review the function of the police during the month, look into grievances and complaints given by the citizens, make arrangement for their expeditions redressal satisfactory to the citizens, monitor the progress in investigations of crimes and in presenting challans.
- Approve, sending of final reports advise for further investigations.
- Approve putting off challans.
- Recommend the appointment of special police officers for areas and periods to be specified.

Nomination to Advisory Committee

- Nominations to Advisory Committee should not be treated as a matter patronage.
- Nominations should be non-partisan and for the purpose of making police pro-people and to establish be close community police interaction.
- The mechanism of nomination should involve consultation and consent of the ruling as well as opposition groups.

v/;k;&6 (eU;qvy & 5)

ykd ikf/kdkjh d ikl ;k mud fu;=.k e miyC/k nLrkotk dk ioxk d vuqlkj fooj.k

1. लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं की यह दस्तावेज कहॉ उपलब्ध रहते है जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य

(कृपया ''अन्य'' का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.		म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन	नियमानुसार मांग करने पर	पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा बाजार में उपलब्ध है।
2.		पुलिस राजपत्र	——''——	पुलिस बेवसाईट पर उपलब्ध है।
3.		पुलिस विभाग से संबंधित परिपत्र	——''——	पुलिस बेवसाईट पर उपलब्ध है।

v/;k;&7 (eU;qvy & 6)

cksMZ] ifj"knks] lfefr;ks ,o vU; fudk;ks dk fooj.k

1. कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दे

लागू नही है।

v/;k;&8 (eU;qvy & 7)

ykd lpuk vf/kdkfj;ks d uke] inuke ,o vU; fof'kf"V;k

1- <u>ftyk eq[;ky; Lrj ij %&</u>

1-	MkO jktsUnz izlkn] iqfyl v/kh{kd] 'kgMksy	vihyh; vf/kdkjh	07652&245100(कार्यालय) 07652&245101(निवास) 07652&241522(फैक्स) 9425119688 (मोबाईल)
2-	Jh ih- ,l- mb;d vfrfjDr iqfyl v/kh{kd 'kgMksy	ukMy vf/kdkjh@ ykd lpuk vf/kdkjh	07652&241525(कार्यालय) 07652&245230(निवास) 9425165161 (मोबाईल)
3-	Jh 0gh- ds- nqcs] mi iqfyl v/kh{kd eq[;ky; 'kgMksy	lgk;d ykd lpuk vf/kdkjh	07652&241232(कार्यालय) 07652&245327(निवास) 9425182785 (मोबाईल)

2. vuHkkx@Fkkuk Lrj ij :–

mi ifyl v/kh{kd e[;ky; 'kgMky vufoHkkx			
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, शहडोल	अपीलीय अधिकारी	07652–245100(कार्यालय) 07652–245101(निवास) 07652–241522(फैक्स) 9425119688 (मोबाईल)
2.	श्री व्ही. के. दुबे उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शहडोल	नोडल अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	07652–241232(कार्यालय) 07652–245327(निवास) 9425182785 (मोबाईल)
3.	श्री जे. बी. एस. चन्देल थाना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहडोल	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07652–245222 (कार्यालय) 9425343299 (मोबाईल)
vufoHkkxh; vf/kdkjh ifyl /kuijh vufoHkkx			
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, शहडोल	अपीलीय अधिकारी	07652–245100(कार्यालय) 07652–245101(निवास) 07652–241522(फैक्स) 9425119688 (मोबाईल)
2	श्री ए. पी. सिंह अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धनपुरी	लोक सूचना अधिकारी	07652–260972 (कार्यालय) 9826297242 (मोबाईल)
3	श्री व्ही. डी. त्रिपाठी थाना प्रभारी निरीक्षक थाना बुढ़ार	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07652–260032 (कार्यालय) 9826459393 (मोबाईल)
4	श्री भूपेन्द्रसिंह यादव थाना प्रभारी निरीक्षक थाना धनपुरी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07652–250280 (कार्यालय) 9425167650 (मोबाईल)
5	श्री एस. पी. सिंह थाना प्रभारी निरीक्षक थाना अमलाई	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07652–250250 (कार्यालय) 9425186729 (मोबाईल)
6	श्री अषोक मिश्रा थाना प्रभारी उप निरीक्षक थाना जैतपुर	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07657–272230 (कार्यालय) 9425228033 (मोबाईल)
vufoHkkxh; vf/kdkjh ifyl C;kgkjh vufoHkkx			
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, शहडोल	अपीलीय अधिकारी	07652–245100(कार्यालय) 07652–245101(निवास) 07652–241522(फैक्स) 9425119688 (मोबाईल)
2	श्री सी. एल. धुर्वे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी	लोक सूचना अधिकारी	07650–262221 (कार्यालय)
3	श्री अरूण प्रताप सिंह थाना प्रभारी निरीक्षक थाना ब्यौहारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07650–262222 (कार्यालय)
4	श्री टी. एस. गौतम थाना प्रभारी उप निरीक्षक थाना जैसिंहनगर	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07651–221232 (कार्यालय)
5	श्री हितेन्द्रनाथ शर्मा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक थाना देवलोंद	सहायक लोक सूचना अधिकारी	07650–268510 (कार्यालय)

अनुसूचित जाति कल्याण अनुभाग			
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, शहडोल	अपीलीय अधिकारी	07652–245100(कार्यालय) 07652–245101(निवास) 07652–241522(फैक्स) 9425119688 (मोबाईल)
2	श्री व्ही. के. दुबे उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शहडोल (उप पुलिस अधीक्षक अजाक पद रिक्त)	नोडल अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी	07652–241232(कार्यालय) 07652–245327(निवास) 9425182785 (मोबाईल)
3	श्री एस. के. बैनर्जी थाना प्रभारी निरीक्षक थाना अजाक		07652–245108 (कार्यालय) 9826416228 (मोबाईल)

1. यदि पुलिस अधीक्षक या अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के कार्यालय में उनके जिले या अनुविभाग के थानों से संबंधित इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा मांगी जाती है तो ऐसी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय कार्यालय में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिसे सहायक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, के द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी एवं किसी कारणवश उसके द्वारा इन्कार करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिसे जिला कार्यालय का लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, तथा पुलिस अधीक्षक जिसे अपीलीय अधिकारी बनाया गया है, अपील की जा सकेगी ।

02. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)अपने–अपने अनुभाग के लोक सूचना अधिकारी होंगे तथा उनके अधीन आने वाले थानों के थाना प्रभारीगण अपने–अपने थाने के सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे और यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गई कोई सूचना किसी कारणवश देने से इन्कार की जाती है तो शहडोल जिले का पुलिस अधीक्षक अपीलीय अधिकारी होगा।

ifyl dk;ky; dh fofHkUu 'kk[kkvk d drO; ,o 'kfDr;k o fd; tku oky dk;k dk fooj.k fuEukfdr g%&
e[; fyfid

कर्तब्य एवं शक्तियां:–

1– कार्यालय में समस्त कार्यालयीन स्टाफ के कार्यों की सुपरवीजन, डाक मार्किंग, कैष बुक संधारण, पेन्षन प्रकरण, प्रस्ताव एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

2– पी.सी.एण्ड आर. एवं एम.ओ.डब्ल्यू. संबंधी प्रस्ताव, बलवृद्धि का प्रस्ताव, जिले के शासकीय भूमि एवं भवन संबंधी कार्य, आर्म्स लाईसेन्स, परिपत्रों का संधारण, निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
पेन्शन प्रकरण से संबंधित	''अ''	30 दिवस
पी.सी.एण्ड आर. एवं एम.ओ.डब्ल्यू. कार्य	''अ''	30 दिवस
शासकीय भूमि एवं भवन संबंधी कार्य,	''अ''	30 दिवस
आर्म्स लाईसेन्स	''अ''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय / निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री बी. पी. तिवारी	मुख्य लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक पुलिस कन्ट्रोल रूम परिसर	241232 245898 पीपी

2	श्री रहीम अली चिष्ती	सहायक लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोतवाली परिसर	241232 245222 पीपी

'kh?k y[kd

कर्तब्य एवं शक्तियांः–

1– पुलिस के विरूद्ध षिकायतों का निराकरण, विभागीय जांच, मानव अधिकार आयोग से प्राप्त पुलिस विरूद्ध षिकायत पत्रों का निराकरण कराना, अधिकारी/कर्मचारियों का एसीआर का संधारण

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
पुलिस के विरूद्ध षिकायतों का निराकरण, विभागीय जांच, मानव अधिकार आयोग से प्राप्त पुलिस विरूद्ध षिकायत पत्रों का निराकरण कराना, अधिकारी/कर्मचारियों का एसीआर का संधारण	''अ''	30 दिवस
शिकायत का विषय	श्रेणी	समय–सीमा
पुलिस द्वारा जनता से दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, अवैध निरोध, भ्रष्टाचार, दहेज प्रताड़ना एवं हत्या संबंधी शिकायतें	''अ''	15 दिवस
अपराध पंजीबद्ध नहीं करना, झूठा प्रकरण दर्ज करना, दर्ज अपराध एवं शिकायत पर कार्यवाही न करने संबंधी शिकायतें	''ब''	20 दिवस
भूमि, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं करना आदि सामान्य प्रकार की शिकायतें	''स''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री आर. एस. पाण्डेय	ष्षीघ्र लेखक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक जयस्तम्भ के पास	245100 (कार्यालय) 245100 (फैक्स) 9425299802 (मोबाईल) 245978(निवास)

iokpd

कर्तब्य एवं शक्तियांः–

1– गंभीर अपराधों का सुपवीजन, डायजेस्ट संधारण, अनुविभाग एवं थानों का निरीक्षण, साप्ताहिक डायरी रखरखाव, क्राइम मीटिंग, परवाने एवं परिपत्र जारी करना एवं पालन प्रतिवेदन प्राप्त करना, सत्र न्यायालयीन अपीलीय प्रकरणों का संधारण, संमंस वारन्ट तामीली व नियंत्रण

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
गंभीर अपराधों का सुपवीजन, डायजेस्ट संधारण, अनुविभाग एवं थानों का निरीक्षण, साप्ताहिक डायरी रखरखाव, क्राइम मीटिंग, परवाने एवं परिपत्र जारी करना एवं पालन प्रतिवेदन करना, सत्र न्यायालयीन अपीलीय प्रकरणों का संधारण,संमंस वारन्ट तामीली व नियंत्रण	''अ''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री रामकुमार ग्वाल	ष्प्र.आर. 294	कार्यालय पुलिस अधीक्षक हाउसिंग बोर्ड कालोनी	241232 (कार्यालय) 230064(निवास)

vkfdd

कर्तब्य एवं शक्तियांः– लेखा शाखा के अन्तर्गत आने वाले वेतन, भत्ता, कांटिजेन्सी, फण्ड आदि कार्यों का सुपरवीजन, आडिट का पालन प्रतिवेदन, न्यायालयीन याचिकाओं का संधारण, अषासकीय निधियों का कैष बुक संधारण एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
वेतन, भत्ता, कांटिजेन्सी, फण्ड, अषासकीय निधियों	''अ''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री बी. बी. पटेल	आंकिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक पुलिस लाईन परिसर	241232 245833
2	श्री आर. पी. द्विवेदी	वेतन लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोतवाली परिसर	241232 245222 पीपी
3	श्री एम. आर. आसुदानी	फण्ड लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक घरौला मोहल्ला	241232 248244
4	श्रीमती ज्ञानप्रभा रघुवंषी	भत्ता लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक पाण्डवनगर	241232 248153
5	श्रीमती व्ही. मथाई	बिल क्लर्क	कार्यालय पुलिस अधीक्षक पाली रोड शहडोल	241232 240525

LFkkiuk

कर्तब्य एवं शक्तियांः– अधिकारी कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव, स्थानान्तरण, पदोन्नति एवं प्रषिक्षण, अनुकम्पा नियुक्ति, अवकाष, सीक, अनुपस्थित प्रविवरण एवं सजा इनाम प्रविवरण संबंधी कार्य, बैकलाग रजिस्टर का संधारण

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव, कर्मचारियों का स्थानान्तरण, पदोन्नति एवं प्रषिक्षण, अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी कार्य	''अ''	30 दिवस
अधिकारी कर्मचारियों के अवकाष, सीक, अनुपस्थित निराकरण एवं सजा इनाम प्रविवरण संबंधी कार्य	''अ''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री बीरेष श्रीवास्तव	स्थापना लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक बलपुरवा	241232 231287
2	श्रीमती व्ही. मथाई	अवकाष लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक पाली रोड शहडोल	241232 240525

Lkkf[;dh fyfid ¼vk-,e-½

कर्तब्य एवं शक्तियांः– अपराधों की सांख्यिकीय जानकारी का संधारण, लोक सभा एवं विधान सभा प्रष्नों का उत्तर तैयार करना, दस्तावेजों की नकलें प्रदान करना

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
अपराधों की सांख्यिकीय जानकारी का संधारण, लोक सभा एवं विधान सभा प्रष्नों का उत्तर तैयार करना, दस्तावेजों की नकलें प्रदान करना	''अ''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री सुरेष प्रतापसिंह	सांख्यिकी लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन परिसर	241232 248747

fjdkMZ dhij

कर्तब्य एवं शक्तियांः– लेखन सामग्री क्रय एवं वितरण, मांगपत्र भेजना, फर्नीचर एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण का मरम्मत कराने का कार्य, रिकार्ड का संधारण एवं नष्टीकरण

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
लेखन सामग्री क्रय एवं वितरण, मांगपत्र भेजना, फर्नीचर एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण का मरम्मत कराने का कार्य	''अ''	30 दिवस
रिकार्ड का संधारण एवं नष्टीकरण	''अ''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री एम. आर. आसुदानी	रिकार्ड कीपर	कार्यालय पुलिस अधीक्षक घरौला मोहल्ला	241232 248244

vkod tkod fyfid

कर्तब्य एवं शक्तियांः– विभिन्न कार्यालयों से/को आने जाने वाले पत्रों का पंजीयन एवं वितरण कार्य

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
विभिन्न कार्यालयों से/को आने जाने वाले पत्रों का पंजीयन एवं वितरण कार्य	''अ''	30 दिवस

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री डी. के. गुप्ता	आवक जावक लिपिक	कार्यालय पुलिस अधीक्षक नया बस स्टैण्ड के पास	241232

f'kdk;r 'kk[kk %&

कर्त्तव्य एवं शक्तियॉ :–

1– मानव अधिकार आयोग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस मुख्यालयख जोनल पुलिस महानिरीक्षक, रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त तथा जिला मुख्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करना/जांच करवाना/जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही करना/करवाना/आवेदको को वस्तुस्थिति से संसूचित किया जाना।

2– जिला मुख्यालय में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की शिकायतों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकं, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, एवं थाना प्रभारियों से जांच करवाने हेतु भेजा जाता है। इनके जांच प्रतिवेदनों का मूल्यांकन शिकायत शाखा में पदस्थ कर्मचारीगण करते है, तत्पश्चात् मान.मुख्यमंत्री कार्यालय/ गृह (पुलिस) विभाग/ राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रकोष्ठ/ राज्य मानव अधिकार प्रकोष्ठ, जिला दण्डाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक को प्रतिवेदन प्रेषित किये जाते है एवं की गई कार्यवाही की सूचना शिकायतकर्ताओं को दी जाती है।

4– जिला मुख्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों को निम्नानुसार तीन भागों में विभक्त किया जाकर उनकी जांच पूर्ण करने की समय–सीमा निर्धारित की गई हैः–

शिकायत का विषय	श्रेणी	समय–सीमा
आम नागरिकों से प्राप्त षिकायत, प्रताड़ना, अवैध निरोध, भ्रष्टाचार, दहेज प्रताड़ना, भूमि संबंधी एवं हत्या संबंधी शिकायतें	''अ''	15 दिवस
अपराध पंजीबद्ध नहीं कराना, झूठा प्रकरण दर्ज कराना, दर्ज अपराध एवं शिकायत पर कार्यवाही न करने संबंधी शिकायतें	''ब''	20 दिवस
भूमि, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं करना आदि सामान्य प्रकार की शिकायतें	''स''	30 दिवस

नोट– जिलं में शिकायतों के नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिलों में अतिरिक्त पु0अ0 नोडल अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/अजाक, अनुविीागीय अधिकारी पुलिस नोडल अधिकारी तथा थाना प्रभारियों को सहायक नोडल अधिकारी मनोनीत किये गये हैं

5– शिकायत शाखा के नियंत्रण में शिकायतकर्ता का आवेदनपत्र एवं संलग्न सहपत्र, शिकायत से संबंधित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों का जांच प्रतिवेदन, जांच प्रतिवेदन में संलग्न आवेदक/अनावेदक के कथन, साक्ष्यों के कथन, अन्य दस्तावेज रहते हैं। इसके अतिरिक्त अनुविभाग वार/ थानावार शिकायतों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध रहती है।

क्र0	नाम अधिकारी	पद	कार्यालय/निवास	दूरभाष क्रमांक
1	श्री रामलोटन वर्मा	आर. 434	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पाण्डवनगर	241232

fo'k"k 'kk[kk %&

Point-I	The Distt Special Branch is headed by Inspector Shri R.P.Verma whose Hq. is in DPO Shahdol . There are Inspector, S.I., ASI, HCs and Cons looking after Intelligence, Law & order and security of VVIPs, vital installations etc. S.B. HQ is further supported by its field units i.e. Area Officers in Shahdol Districts HQs. The Distt Special Branch of the Shahdol Police deals mainly with the collection, collation, dissemination of intelligence regarding matters of political significance and public importance. It also deals with matters of interest from the security point of view. It assists the Intelligence Bureau in detecting subversive activities by foreign nationals or their Indian agents. One of its important functions is to supply information promptly to the Government on all matters of political and public importance. The other functions are- (a) To communicate to the Intelligence Bureau/Special Branches of other States information which is of interest to them. (b) To communicate to ADG Int. PHQ Bhopal, Zonal Inspectors General of Police, Range Dy. Inspectors General of Police and Superintendents of Police incharge of District and other specified officers important information which is of interest to them. (c) To issue alerts to the District Police on VIP security/ terrorist

	violence etc. on the basis of information received from the I.B./Special Branch . (d) Attempts to tamper with the discipline, performance or loyalty of the armed forces or of the police and allied security services including the Home Guards. (e) Attempts to suborn the loyalty of other services of Government. (f) Espionage and fifth column activities.
Point-II	To monitor Law & order and security of VVIPs, vital installations .Collection and dissemination of Intelligence, verification of passport and characters.
Point-III	There is no public dealing by Special Branch. As regards administration as per rules framed by Govt.
Point-IV	Quick and prompt collection of intelligence and its dissemination to the concerning units.
Point-V	Rules, Regulations, Instructions as laid down by the Govt. from time to time. For the functions of Special Branch , S.B. Manual and DSB manual are available but they are classified documents.
Point-VI	Classified documents.
Point-VII	Not applicable .
Point-VIII	Not applicable .
Point-IX	Not Applicable
Point-X	Not Applicable
Point-XI	Not Applicable
Point-XII	Not applicable
Point-XIII	Not applicable
Point-XIV	Classified documents, not applicable
Point-XV	There is no public dealing by the Special Branch, hence information may please be treated as NIL.
Point-XVI	Not Applicable
Point-XVII	NIL

<u>1- APPELLANT OFFICER</u>

Name of officer	-- Dr- Rajendra Prasad
Designation	-- Supdt OF Police Shahdol
Office address	-- Supdt OF Police Shahdol
Residence address	-- Supdt OF Police Bunglow Near Old Bus Stand Shahdol
Telephone Number	-- Office- 245100 Resi - 245101 Fax -245100, 241522 Mobile 9425118688

2- PUBLIC INFORMATION OFFICER

Name of officer	-- Shri P. S. Uikey
Designation	-- ADDl Supdt of Police, Shahdol
Office address	-- ADDl Supdt of Police, Shahdol
Residence address	-- ADDl Supdt of Police, Bunglow Near Distt Jail Shahdol
Telephone Number	-- Office- 241525 Resi - 245230 Mobile 9425165161

3-ASSTT. PUBLIC INFORMATION OFFICER

Name of officer	-- Shri V. K. Dubey
Designation	-- Deputy Supdtl of Police HD
Office address	-- Supdt OF Police Shahdol
Residence address	-- Deputy Supdt of Police, Bunglow Near Distt Jail Shahdol
Telephone Number	-- Office- 241232 Resi - 245327 Mobile 9425182785

Designation	Telephone/Fax Number		
	Office	Residence	Fax
Shri R.K. Mishra Insp S.B.	241521	231721	241521
Shri R. P. Verma Insp DSB	240350	2451015 PP	240350
Shri S. P. Verma S.I.	240350		
Shri R.L. Verma S.I.	240350		
Shri Skeoshankar Dubey ASI	240350	245105 PP	
Shri C.P Shukla ASI	240350	245222 PP	

miyC/k nLrkostksa dk izoxksZa ds vuqlkj fooj.k

1. गोपनीय असूचनाओं का संकलन
2. ब्लू बुक
3. व्ही0व्ही0आई0पी0 सुरक्षा के निर्देश

miyC/k 'kkldh; nLrkostk dh tkudkjh

क्र0सं0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्राणाधीन
1.	गोपनीय आसूचनायें	गोपनीय सूचना	गोपनीय	संबंधित अधिकारी (पुलिस अधीक्षक)
2.	बुक	ब्लू बुक	जिला विशेष शाखा	–''–
3.	व्ही0व्ही0आई0पी0सुरक्षा	सुरक्षा निर्देश	जिला विशेष शाखा	–''–

विषय	श्रेणी	समय–सीमा
चरित्र सत्यापन / पासपोर्ट	''अ''	15 दिवस

ftyk vijk/k vfHkys[k 'kk[kk@ftyk vijk/k 'kk[kk@vxqy fpUg@dEI;wVj

1	उद्देश्य	जिला अपराध अभिलेख शाखा एवं अपराध से संबंधित सावधिक (Periodical) जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण तथा अपराध एवं अपराधियों से संबंधित Computerised डाटाबेस संधारण करना है। यह शाखा जिला पुलिस के कम्प्यूटराइजेशन के लिये नोडल एजेंसी है । अंगुल चिन्ह ब्यूरो भी इसी का अंग है।
2	मिशन / विजन	ब्यूरो का मिशन है कि :– अ. सभी पुलिस कर्मचारियों में कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान का प्रसार । ब. अपराध एवं अपराधिक आंकड़ों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण तथा आपराधिक विश्लेषण में कम्प्यूटर का उपयोग ।
3	संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	शाखा का गठन 1981 में अपराधिक आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण करने के कार्य को गति देने के लिये अपराध अन्वेषण ब्यूरो (DCB) से पृथक करके किया गया था । तत्समय अस्थाई तौर पर इसमें सीसीआईएस आपरेटर के पद नाम से कुछ कर्मचारियों को कम्प्यूटर में डाटा इंट्री करने के लिये लगाया गया था । शेष समस्त स्टॉफ पूर्वानुसार सामान्य ड्यूटी का था । उपरोक्त स्थिति यथावत चल रही है, गत 23 वर्षों से इसमें कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी दक्षता मापदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।
	मुख्य कृत्य	'kk[kk eq[; dk;Z fuEukuqlkj gS%& 1. जिला अपराध अभिलेख शाखा पुलिस के कम्प्यूटर से संबंधित आधुनिकीकरण योजना बनाना, बजट आवंटन प्राप्त करना तथा स्टेटमेंट तैयार कर वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना। ई मेल प्राप्त करना / भेजना, 2. अपराध एवं अपराधियों से संबंधित आंकड़ों का कम्प्यूटराइजेशन डाटा मैन्टेन करना । 3. विभिन्न सावधिक रिपोर्ट जैसे क्राइम इन इंडिया, क्राइम इन एम.पी., मासिक अपराधिक प्रतिवेदन, मासिक अपराध विश्लेषण, मासिक अपराध सांख्यिकी, जाली मुद्रा, अंतर जिला धोखाधड़ी, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक कान्फ्रेंस के लिये आपराधिक आंकड़ों का

		संग्रह तथा आंकड़ों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन हेतु संबंधित एजेंसी को प्रेषित करना । 4. अंगुल चिन्ह शाखा में अपराधियों के अंगुल चिन्ह का ब्यउचनजमतपेमक डाटा मैन्टेन करना, घटना स्थल का भ्रमण करना , चांस प्रिंट संगेहण, जिले के कर्मचारियों/विवेचना अधिकारियों को फिंगर प्रिंट लेने का प्रशिक्षण देना । 5. कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग मैन्टेन करना । 6. म.प्र. पुलिस की वेबसाइट मैन्टेन करना तथा विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों/इकाईयों से प्राप्त सामग्रीयों को वेबसाइट पर प्रकाशित करना । 7. म.प्र. पुलिस ई–मेल सेटअप को मैन्टेन करना । 8. चोरी गये, बरामद मोटर व्हीकल की जानकारी संग्रह करना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के डाटाबेस से जानकारी लेकर नागरिकों को प्रदान कराना । 9. डीसीबी द्वारा ब्यावसायिक अपराधों का रिकार्ड तैयार करना, घटनास्थल का निरीक्षण करना एवं सूझ लेना, सक्रिय अपराधियों का रिकार्ड तैयार करना, फरार अपराधियों का उद्घोषणा कार्य एवं रिकार्ड रखना, जेल रिहाई रिकार्ड एवं थानों को रिहाई की सूचना देना, बंदियों के अस्थाई मुक्ति एवं स्थाई मुक्ति के संबंध में कार्य करना, ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के कार्य, प्रषिक्षण एवं रिकार्ड, क्रिमिनल ट्राईब्स(कंजर) के सदस्यों द्वारा घटित व्यावसायिक अपराधों का रिकार्ड तैयार करना, गुम इन्सान का रिकार्ड एवं तलाष कार्य,
5	प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	उपरोक्तानुसार
6	विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा	शाखा का अनुभाग एवं थाना स्तर पर कोई अधिनस्थ कार्यालय नहीं है । शाखा को आवश्यक जानकारी जिले के थानों के माध्यम से प्राप्त होती है । इसके ऑपरेशनल कार्य का पर्यवेक्षण, संचालक, अंगुल चिन्ह शाखा द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार डी.सी.आर.बी./डीसीबी/एमओबी/कम्प्यूटर का स्टॉफ भी जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रशासनिक एवं ऑपरेशनल नियंत्रण में है ।
7	लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं ।	ब्यूरो के कार्यों का जनता से सीधा संबंध नगण्य है ।
8	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था	उपरोक्तानुसार
9	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था ।	जनसेवाओं के शिकायतें प्रथमतया उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है । जो इसे यथा संभव मौके पर ही निराकरण करने के लिये पाबंद हैं । समाधान न होने पर संबंधित व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मौके पर कर सकता है ।

		उपरोक्त के अतिरिक्त म.प्र. पुलिस वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था है ।
10	मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	जिला अपराध अभिलेख शाखा/ अपराध शाखा/एमओबी/कम्प्यूटर पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल
11	कार्यालय के खुलने का समय कार्यालय बंद होने का समय	कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30 बजे एवं कार्यालय बंद होने का समय सायं 5.30 बजे ।

,e-vk-ch-

1. श्री गणेष दुबे प्र.आर.	एफिस कार्य संपादन, अं.चि.शाखा के कार्य का कम्प्यूटराईजेषन कार्य ।
2. .रामगोपाल आर. 220	दस्तावेज एवं वस्तु प्रकरण रिकार्ड एवं सर्च कार्य,

सभी शाखा अधिकारी/कर्मचारी फिंगर प्रिंट मैन्युअल तथा पुलिस मैन्युअल में दिये गये अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और समय–समय पर दिये अन्य सभी कार्य भी करेंगे ।

नोट :– प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम 25 रिकार्ड / सर्च स्लिप एंट्री का लक्ष्य रखा जाना चाहिये तथा कोई भी मैचिंग/सत्यापन कार्य पैण्डिगं नहीं रहना चाहिये।

- शनिवार से शुक्रवार तक सेंट्रल सिस्टम में प्राप्त होने वाले समस्त रिकार्ड/सर्च/चांस प्रिंट का सत्यापन कार्य तीन माह में बारी अनुसार एक उप निरीक्षक(अंगुल चिन्ह विषेषज्ञ) व्ही. के. पाण्डेय जिला सीधी संपादित किया जाता है।

dR;k d fuokgu d fy; /kkfjr rFkk i;kx fd; tku oky fu;e] fofu;e] vun'k] funf'kdk vkj vfHkys[k dh lph

vfHkys[k dk uke %&

1. मासिक आपराधिक विश्लेषण (MAC)
2. काइम इन एम.पी
3. दंगा का मासिक नक्शा
7. आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु एवं आत्म हत्यायें एवं पारिवारिक आत्महत्यायें
4. काइम इन इण्डिया

vf/kdkfj;k ,o de:pkfj;k d: uke@inuke vkfn dh tkudkjh %&

d-	uke@ inuke	,lVhMh dkM	njHkk"k		bZ-ey irk
			dk;ky;	vkokl	rajendraprasad @mppolice.gov.in spsdl@sancharnet.in
1	श्री टी. पी. तिवारी उप निरीक्षक डीसीआरबी	07652	248690	245105 पीपी	पुलिस लाइन
2	श्री डी. पी. तिवारी उप निरीक्षक डीसीबी	07652	248690	9425453056	नटराज होटल शहडोल
3	श्री रामदीन वर्मा सहा. उप निरी. डीसीबी	07652	248690	245222 पीपी	थाना कोतवाली परिसर
4	श्री जयवन्त मसीह सहा.उप निरीक्षक एमओबी	07652	248690	9826276267	पुलिस लाइन

v/;k; & 11

शासकीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों का निर्धारण समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता हैं । वेतन भत्तों के निर्धारण (fixation) का कार्य लेखापाल करते हैं । नियंत्रण कर्ता अधिकारी पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के उपरांत सेवा पुस्तिकायें एवं वेतन निर्धारण फार्म संयुक्त संचालक {कोष एवं लेखा} से अनुमोदन हेतु भेजी जाती हैं, अनुमोदन अनुसार वेतन भत्तों का आहरण–वितरण किया जाता हैं ।

माह सितम्बर 2005 में आहरित कुल वेतन भत्ते (Gross Pay) का विवरण निम्नानुसार हैं :–

Office OF The Supdt of Police Shahdol

S .NO.	NAME	RANK	Monthly Remuneration (Gross)
1	Dr. Rajendra Prasad	S.P.	29207
2	Shri P. S. Uikey	Addl S.P	20484
3	Shri V.K.Dubey	DSP HQ	14225
4	Shri C.L. Dhurwe	SDOP	13313
5	Shri A.P.Singh	SDOP	12520
6	Shri	DSP AJK	Vacant
7	Dr. S. P.Singh	FSL	18368
8	Shri J. B.S. Chandel	INSP	12653
9	Shri S.K. Bainarjee	INSP	13915
10	Shri R.S. Baghel	INSP	12379
11	Shri V.D.Tripathi	INSP	12653
12	Shri S.P.Singh	INSP	12110
13	Shri B.S.Yadav	INSP	12108

14	Shri Arun Singh	INSP	12058
15	Shri R.K. Mishra	INSP	13888
16	Shri R.P. Verma	INSP	11716
17	Shri B.P.Tiwari	Sub M	12076
18	Shri R.S. Pandey	Sub M	12108
19	Shri Neeraj Kumar	Sub M	7285
20	Shri B,B, Patel	Sub M	12265
21	Shri B. K. Shrivastav	SI M	11800
22	Shri M.P. Tripathi	SI M	11174
23	Smt V. Mathai	ASI M	11204
24	Shri R.P. Dwievdi	ASI M	10787
25	Shri D.K. Gupta	ASI M	10919
26	Shri Rahim Ali	ASI M	10787
27	Shri Suresh Pratap Singh	ASI M	10204
28	Smt Gyan Prabha	ASI M	8387
29	Shri M.R. Ashudani	ASI M	11011
30	Shri B.P.Mishra	ASI M	10906
31	Shri C.P.Shukla	ASI	9648
32	Shri S.S.Dubey	ASI	8168
33	Shri T.P.Tiwari	SI	9141
34	Shri J. Masih	ASI	6984
35	Shri R.D. Verma	ASI	9493
36	Shri R.L.Verma	SI	9242
37	Shri Ramakant Tripathi	HC	8947
38	Shri Ranbahadur Singh	HC	8792
39	Shri Indrabhan Mishra	HC	8482
40	Shri B.P.Pandey	HC	8482
41	Shri M.L.Verma	HC	8482
42	Shri Ganesh Dubey	HC	8292
43	Shri Ataulla Khan	C	8252
44	Shri Ramdayal	C	8162
45	Shri Nagendra Tiwari	C	7075
46	Smt Pushpalata	C	6405
47	Shri Ajit Kumar Pandey	C	6520
48	Shri Arun Kumar	C	5949
49	Smt Asha	C	7067
50	Shri Heeramani	C	6182
51	Shri Mrigendra	C	5587

52	Shri Sheokumar	HC	8602
53	Shri Radheshyam	C	7680
54	Shri Ramlotan	C	8449
55	Shri Ramkumar	HC	7834
56	Shri Rajendra	C	7828
57	Shri Shailendra	C	5881
58	Shri Man Singh	HC	8298
59	Shri Sharda	C	7930
60	Shri Gajendra	C	7549
61	Shri Rambhuwan	C	7549

ftyk 'kgMky foRrh; o"k 2004&05
,o orieku foRrh; o"k dk ctV ,o 0;; fuEukulkj gi %&

2004&2005

d-	en	iLrkfor ctV	Lohdr ctV	dy 0;;
1	वेतन	31708038	36455000	40446865
2	मंहगाई भत्ता	19695316	19880000	23677866
3	अन्य भत्ते	2097294	2391246	1486000
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	380987	171000	201698
5	अवकाश यात्रा सुविधा	20000	11000	10572
6	पुलिस को पुरस्कार	103240	26000	25940
7	म्जदूरी	137396	75000	74996
8	यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	2318883	2110000	2110076
9	डाक एवं तार व्यय	28680	18000	18000
10	दूरभाष व्यय	571720	4100000	409717
11	पुस्तके एवं पत्रिकाए	6354	8000	7008
12	बिजली एवं जलप्रभार	464619	300000	299919
13	लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	541199	400000	399117
14	अन्य आकस्मिक व्यय	213686	70000	69991
15	पेट्रोल तेल आदि	2867442	2600000	2598946
16	किराया महसूल कर	27220	10000	9175
17	लघु निर्माण कार्य	500000	500000	500000
18	भोजन व्यय	70000	70000	58469
19	खपने वाला सामान	34582	20000	19982
20	वाहन अनुरक्षण व्यय	2632911	700000	698083
21	भोजन एवं परिवहन व्यय	86000	86000	23421

2005&2006

क्रं. सं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	कुल व्यय
1	वेतन	33913100	30000000	16084733
2	मंहगाई भत्ता	17480000	15600000	8239765
3	अन्य भत्ते	1785000	2500000	1029880
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	400000	250000	249992
5	अवकाश यात्रा सुविधा	25000	5000	—
6	पुलिस को पुरस्कार	100000	25000	25000
7	मजदूरी	183144	100000	99176
8	यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	2500000	2100000	842268
9	डाक एवं तार व्यय	18000	18000	10000

10	दूरभाष व्यय	491258	400000	133325
11	पुस्तके एवं पत्रिकाए	10000	8000	—
12	बिजली एवं जलप्रभार	664847	250000	245526
13	लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	350000	350000	70370
14	अन्य आकस्मिक व्यय	165000	60000	39465
15	पेट्रोल तेल आदि	2500000	2100000	1272979
16	किराया महसूल कर	15000	10000	7200
17	लघु निर्माण कार्य	250000	250000	250000
18	भोजन व्यय	70000	60000	15711
19	खपने वाला सामान	20000	20000	—
20	वाहन अनुरक्षण व्यय	1424763	450000	449848
21	भोजन एवं परिवहन व्यय	80000	100000	—

NO.	Nature of applications/Requests	Maximum Nos. of working days allowed for disposal
Establishment Branch		
1.	Advance/withdrawal from GPF	30 days
2.	Festival Advance	07 days
3.	T.A. Advance	07 days
4.	Forwarding of Application for higher/outside posts	07 days
5.	Leave Applications- E.L..	10 days
6.	Medical Reimbursement cases:-	
	(i) The cases to be disposed of within the Department	20 days
	(ii) Cases where opinion of Director Medical Education is required.	90 days
	(iii) After receipt of Recommendation from CGHS	20 days
7.	Issue of NOC for obtaining personal passport	15 days
8.	Sanction of medical advance	15 days
9.	Grant of various permission under conduct rules except property transactions	15 days
10.	Property transaction if all information is submitted in correct format	15 days
11.	Forwarding of application for allotment of official Accommodation/allotment of house	15 days
Statistical Section:-		
12.	Monthly Crime Analysis(Monthly)	20th day of every month
13.	Crime in India(Annual)	31st March every year
14.	Crime in M.P.(Annual)	30th April every year
15.	Data on Suicide & Accidental Death in M.P.(Annual)	31st March every year
16.	Monthly Crime Statistics(Monthly)	20th day of every month
17.	Annual Administrative Report	31st March every year
18.	Statistical data for DGP/IGP conference	
19.	Monthly return of Budget	10 th of Each Month
20.	Monthly Reward/Punishment return	5 th of Each Month
21.	Monthly E-mail Statement	10 th of Each Month
22.	Monthly statement - Interstate Crime/Fraud/Cheating	10 th of Each Month
23.	Finger Print Statements	10 th of Each Month
CCIS Section:-		
24.	CCIS Data Processing	10th day of every month

MOB Section:-		
25.	Entry of Main Crime Record Cards(Monthly)	25th day of every month
26.	Record Maintenance of Lost/Recovered Motor Vehicle(Monthly)	25th day of every month
27.	Monthly statement of Interstate/Inter National Arrested Criminals - Cheating cases(Monthly)	25th day of every month
28.	Enquiry Processing(Daily)	Daily

1	मासिक आपराधिक आंकडे
2	अपराधियों एवं आरोपियों के अंगुल चिन्ह
3	वेतन आंकडे
4	CCIS डाटा
5	वाहनों से संबंधित ''अनापत्ती प्रमाण पत्र''
6	बजट जानकारी
7	गजट सरकुलर, नियम, पुलिस रेग्यूलेशन
8	निविदा
9	ग्रेडेशन लिस्ट
10	शस्त्रा, विदेशियों के रजिस्ट्रेशन, एवं वाहन जांच संबंधी फार्म
11	गुम/प्राप्त संपत्ति
12	अज्ञात मृतक
13	नए प्रोजेक्टस
14	डायरेक्ट्री
15	अपराधियों की कार्य प्रणाली

foHkkx }kjk fofHkUu dk;Zdeks ls lcf/kr tkudkjh %&

lpukvksa dks turk rd igqpkus ds fy;s foHkkx@laxBu }kjk dh xbZ O;oLFkk dk fooj.k %&

- पुस्तकालय
- अखबारों के द्वारा
- सूचना पटल
- अभिलेखों का निरीक्षण
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
- उपलब्ध विभागीय मैनुअल
- लोक प्राधिकरण की वेबसाईट

18-4 fn;s tkus okys iek.k Ik=] vukifRRk iek.k Ik= vkfn ds lc/k es tks dh euqvy 13 es uk lfEefyr gks %&

●	प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण	वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र
●	प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता	वाहन धारक केवल
●	आवेदन करने के लिये कहॉ / किससे सम्पर्क करें	पुलिस अधीक्षक ;कम्प्यूटरद्ध रा.अ.अ. ब्यूरो
●	आवेदन शुल्क ;जहां उचित होद्ध	20/रू. प्रतिवाहन
●	अन्य शुल्क ;जहां उचित होद्ध	
●	आवेदन पत्र का प्रारूप ;यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करेंद्ध	
●	संलग्नकों की सूची	रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति
●	संलग्नकों का प्रारूप	
●	आवेदन करने की प्रक्रिया	स्वयं उपस्थित होकर आवेदन करें
●	आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रियां ;यहां पर उस प्रक्रियां का विवरण दें जों आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है द्ध	वाहन के विरूद्ध जप्ती चोरी या अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज तो नहीं है की एस.सी.आर.बी. के आकड़ो से जांच उपरान्त
●	आवेदन की सारी प्राथमिकता सही तरह से पूरी करने के प्श्चात प्रमाएा पत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र, आदि जारी करने के लिये निर्धारित समय अवधि	उसी दिन ।
●	प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा ;यदि हो तो द्ध	नहीं है ।
●	नवीनिकरण की प्रकिया ;यदि हो तो द्ध	पुनः आवेदन करें ।
●	मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन का डेटा प्राप्त होता है ।	जिसे एस.सी.आर.बी. भोपाल के डाटा से मिलान उपरान्त अनापत्ति प्रमाणप्त्र प्रदान किये जाते है ।

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

- गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी
- गुमशुदा/ जप्त संपत्ति की जानकारी
- अज्ञात मृत व्यक्तियों की जानकारी
- अपराधी संबंधी जानकारी
- आपराधिक आंकड़ों की जानकारी
- विभिन्न नियम, विनियम, निर्देश, अधिनियम
- निविदा प्रकाशन
- पुलिस को शिकायत व उसकी वस्तुस्थिति
- पुलिस अधिकारियों के नाम, पते, दूरभाष नंबर
- जिले के थानों की जानकारी
- नये प्रोजेक्ट की जानकारी

Powers and Duties of Officers and Employees

3.1 Please provide details of powers and duties of officers and employs of the organization :

Designation		
Powers	Administrative	1. As per 3.1
	Financial	1. M.P. Financial code 2. Book of financial power 3. As per Police Regulation and Govt. Departmental circular orders

Rules, Regulations, Instructions, Manual and Records, for Discharging Function

4.1 Please provide list of rules, regulations, instructions manual and records, held by piblic authority or under its control or used by its employees for discharging functions as par the following format, This format, This format has to be filled for each type of document.

4.1 4.1 Please provide list of rules, regulations, instructions, manual and records, held by public authority or under it is control or used by its employees for discharging functions as per the following format. This format has to be filled for each types of document

Name /title of the document: 1. M.P. Police Regulations -Regulation
4. GOP's -

Instructions
Brief write up on the Document:

From where one can get a copy of rules,
Regulations, Instructions, manual and records: 1. Distt Police Headquarters
3. Police Library Shahdol
4. Market
Fee charged by the department for a copy of rules,
regulations, instructions, manual and record (if any)

vtkd] ifyl e[;ky;] Hkkiky e/; izn'k

lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 2 df.Mdk 4 ¼1½ ch dh tkudkjh

1. पुलिस मुख्यालय में वर्ष 1973 में संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत हरिजन कल्याण षाखा का गठन किया गया । इसके उपरांत वर्ष 1995 में अनु0जाति/ अनु0जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के पारित होने के पष्चात नियम 8 के तहत मध्यप्रदेष में अनु0जाति/जनजाति कल्याण शाखा का गठन अति. पुलिस महानिदेषक (अजाक) के भारसाधन में किया गया । इसका मुख्य उद्वेष्य अनु.जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार का प्रभावी ढंग से निवारण करना एवं दोषी व्यक्तियो को दण्डित करना था । इस हेतु जिले में सर्वप्रथम वर्ष 1974 में 6 हरिजन कल्याण थानो की स्थापना की गयी । वर्तमान में मध्यप्रदेष के 48 जिलो में अनु.जाति/जनजाति थानो की स्थापना की गयी है । पुलिस मुख्यालय में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के विरूद्व घटित होने वाले अपराधों के पर्यवेक्षण हेतु अजाक शाखा एवं महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया । जिसके प्रभारी अधिकारी श्री एम.पी. जार्ज, अति. पुलिस महानिदेशक(अजाक) है । इनके अधीन पुलिस महानिरीक्षक (अजाक) श्री स्वर्ण सिंह है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजाक रीवा रेंज रीवा पदस्थ है। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक अजाक भोपाल श्री आई.पी. कुलश्रेष्ठ स0म0नि0 अजाक का कार्य भी देख रहे है । fo'ks"k ifyl Fkkuk v-tk-d- 'kgMky dh LFkkiuk fnukd 21-05-1996 l ftyk 'kgMky e dh xbZ gA कार्यालयीन कार्यो हेतु निम्नानुसार कार्यपालिक बल पदस्थ किया गया है ।

dk;kikfyd cy %&

उप पुलिस अधीक्षक	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सउनि	प्र.आर	आरक्षक
1	1	2	—	03	12

शासन द्वारा वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिलाओं के विरूद्व घटित अपराधों के प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग हेतु 10 पुलिस अधीक्षक अजाक रेंज के पद स्वीकृत किये गये है । जिन्हें प्रदेष की 10 पुलिस रेज में पदस्थ किया गया है । चूंकि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विवेचना का अधिकार मात्र उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को ही दिया गया है । इसलिये प्रदेष के प्रत्येक जिले में उप पुलिस अधीक्षक अजाक–1 के 48 पद तथा उप पुलिस अधीक्षक अजाक–2 (वन स्टेप प्रमोषन के) के 44 पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये है । जिन्हें प्रदेष के विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है । जिलो के अजाक थानो में अनु.जाति/जनजाति वर्ग की षिकायतो पर विधिवत रिपोर्ट लेख कर प्रकरण पंजीबद्व किये जाते है । प्रकरण की विवेचना अधिनियम की धारा 7, द.प्र.स. एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रदेष के सामान्य थानों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग फरियादियों की रिपोर्ट पर भी विधिवत प्रकरण दर्ज कर संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा विवेचना की जा सकती है । इसी प्रकार महिलाओं के विरूद्व घटित अपराधों की रिपोर्ट प्रदेष के महिला थानों के अतिरिक्त किसी भी सामान्य थाने में नियमानुसार लेख की जाती है एवं प्रकरण की विवेचना की जाती है ।

मुख्यालय स्तर पर अजाक शाखा में महिलाओं पर घटित अपराधों की मॉनिटरिंग हेतु पुलिस मुख्यालय में वर्ष 1981 में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है । जहॉ महिलाऍ पुलिस थानो, के अतिरिक्त अपनी षिकायते सीधे महिला प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर सकती है। महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश में महिलाओ पर घटित अपराधिक आकड़ो का संकलन, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है। महिलाओ एवं अनु.जाति/जनजाति वर्ग पर घटित अपराधों के त्वरित निराकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समय–समय पर पुलिस महानिदेषक/अति0पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। महिलाओ पर घटित अपराधो की रोकथाम तथा उन्हे त्वरित न्याय दिलाने की दिषा में प्रदेष के 9 जिलो में महिला थाने संचालित किये जा रहे है शेष 39 जिलो तथा एक पुलिस मुख्यालय हेतु 40 महिला थानो की स्थापना हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है। प्रदेष में अजा/जजा एवं महिलाओं के प्रति पुलिस अधिकारियों को संवेंदनषील बनाने हेतु पुलिस मुख्यालय, रेंज स्तर तथा जिला स्तर पर पुलिस कर्मियो के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। प्रषिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न अषासकीय संगठनों की भी सहायता ली जा रही है। सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में अजा/जजा के छोटे–छोटे विवादो को हल करने हेतु प्रदेष के सभी अजाक थानो में सामाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण केन्द्रो की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त छोटे–छोटे पारिवारिक विवादो के कारण विघटन की कगार पर पहुचे परिवारो को जोडने के उद्वेष्य से प्रदेष के सभी

जिलो में परिवार परामर्ष केन्द्रो की स्थापना की गयी है जिसके सार्थक परिणाम सामने आये है। जिसकी समीक्षा अजाक शाखा द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त अजा/जजा अधिनियम 1995 की धारा 15 अनुसार अजा/जजा वर्ग के पीडित पक्ष को आकस्मिकता राहत योजना 1995 के नियम 12 (4) अनुसार जिलों में पीडित पक्ष को राहत राषि प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं सहायक आयुक्त के अधीन एक कमेटी बनाई गई है जो प्रत्येक माह नियमानुसार पीडित पक्ष को राहत राषि स्वीकृत कर प्रदान करते है । साथ ही पीडित पक्ष को थाने पर बुलाये जाने पर नियमानुसार एक दिवस की दैनिक मजदूरी के बराबर यात्रा एवं भरण पोषण भत्ता प्रदाय किया जाता है ।

अजाक षाखा द्वारा महिलाओं तथा अजा/जजा वर्ग पर घटित अपराधों के संबंध में मासिक अपराध विष्लेषण प्रतिवेदन एवं अजा/जजा अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रतिवेदन षासन को प्रत्येक माह भेजा जाता है।

2. अजाक शाखा में पदस्थ बल एवं स्वीकृत बल की पदस्थापना कालम 1 में दी गयी है। अजाक शाखा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को द0प्र0सं0, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के अनुसार शक्तियॉ प्रदत की गयी है।

3. अजा/जजा वर्ग पर घटित अपराध की सूचना मिलने पर तत्काल अजाक थानो एवं जिले के सामान्य थानो मे प्रकरण पंजीबद्व किये जाते है । इन प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है । जिनका पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक/अति0पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। नियम 6 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक अथवा उप खन्ड मजिस्ट्रेट या उप पुलिस अधीक्षक द्वारा भी घटना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर अजा/जजा वर्गो एवं महिलाओ पर घटित अपराधो की दैनिक सूचना प्रतिवेदन, स्पेषल रिपोर्ट, प्रगति प्रतिवेदन, पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आदि की जानकारी प्राप्त होती है । जिसकी पुलिस मुख्यालय स्तर पर समय–समय पर पुलिस महानिदेषक एवं अति. पुलिस महानिदेषक द्वारा समीक्षा की जाती है । इसी प्रकार इन वर्गो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रो की भी जांच की जाती है ।

4. अजा/जजा अधिनियम के अन्तर्गत घटित अपराध एवं महिलाओ के विरूद्व घटित अपराधों की विवेचना एवं आवेदन पत्रो की जांच नियमानुसार की जाती है ।

5. अजा/जजा वर्ग पर होने वाले अत्याचारो को रोकने के लिये अनु.जाति/जन.जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995, भा.द.वि. विभागीय परिपत्र तथा सामान्य पुलिस निर्देषो के अनुसार कार्यवाही की जाती है । इसी प्रकार महिलाओं के विरूद्व अपराधो की रोकथाम हेतु भा.द.वि तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। संबंधित अधिनियम एवं परिपत्रो की प्रति संलग्न है ।

6. सभी प्रकार के दस्तावेजो एवं अभिलेखो का विवरण विभाग की रिकार्ड शाखा में व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है।

7. अजाक षाखा एवं जिलो में जनता की षिकायतो का निराकरण करने हेतु वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अजाक थानो, परिवार परामर्ष केन्द्र में षिकायत षाखा का गठन किया गया है। जहॉ षिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

8. अजा/जजा अत्याचार निवारण नियम 17 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं अजा/जजा के चुने हुये सदस्य, जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिटरिग समिति का गठन कर पीडित व्यक्तियों को राहत एवं पुर्नवास सुविधाये उपलब्ध कराई जाती है । इस हेतु मीटिंग आयोजित की जाती है । इसी प्रकार नियम 16 के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का गठित की गई है। जिसमें जिला दण्डाधिकारी,, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक अजाक, जिला संयोजक सदस्य है। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के पीडित व्यक्तियो को राहत, पुर्नवास कार्य एवं अभियोजन आदि के संबंध में जिला स्तर पर निर्णय लिये जाते है । जिसकी जानकारी प्रेस को दी जाती है ।

9. जिला शहडोल के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक), थाना प्रभारी अजाक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारियों के दूरभाष की सूची संलग्न है ।

10. अजाक पुलिस थाना में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पुलिस कार्यालय शहडोल में कम्प्यूटरीकृत ढंग से किया जाता है।

11. अजाक शाखा से संबंधित जानकारी कम्प्यूटरीकृत की जा रही है।

12. अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

14. पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अजाक शाखा में सूचना के अधिकार के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद को अपीलीय अधिकारी, प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्री व्ही. के. दुबे (उप पुलिस अधीक्ष्द्वाक मुख्यालय) को लोक सूचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अजाक श्री एस. के. बैनर्जी को सहायक लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

15. अन्य वांछित जानकारी नियमानुसार प्रदाय किये जाने के प्रबंध किये जा रहे है।

vtkd 'kk[kk] iqfyl eq[;ky;] Hkksiky
lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 2 df.Mdk 4¼1½ ch dh tkudkjh

1. पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अजाक शाखा में सूचना के अधिकार के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद को अपीलीय अधिकारी, प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्री व्ही. के. दुबे (उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय) को लोक सूचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अजाक श्री एस. के. बैनर्जी को सहायक लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है।

2 सूचना के अधिकार के तहत इस अधिनियम के धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत सभी नागरिकों को निम्नलिखित सूचनाये प्राप्त करने का अधिकार है । उपरोक्त समस्त जानकारी को निर्धारित समय में कम्प्यूटर में इन्द्राज किया जाकर इन्टरनेंट से जोडा जायेगा ताकि वह पुलिस विभाग की वैबसाइट पर कही भी आसानी से उपलब्ध हो सके ।

3. अनु0 जाति/ज0जाति अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत वर्ष 2005 में वर्तमान में अजाक शहडोल में उप पुलिस अधीक्षक अजाक का पद रिक्त होने से उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री व्ही. के. दुबे कार्य देख रहे हैं। वर्तमान में श्री एस. के. बैनर्जी थाना प्रभारी निरीक्षक अजाक है इनके अधीन उपनिरीक्षक श्री आर. सी. वर्मा, उ.नि.महिला गोदावरी नायक कार्यरत है।

4. इसके अतिरिक्त जिले में स्थापित अजाक थाने में उप पुलिस अधीक्षक, अजाक–1 के 01 पद स्वीकृत है, जो अनूसूचित जाति तथ जन जाति वर्ग के उपर घटित अपराधों का अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार अनुसंधान करते है।

5. जिला स्तर पर महिलाओं पर घटित अपराधों की मॉनिटरिंग हेतु अजाक शाखा में डायजेस्ट संधारित किया जाता है। महिलाओं एवं अजा/जजा पर घटित अपराधो के निराकरण तथा उन पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने एवं महिलाओं तथा अजा/जजा वर्ग के प्रति संवेदनशीलता बरतने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर तथा जिला स्तर पर पुलिस कर्मियो के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। साथ ही महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु समय–समय पर विभाग की ओर से समस्त थाना प्रभारियों/अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देष जारी किये गये हैं जिनका पालन भी जिले के पुलिस थानों द्वारा किया जा रहा हैं ।

6 अजा/जजा अधिनियम तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियो के द्वारा अपराधो की विवेचना संबंधी कार्य किया जाता है ।

7. उप पुलिस अधीक्षक, अजाक द्वारा अजा/जजा वर्ग पर घटित अपराधो का अनुसंधान कर साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में चालान, खात्मा एवं खारिजी संबंधी कार्यवाही की जाती है । जिले के पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा इन अपराधो का पर्यवेक्षण किया जाता है । उक्त प्रकरणो के अनुसंधान में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित भी किया जाता है।

8. अजा/जजा वर्ग को न्याय दिलाने के उद्वेश्य से अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जी.ओ.पी. 115/04 एवं 117/04 जारी किया गया है ।

9. अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जी.ओ.पी. 115/04 एवं 117/04 भी जारी किया गया है तथा महिलाओं पर घटित अपराधो के अनुसंधान के संबंध में जी.ओ.पी 116/04 जारी किया गया है ।

10.. जिलों से सबंधित प्रकरणों की डी0एस0आर0, स्पेशल रिर्पोट, पर्यवेक्षण रिर्पोट, प्रगति प्रतिवेदन आदि से सबंधित जानकारी प्राप्त होती है जिनकी समीक्षा की जाती है ।

11.. अजा/जजा अत्याचार निवारण नियम 1995 के 7(3) के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रत्येक माह में अजा/जजा वर्ग पर घटित अपराधो की समीक्षा पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है।

12.. जिला स्तर पर अजा/जजा से संबंधित अपराधो के निराकरण के संबंध में समय–समय पर बैठक आयोजित कर जांच कर्ता अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिये जाते है तथा इसी प्रकार अनुविभाग स्तर पर भी बैठक की जाती है । बैठक में आये सुझावों के अनुरूप सक्षम कार्यवाही की जाती है ।

13 अजाक शाखा में पदस्थ अधिकारियो तथा कर्मचारियों की सूची संलग्न है ।

14. अजाक शाखा में पदस्थ कर्मचारियों को शासन द्वारा नियमानुसार वेतन भत्ते आदि दिये जा रहे है। अजा/जजा वर्ग पर घटित अपराधो के आसूचना संकलन हेतु गुप्त सेवा निधि से राशि दी जा रही है। अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानो के अनुसार अजा/जजा आकस्मिकता राहत योजना 1995 के नियम 12 (4) के अनुसार पीडित पक्ष को राहत राशि प्रदाय करने की कार्यवाही की जाती है । जो जिला स्तर पर दी जाती है ।

15. विशेष घटक योजना की मांग संख्या 64 के अनुसार अजाक शाखा को बजट उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी संलग्न है।

16. अजा/जजा वर्ग के जमीनी तथा अन्य छोटे–छोटे विवादो को आपसी परामर्श के माध्यम से हल करने हेतु अजाक थाने में परिवार परामर्ष केन्द्र एवं सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र संचालित किये जा रहे है जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे है ।

अजा/जजा वर्गो में इनके अधिकारो का ज्ञान कराने एवं जागरूकता लाने हेतु जन–चेतना शिविरो का आयोजन भी किया जा रहा है।

17. प्रार्थी/प्रार्थिया को थाने में अत्याचार संबंधी रिपोर्ट करने पर एवं अनुसंधान के दौरान यात्रा भत्ता, भरण पोषण, मजदूरी, चिकित्सा संबंधी सहायता शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये मद से प्रदान किया जाता है।

18. अजाक शाखा से संबंधित जानकारी एकत्रित कर कम्प्यूटर में लोड की जा रही है।

19. इस संबंध में बुकलेट तैयार कर कार्यवाही की जा रही है।

20. अजाक शाखा से संबंधित जानकारी का प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार नवीनिकरण किया जावेगा ।

——

ifyl e[;ky;] e/;izns'k Hkksiky
¼vuqlwfpr tkfr@tutkfr izdks"B½
th-vks-ih-Ø- 117@2004 fnukad 29-03-2004

विषयः– अनुसूचित जाति /जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध घटित अपराधों की विवेचना।

&&00&&

अनुसूचित जाति /जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध उत्पीड़न, प्रताड़ना एवं अत्चार संबंधी प्रकरणों तथा उनके संबंध में तत्काल वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु शासन के निर्णयानुसार समस्त जिलों में (नव निर्मित 03 जिलों क्रमषः अनूपपुर, अषोकनगर एवं बुरहानपुर को छोड़कर) अ.जा.क. थाने स्थापित हैं। इन थानों की कार्यवाही के संबंध में समय समय पर आदेष निर्देष जारी किए गए हैं, किन्तु जिलों में अ.जा.क. थानों के कार्य में एकरूपता का अभाव होने से पूर्व में प्रकाषित आदेषों में समयानुकूल परिवर्तन/परिमार्जन कर संकलित/आदेष जारी किया जाना आवष्यक है। अतः प्रत्येक जिले में (03 नव

निर्मित जिलों को छोड़कर) अ.जा.क. थाने स्थापित किए गए हैं एवं प्रत्येक रेंज में पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' के पद निर्मित किये गये हैं। अतः अब पूर्व में प्रसारित जी.ओ.पी. क्र.93/2001 को संषोधित कर निम्नानुसार निर्देष जारी किये जाते हैंः–

vijk/k iath;u %&

01. धारा 154 द.प्र.सं. के अनुसार ही अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 5 में थाने में प्राप्त सूचना पर अपराध पंजीबद्ध करने की प्रक्रिया स्पष्ट अंकित की गई है। तदनुसार अनुसूचित जाति /जनजाति का सदस्य अ.जा.क. अथवा सामान्य थाने जहाँ भी वह रिपोर्ट करता है नियमित रूप से अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए।

02. जिले में पदस्थ समस्त थाना प्रभारी अपराध पंजीयन की प्रथम सूचना पत्र की प्रति के साथ दैनिक रिपोर्ट एवं विषेष रिपोर्ट अ.जा.क. थाना/ उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'', रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' एवं पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे।

03. जिले के सभी थानों से प्राप्त अपराधों का उल्लेख ''अ.जा.क.'' थाने के अपराध पंजीयन रजिस्टर में किया जाकर प्रत्येक माह लंबित सूची बनाई जावें ताकि अपराध से संबंधित आँकड़ों की जानकारी एक साथ उपलब्ध हो सके।

04. गंभीर अपराधों की सूचना वितन्तु संदेष, दूरभाष, फैक्स अथवा ई–मेल के द्वारा तत्काल अ.जा.क. शाखा, उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'', रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' व जिला पुलिस अधीक्षक को दी जावेगी।

05. प्रथम सूचना पत्र में प्रार्थी तथा आरोपी की जाति अनिवार्य रूप से लेख की जानी चाहिए (अ.जा./अ.जा.) भी लिखा जावे साथ ही प्रार्थी के अ.जा./अ.जा. होने के कारण साषय हुई है ऐसा निष्चित हो तो स्पष्ट किया जावे।

foospuk %&

06. थाना प्रभारी अथवा वरिष्ठ पुलिस कर्मी जो भी तत्समय घटना स्थल या रिपोर्ट किये जाने वाले थाने में उपलब्ध है। अपराध पंजीबद्ध करने के तत्काल बाद घटना स्थल की सुरक्षा हेतु घटना स्थल पर पहुँचे तथा विवेचक राजपत्रित अधिकारी के आगमन के समय तक घटना स्थल को समुचित रूप से सुरक्षित बनाये रखे एवं यदि उक्त प्रकरण से संबंधित कोई आरोपी उपलब्ध हो तो उसे भी अभिरक्षा में रखें।

07. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) की धाराओं से प्रयुक्त प्रकरणों की विवेचना निष्चित रूप से राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही किए जाने के संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा कतिपय विचारित प्रकरणों में यह बिन्दु स्पष्ट किया गया है। अतः इस अधिनियम के तहत की जाने जाने वाली विवेचनाओं को राजपत्रित अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' / संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक /पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भी अनिवार्य रूप से विवेचना की जावे। अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को विवेचना के लिए की गई वर्जना का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे।

08. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा यह सुनिष्चित किया जावे कि उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' अथवा जिले में पदस्थ अन्य राजपत्रित अधिकारी को एक समय में औसतन रूप से 04 से अधिक विवेचना न सौंपी जावे ताकि अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना हेतु निर्दिष्ट समयावधि में प्रकरणों को निराकृत किया जा सके।

09. चूंकि अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना हेतु राजपत्रित अणिकारी ही सक्षम हैं। किन्तु कोई भी अपराध घटित होने के तत्काल बाद अराजपत्रित अधिकारी द्वारा ही घटना स्थल की सुरक्षा संबंधी कार्यवाही सम्पादित किया जाना समीचीन होता है। अतः पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित अनुभाग के राजपत्रित अधिकारी/ विवेचक के तत्काल घटना स्थल पर पहुँचकर अग्रिम बैधानिक कार्यवाही करना सुनिष्चित करें।

10. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराध विषेष प्रकरण हैं। अतः इनके पंजीबद्ध होने की सूचना संबंधित थाने के द्वारा तत्काल रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.''/ जिला पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' व क्षेत्रीय राजपत्रित अधिकारी को दी जावे एवं प्रकरणों की विवेचना लगातार की जाकर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी एवं 30 दिन की समयावधि में अनिवार्य रूप से चालानी कार्यवाही सुनिष्चित की जावे।

11. जिन प्रकरणों में फरियादी अनुसूचित जाति /जनजाति का होकर आरोपी सामान्य वर्ग के हों एवं यदि उस प्रकरण में अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा

नहीं लगाई गई है तो उस प्रकरण का परीक्षण जिला पुलिस अधीक्षक/ रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' द्वारा किया जावेगा एवं प्रकरण में अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा लगाया जाना उचित है अथवा नहीं का परीक्षण किए जाने के पश्चात ही प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे।

i;o{k.k %&

12. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराध विषेष प्रकरण माने गए हैं, अतः इन प्रकरणों का पर्यवेक्षण रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' द्वारा भी किया जावे। पर्यवेक्षण प्रतिवेदन की प्रति अ.जा.क. पुलिस मुख्यालय को पृष्ठांकित की जावे।

ifjc/kkRed dk;okgh %&

13. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 10 में यह प्रावधान किया गया है कि अपराध कारित करने वाले संभावित व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटा दिया जावे ताकि वह अपराध न कर सके।

ऐसे व्यक्ति को हटाए जाने का या हट जाने का आदेष निम्न लिखित परिस्थितियों में दिया जा सकता हैः–

(अ) जब पुलिस रिपोर्ट अथवा परिवाद पर विषेष न्यायालय को यह समाधान हो जावे।

(ब) कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में अपराध करेगा।

(स) कोई व्यक्ति अपराध करने वाला हो जो इस अधिनियम की अध्याय 2 की परिधि में आता है।

14. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 10 के अन्तर्गत आदेष पारित करने का अधिकार केवल विषेष न्यायालय को है।

15. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 10 के अन्तर्गत पारित आदेष अधिकतम दो वर्ष तक प्रभावषील रहता है। यह उपबंध अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र की तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस उपबंध का यदि उचित प्रयोग किया जावे तो यह अनुसूचित जाति /जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिये सषक्त उपबंध हो सकता है। इस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत दिये गये आदेष का पालन नहीं किया जाना धारा 13 के अन्तर्गत दंडनीय है।

16. रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' का कार्य पर्यवेक्षण कार्य है, अतः उनके द्वारा रेंज अधीनस्थ अ. जा.क. थानों व अन्य थानों का नियमित भ्रमण कर यह सुनिष्चित किया जावे कि अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना में एवं अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के सदस्यों के द्वारा की जाने वाली षिकायतों के संबंध में अधिनियम की मंषानुसार कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं।

17. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 17 में अनुसूचित जाति /जनजाति के लोगों पर अत्याचारों के निवारण के लिये निवारक कार्यवाही किये जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इस धारा का मुख्य लक्ष्य अपराध घटित होने से पहले उन्हें रोकने के लिये उपाय कर लेना है। इस धारा में निम्नांकित उपाय किये गये हैं :–

(अ) प्रभावित क्षेत्रों को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना।

(ब) शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए कदम उठाना।

(स) सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये योजनाएं बनाना आदि।

18. किसी क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का मुख्य उद्देष्य वहाँ निवारक कार्यवाही के लिये आवष्यक कदम उठाये जाने का मार्ग प्रषस्त करना है। धारा 17(1) में दिये गये प्रावधान अनुसार पुलिस अधिकारी को जो उप पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ स्तर का न हो अधिकार है कि उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में, किन्हीं ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं के द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उनके द्वारा अपराध किये जाने की धमकी दी जा रही है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाये रखने के लिये आवष्यक निवारक कार्यवराही कर सकेगा।

19. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 से 11 में दिये गये प्रावधानों को कारगर ढंग से उपयोग कर अनुसूचित जाति / जनजाति पर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने में काफी सफलता हासिल की जा सकती है।

20. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 17 (3) में उक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिये विभिन्न योजनायें बनाये जाने के संबंध में व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सामान्यतः निम्न योजनायें बनाई जा सकती हैः–

(अ) चिन्हित क्षेत्रों में पुलिस गष्त बढ़ाना।

(ब) दोषी व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही करना।

(स) पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था करना आदि।

f'kdk;r tkp %&

21. थानों पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में यदि प्रकरण का स्वरूप संज्ञेय है तो तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जावे, परन्तु यदि की गई षिकायत का स्वरूप संज्ञेयात्मक नहीं है तो की गई षिकायत की पुष्टि की जा सकती है। आवेदन पत्र जाँच का कोई प्रावधान नहीं है।

22. षिकायत आवेदन पत्र प्राप्त होते ही आदेष पत्र (आर्डर शीट) पर प्रतिदिन की कार्यवाही अंकित की जावे।

23. ऐसे प्रकरण जिनमें अनुसूचित जाति / जनजाति अधिनियम की धारा लगी है उनमें खात्मा या खारजी भेजने से पूर्व उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. एवं रेंज पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. के अनुमोदन की अनिवार्यता होगी।

24. खात्मा अथवा खारजी कता करने पर द.प्र.सं. 173 के अनुसार न्यायालय से स्वीकृत कराना अनिवार्य है।

25. उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क., रेंज पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. एवं जिला पुलिस अधीक्षक के मध्य मत विभिन्नता होने पर ऐसे प्रकरण अ.जा.क. शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल को भेजे जावेंगे।

fty: d: lkeU; Fkkuk }kjk fxj¶rkjh e: lg;kx %&

26. अ.जा.क. थाने के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने में अन्य थानों द्वारा समय पर वांछित सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये। आरोपियों की गिरफ्तारी में अनावष्यक विलम्ब न हो। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में आवष्यक आदेष / निर्देष जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की जावे।

jkgr i:dj.k %&

27. अनुसूचित जाति / जनजाति (आकस्मिकता राहत योजना) नियम 1995 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत दिये जाने का प्रावधान है। नियम 12 (4) के अनुसार ही पीड़ित व्यक्ति को त्वरित राहत प्रदान की जावे।

28. राहत प्रकरण संबंधित विवेचना अधिकारी द्वारा ही तैयार किया जावे।

29. नियमानुसार राहत प्रकरण संबंधी विवेचना अधिकारी द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला संयोजक को प्रस्तुत किये जावे तथा इसकी सूचना अ.जा.क. थाने में भी दी जावे।

30. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा माह में एक बार जिलाध्यक्ष से संपर्क कर राहत प्रकरणों को स्वीकृत कराने की कार्यवाही सुनिष्चित की जावेगी ताकि पीड़ित को यथा समय राहत राषि प्राप्त हो सके।

nk"keqfDr %&

31. पुलिस अधीक्षक प्रत्येक तिमाही में दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' प्रत्येक माह में दोषमुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे एवं दोषमुक्ति में पाई गई त्रुटि के लिये दण्डात्मक कार्यवाही करने की अनुषंसा वरिष्ठ अधिकारी को करेंगे।

lnHkkouk i:th;u %&

32. प्रत्येक थाने में एक सद्‌भावना रजिस्टर रखा जावे जिसमें अनुसूचित जाति / जनजाति एवं सवर्ण के मध्य आपसी विवाद से संबंधित सूचनाएं अंकित की जावे। सूचना के सत्यापन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावे ताकि कोई आपराधिक कृत्य न हो।

lkekftd U;k; ,o l'kfDrdj.k dUn %&

33. प्रदेष के अ.जा.क. थानों में स्थापित सामाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण केन्द्रों में अपासी विवादों को काउंसिलिंग के माध्यम से हल किया जावे एवं इन केन्द्रों पर नियमित बैठकें हो जिसमें भूमि संबंधी एवं अन्य षिकायतों का परामर्ष के द्वारा यथा संभव समाधान किया जावे।

(अ) शासन द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग को दिये गये भूमि पट्टों, कृषि भूमि पर स्वतंत्र एवं सुरक्षित कार्य करने का वातावरण बनें। कृषि कार्य में उन पर अन्य वर्ग के लोगों द्वारा जो

सामान्य प्रकार के विवाद/ अवरोध पैदा किये जाते हैं उन सामान्य षिकायतों को परामर्ष के द्वारा सुलझाया जावे।

(ब) अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुये कर्ज राषि पर प्रभावषाली व्यक्तियों द्वारा अधिक ब्याज वसूलने एवं शोषण से संबंधित सामान्य प्रकृति की षिकायतों का परामर्ष द्वारा हल निकालना एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना।

(स) अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग में एक साथ रहकर बहुत छोटे छोटे मामलों पर लगातार विवाद होता रहता है। इस प्रकार के छोटे छोटे मामले को जो सजातीय हैं उन्हें समय पर परामर्ष के द्वारा सुलझाया जावे।

(द) परामर्ष के पश्चात प्रकरणों पर आवष्यक कार्यवाही करना प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अपराध पंजीबद्ध करना या अन्य विभागों को कार्यवाही के लिये सूचित करना।

(ई) रेंज पुलिस महानिरीक्षक अपने क्षेत्र के समस्त प्रकरणों की मानीटरिंग करेंगे साथ ही की गई कार्यवाही एवं प्रभावी कार्यवाही के संबंध में अमल में लाये जाने वाले कदमों के सुझाव सहित प्रतिवेदन रेंज पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त कर अपने अभिमत सहित अ.जा.क. शाखा पु.मु. भोपाल को भेजेंगे।

Mk; tLV %&

34. अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराधों का डायजेस्ट अ.जा.क. थानों में संधारित किया जावेगा। जिले के सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्राधिकार में पंजीबद्ध अपराधों की कायमी, प्रथम सूचना पत्र की प्रति तत्काल और बाद में विवेचना के सान्हे अ.जा.क. थाने को नियमित रूप से भेजेंगे।

35. जिले के संवेदनषील और असंवेदनषील ग्रामों / क्षेत्रों का निर्धारण पुलिस अधीक्षक से कराकर उसकी एक सूची जिले के प्रत्येक थाने में रखी जावे ताकि विवाद की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सके और आवष्यक हो तो गष्त कराई जा सके।

36. प्रतिवर्ष ऐसे क्षेत्रों का पुनरावलोकन कर सूची को आवष्यकतानुसार संषोधित भी कराई जावे। जिन प्रकरणों की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' द्वारा की जा रही है उन प्रकरणों की विवेना में संबंधित सान्हे अ.जा.क. थाने के रोजनामचे में लिखे जावें।

37. अन्य थानों के अपराधों की विवेचना की रिपोर्ट अ.जा.क. थाने के रोजनामचे में अंकित कर सान्हे की प्रति संबंधित थाने को जहाँ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है भेजी जावे ताकि वहाँ की अपराध पंजी में अधूरी जानकारी न रहे।

38. पुलिस अधीक्षकगण अपने कार्यालय में अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराधों के संबंध में डायजेस्ट संधारित करेंगे ताकि नियम 7(2) के अनुसार 30 दिन के अन्दर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया जा सके। पुलिस अधीक्षक विवेचना अधिकारी को प्रत्येक सप्ताहान्त स्मरण पत्र जारी कर निर्दिष्ट समयावधि में विवेचना पूर्ण कराना सुनिष्चित करेंगे।

39. पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह की क्राईम मीटिंग अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की समीक्षा करेंग तथा विवेचना में विलंब हेतु संबंधित विवेचनाकर्ता का स्पश्टीकरण प्राप्त कर यदि विवेचना अधिकारी द्वारा जानबुझकर उपेक्षा की गई है तो दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण अ.जा.क. शाखा पु.मु. को अनुषंसित करेंगे।

40. सामान्यतः ऐसे प्रकरणों की संख्या नगण्य ही होती है जिनकी विवेचना किन्हीं कारणों से 30 दिन में पूर्ण न होकर चालान न्यायालय में पेष किया जाना संभव न हो सके। फिर भी अपवाद स्वरूप यदि कोई प्रकरण है तो अ.जा.क. शाखा पु.मु. भोपाल से परामर्ष लिया जा सकता है ताकि अविलंब निराकरण संभव हो सके।

41. प्रायः इस प्रकार की षिकायतें प्राप्त होती रहती हें कि थाना प्रभारीगण अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के साथ मारपीट की सूचना को असंज्ञेय रूप से लिख देते हैं वास्तव में अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग का नहीं है सदोष इस प्रकार कार्य करता है तो तत्काल उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

vlK; fjikV dk m-i-v- ^^v-tk-d-** dk Hktu dk nkf;Ro ,oa rLnhd %&

42. अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की असंज्ञेय षिकायत / रिपोर्ट जो रोजनामचे में अंकित की गई हो की प्रतिलिपि संबंधित थाना प्रभारी अविलंब उप पुलिस अधीक्षक''अ.जा.क.'' तथा थाना अ.जा.क. को भेजेंगे।

43. उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' अथवा थाना प्रभारी अ.जा.क. तत्संबंध में रोजनामचे में उक्त रिपोर्ट की सत्यापन रिपोर्ट अंकित करेंगे।

44. जिन प्रकरणों में सत्यापन पर अपराधों का होना पाया जाता है उन्हें अ.जा.क. थानों में पंजीकरण कर नियमानुसार विवेचना प्रारंभ कर प्रतिवेदन संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे ताकि आवष्यकतानुसार कार्यवाही की जा सके।

Fkkuk dk fujh{k.k %&

45. वर्ष में दो बार उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' अपने अधीनस्थ अ.जा.क. थाने का निरीक्षण करेंगे जो कि छःमाही होगा, जबकि रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' /जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सामान्यतः एक बार वार्षिक निरीक्षण किया जावेगा। उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' निरीक्षण टीप रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' /जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे। रेंज पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' एवं जिा पुलिस अधीक्षक अपनी निरीक्षण टीप रेंज पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से अ.जा.क. शाखा पु.मु. भेजेंगे।

रेंज पुलिस महानिरीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रेंज अधीनस्थ जिलों के भ्रमण के दौरान यथा संभव अ.जा.क. थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर समुचित निर्देष देते हुए भ्रमण टीप अ.जा.क. शाखा पु.मु. भोपाल को पृष्ठांकित की जावे।

v-tk-d Fkkuk e inLFkkiuk %&

46. अ.जा.क. थानों में अच्छे अभिलेख एवं अच्छी मानसिकता वाले अधिकारी / कर्मचारी की पदस्थापना की अपेक्षा की जाती है।

lkekU; M;fV;k u yxkuk ckcr %&

47. उप पुलिस अधीक्षक ''अ.जा.क.'' एवं अ.जा.क. थानों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामान्य रात्रि गष्त एवं कानून व्यवस्था आदि की ड्यूटी में नहीं लगाया जावें। यदि ड्यूटी में लगाया जाना आवष्यक हो तो इस संबंध में अ.जा.क. शाखा पु.मु. से अनुमोदन प्राप्त किया जावे।

ifyl e[;ky;] e/; in'k Hkkiky
vuqlfpr tkfr@tutkfr ,o efgyk dY;k.k ikdk"B
¼th-vk-ih-Ø- 93@2001 fnukd 23-03-2001½

विषयः– अ0जा0क0 थानों के कार्य में एकरूपता लाने हेतु दिषा निर्देष ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के प्रताड़ना संबंधित प्रकरणों तथा उनके संबंध में तत्काल वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु वर्ष 1996 में शासन के नीतिगत निर्णय के अनुसार सभी जिलों (नये जिलों को छोड़कर) अ0जा0क0 थाने स्थापित होकर कार्यरत हैं। इन थानों की कार्यवाही के संबंध में समय समय पर आदेष/ निद्रेष जारी किये गये हैं, किन्तु जिलों में अ0जा0क0 थानों के कार्य में एक रूपता के अभाव को देखते हुये यह आवष्यक हो गया है कि पूर्व प्रेषित आदेष/निर्देषों में समयानुकूल आवष्यक परिवर्तन, संषोधन तथा परिमार्जन कर संकलित आदेष/निर्देष जारी किये जावें। वैसे भी हर जिले में (नये जिलों में प्रस्तावित) में अ0जा0क0 थाने बन जाने के कारण विस्तृत आदेष/निर्देष आवष्यक हो गये हैं ताकि अजाक थाने भली प्रकार कार्य करें। तदनुसार अजाक थानों के संबंध में पूर्व प्रसारित आदेषों/निर्देषों को निरस्त कर यह मेनुअल (अजाक) जारी किया जाता है।

2- v/kkfyf[kr fcUnvk dk /;ku j[kk tkuk pkfg,

vijk/k iath;u

01. धारा 154 भा0द0प्र0सं0 के अनुसार ही अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 5 में थाने पर प्राप्त सूचना पर अपराध पंजीबद्ध करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। तदनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति का व्यक्ति अ.जा.क. अथवा सामान्य थानों जहां भी वह रिपोर्ट करता है। नियमित अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिये।

02. अन्य थाना प्रभारी अपराध पंजीयन की सूचना प्रथम सूचना पत्र की प्रति के साथ दैनिक रिपोर्ट एवं विषेष रिपोर्ट के माध्यम से अ.जा.क. थाना/ उप पुलिस अधीक्षक अजाक/ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे।

03. अन्य थानों से प्राप्त अपराधों का उल्लेख अ.जा.क. थाने की अपराध पंजी में किया जाकर प्रतिमाह अपराधों की लंबित सूची बनाई जायेगी ताकि अपराध आंकड़े की जानकारी एक साथ उपलब्ध हो सके।

04. गंभीर अपराध प्रकरणों की सूचना दूरभाष पर अथवा वितन्तु संदेष के द्वारा तत्काल अ.जा. क. थाना / उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क./ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को दी जावेगी।

05. प्रथम सूचना पत्र में प्रार्थी तथा आरोपी की जाति अनिवार्य रूप से इंगित की जानी चाहिये। साथ ही प्रार्थी के अनुसूचित जाति/ जनजाति होने के कारण ही घटना हुई इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये।

foopuk&

01. थाना प्रभारी यदि वह उपस्थित है अथवा अन्य वरिष्ठ पुलिस कर्मी जो उपलब्ध है अपराध कायमी के तत्काल बाद प्रकरण की तत्कालिक विवेचना एवं अन्य कार्यवाही घटना स्थल पर पहुंचकर करेंगे। तदुपरान्त विवेचक प्रकरण की केष डायरी अग्रिम विवेचना हेतु स्थानीय पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. अथवा नगर पुलिस अधीक्षक अथवा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के मौके पर पहुंचते ही सौंपेगा।

02. उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. अथवा नगर पुलिस अधीक्षक अथवा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते ही विवेचना हस्तगत कर पूर्व विवेचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की तस्दीक करेंगे। प्रारंभिक विवेचना में अगर उप पुलिस अधीक्षक से नीचे स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा की गई। जप्ती तथा कार्यवाही पंचनामा मान्य होगी किन्तु उप पुलिस अधीक्षक अथवा उनसे नीचे स्तर के अधिकारी द्वारा विवेचना अपने हाथ में लेने पर पूर्व अधिकारी द्वारा लिये गये समस्त कथनों को उनके द्वारा पुनः लिया जावेगा। उनके द्वारा तत्संबंध में विस्तृत विवरण केष डायरी में अंकित किया जावेगा।

03. अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराध विषेष प्रतिवेदन प्रकरण हैं। अतः अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना प्राप्त होते ही उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. अथवा नगर पुलिस अधीक्षक अथवा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर थाना प्रभारी से विवेचना हस्तगत करेंगे ओर अग्रिम विवेचना लगातार कर शीघ्रातिषीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कर 30 दिन की अवधि में चालानी कार्यवाही सुनिष्चित करेंगे।

04. अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराध प्रकरणों की विवेचना अनुसूचित जाति/ जनजाति के 1995 के नियम 07 (2) अनुसार उप पुलिस अधीक्षक अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा ही की जाना है। अतः सामान्यतः जिलों में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. द्वारा प्रकरण की विवेचना की जावेगी। उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. के उपलब्ध न होने के कारण जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक अथवा नगर पुलिस अधीक्षक अथवा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में प्रकरण की विवेचना की जावेगी।

05. उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क., अ.जा.क. थानों में अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध सभी प्रकरणों की विवेचना करेंगे।

06. कुछ प्रकरण ऐसे हो सकते हैं जिनमें अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारायें नहीं लगी है किन्तु आवेदक अजा/ जजा का है एवं आरोपी सवर्ण जाति का हो। ऐसे प्रकाणों की विवेचना संबंधित थाना प्रभारी स्वयं करेंगे।

07. इन प्रकरणों का पर्यवेक्षण जिले के उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अथवा नगर पुलिस अधीक्षक ही अपने अधिकार क्षेत्र में करेंगे।

08. अगर किसी अपराध विषेष की विवेचना अ.जा.क. थाने से कराई जाना संबंधित पुलिस अधीक्षक आवष्यक समझते हैं तो कारण दर्षाते हुये अत्रजा.क. मुख्यालय से इसकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही विवेचना अ.जा.क. थाने को दे सकेंगे। किन्तु तब तक स्थानीय थाना प्रभारी उसकी नियमित विवेचना आदि की कार्यवाही करेंगे।

09. अन्य थानों से प्राप्त प्रकरणों की अ.जा.क. थाने की अपराध पंजी में अंकित कर विवेचना आदि के संबंध में अन्य प्रकरणों के समान अपटूडेट जानकारी रखी जावेगी।

i;o{k.k&

10. अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध विषेष प्रतिवेदन प्रकरण माने गये हैं। अतः इन अपराधों का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ही किया जाना होगा।

11. पर्यवेक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अ.जा.क. मुख्यालय को भी पृष्ठांकित की जावेगी।

ifrc/kd dk;okgh&

12. अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान किया गया है कि अपराध कारित करने के लिये संभावित व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटा दिया जाये ताकि उसे वहां अपराध करने का मौका न मिल सके।

ऐसे व्यक्ति को हटाये जाने का या हट जाने का आदेष निम्नांकित परिस्थितियों में दिया जा सकता हैः–

01. जब पुलिस रिपोर्ट या परिवाद पर विषेश न्यायालय को यह समाधान हो जाये ।

02. कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में।

03. ऐसा कोई अपराध कारित करने वाला है। जो इस अधिनियम के अध्याय 2 की परिधि में आता है।

इस धारा के अंतर्गत आदेष पारित करने का अधिकार केवल विषेष न्यायालय को है। विषेश न्यायालय भी आदेष केवल तभी पारित कर सकता है। जब उसके सामने कोई परिवाद, कम्प्लेंट या पुलिस रिपोर्ट विद्यमान हों।

13. अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत पारित आदेष अधिकतम 02 वर्ष तक प्रभावषील रहता है। यह उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों की तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिये अधिनियमित किया गया है। इस उपबंध को यदि उचित प्रयोग किया जाये तो यह अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिये सषक्त उपबंध हो सकता है। इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दिये गये आदेष को पालन नहीं किया जाना धारा 13 के अंतर्गत दण्डनीय है।

14. धारा 17 अत्याचार निवारण अधिनियम में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों पर अत्याचारों के निवारण के लिये निवारक कार्यवाही किये जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इस धारा का मुख्य लक्ष्य अपराध घटित होने से पहले ही उन्हें रोकने के लिये उपाय कर लेना है। इस धारा में निम्नांकित उपाय किये गये हैंः–

01. प्रभावित क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना।

02. शांति और सदाचार बनाये रखने के लिये कदम उठाना एवं ।

03. सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिये स्कीम बनाना आदि।

किसी क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोशित करने का मुख्य उद्देष्य वहां निदान कार्यवाही के लिये आवष्यक कदम उठाये जाने का मार्ग प्रषस्त करना है। धारा 17 (1) में दिये गये प्रावधान अनुसार पुलिस अधिकारी को भी जो उप पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे का न हो अधिकारी है कि उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्त्यिों के समूह द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं। इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदार बनाये रखने के लिये आवष्यक निवारक कार्यवाही कर सकेगा।

15. द0प्र0सं0 के अध्याय 8, 10, 11 में दिये गये प्रावधानों को कारगर ढंग से उपयोग कर अनुसूचित जनजातियों पर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने में काफी सफलता हासिल की जा सकती है।

16. धारा 17(3) में उक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिये विभिन्न स्कीमें बनाये जाने के बारे में व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सामान्यतः निम्नांकित स्कीमें बनाई जा सकती हैः–

01. अत्याचार ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस का गष्त बढ़ा देना।

02. दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करना।

03. पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास की प्व्यवस्था करना आदि।

17. भूमि सुधार, राजनैतिक गुटवाद और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व के कारण अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों पर संगठित रूप से सामुहिक हिंसा होने लगी है। इस

प्रकार की स्थिति से निपटने के लिये अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 16 द्वारा राज्य सरकार को सामुहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

18. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 10 क से यह स्पष्ट है कि सामुहिक जुर्माना उसी मामलों में अधिरोपित किया जाता है जहां किसी गांव अथवा क्षेत्र के निवासियों ने मिलकर सामुहिक रूप से ?

01. कोई अपराध कारित किया हो अथवा
02. दुष्प्रेरण किया हो अथवा
03. अपराधियों को संश्रय दिया हो अथवा
04. अपराधियों को पकड़वाने एवं पता लगाने में अपनी शक्ति के अनुसार सहायता नहीं की हो अथवा
05. अपराध के साक्ष्य को छिपाया, दबाया या नष्ट किया हो।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर की गई सामुहिक हिंसा के संदर्भ में सामुहिक जुर्माना एक सषक्त और प्रभावी निवारक उपाय हो सकता है।

Mk; tsLV:–

19. अजाक अपराध का डायजेस्ट अजाक थाने में संधारित किया जावेगा। जिले के सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्राधिकार में पंजीबद्ध अपराध प्रकरणों की कायमी प्रथम सूचना पत्र की प्रति तत्काल और बाद में विवेचना के सान्हे अजाक थाने को नियमित रूप से भेजेंगे। उप पुलिस अधीक्षक ''अजाक'' अपने जिलों के डायजेस्ट का अद्यतन होना सुनिष्चित करेंगे।

20. वे जिले के संवेदनषील और अतिसंवेदनषील ग्रामों/ क्षेत्रों का निर्धारण पुलिस अधीक्षक से करा उसकी एक सूची अजाक थाने में उपलब्ध रखेंगे ताकि विवादों की जानकारी प्राप्त होते ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अविलंब की जा सके और आवष्यक हो तो गष्त कराई जा सके या अस्थाई रूप से पुलिस बल लगाया जा सके।

21. प्रतिवर्ष माह जनवरी में पुनरावलोकन कर सूची को आवष्यकतानुसार संषोधित भी करायेंगे।

22. जिन प्रकरणों की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक ''अजाक'' तथा अजाक थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है उन प्रकरणों के विवेचना से संबंधित सान्हें अजाक थाने के रोजनामचे में ही लिखे जावेंगे।

23. अन्य थानों के अपराध की विवेचना की रिपोर्ट अजाक थाने के रोजनामचे में अंकित कर सान्हे की प्रति संबंधित थाने जहां से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध होकर आया है को भेजी जावेगी ताकि वहां के अपराध पंजिका में अधूरी जानकारी न रहे।

24. अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 7(2) के अधीन 30 दिन के अंदर अन्वेषण पूरा करने की अनिवार्यता है। विवेचना अधिकारी इसका पालन करेंगे।

25. पुलिस अधीक्षक त्रुटिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर प्रतिवेदन रेंज पुलिस महानिरीक्षक को भेजेंगे तथा इसका उल्लेख पाक्षिक प्रतिवेदन में करेंगे।

iqfyl v/kh{kd dk fo'ks"k drZ;%&

26. राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति पर होने वाले उत्पीड़न के संबंध में त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही के लिये जिला पुलिस अधीक्षकों को उत्तरदायी माना है। अतः पुलिस अधीक्षकगण का यह दायित्व है कि तदनुसार कार्यवाही करें।

27. पुलिस अधीक्षकगण अपने कार्यालय में अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों के संबंध में डायजेस्ट संधारित करेंगे ताकि नियम 7(2) के अनुसार 30 दिन के अंदर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।वे 15 वें दिन को पहला तथा 21 वें दिन का दूसरा स्मरण पत्र विवेचना पूर्ण करने हेतु जारी करेंगे।

28. प्रकरण की समीक्षा स्वयं डायरी /विवेचक को बुलाकर प्रकरण का त्वरित निराकरण करायेंगे। विलंब हेतु विवेचना अधिकारी का स्पष्टीकरण भी प्राप्त करेंगे, जिन प्रकरणों में 30 दिन के अन्दर चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कराया जा सकता, उन प्रकरणों की समीक्षा जिले में प्रतिमाह होने वाली क्राईम मीटिंग में कर ली जाये ताकि संबंधित विवेचना अधिकारी को दिषा निर्देष जारी किये जा सकें तथा जिन विवेचना अधिकारियों की जानबूझकर उपेक्षा करने की लापरवाही पायी जाती है उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 4 का सामयिक प्रयोग करते हुये कार्यवाही की जा सकती है।

29. सामान्यतः ऐसे प्रकरण नगण्य ही होते हैं जिनकी विवेचना 30 दिन में पूर्ण कर चालान पेष किया जाना संभव न हो सके। फिर भी अपवाद स्वरूप अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो अजाक मुख्यालय से परामर्ष लिया जा सकता है ताकि अविलंब निकाल संभव हो सके।

30. प्रायः इस तरह की षिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि थाना प्रभारीगण अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के साथ मारपीट की सूचनाओं को असंज्ञेय रूप में लिख देते हैं। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्य नहीं हैं अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्ति के साथ सदोष अपराध करता है तो तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

vne nLrnkth fjikVk dk mi iqfyl v/kh{kd ^^vtkd**@ Fkkuk iHkkjh vtkd dk Hkstuk dk nkf;Ro ,o rLnhd %&

31. अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों की असंज्ञेय षिकायत/ रिपोर्ट जो रोजनामचे में अंकित की गई हो की प्रतिलिपि संबंधित थाना प्रभारी अविलंब उप पुलिस अधीक्षक ''अजाक'' तथा अजाक थाना को भेजेंगे।

32. उप पुलिस अधीक्षक ''अजाक'' अथवा थाना प्र्भारी ''अजाक'' तत्संबंध में रोजनामचे में सत्यापन रिपोर्ट अंकित करेंगे।

33. जिन प्रकरणों में सत्यापन पर अपराध का होना पाया जाता है, उनमें अजाक थाने में अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार विवेचना प्रारंभ कर प्रतिवेदन अजाक मुख्यालय भेजते हुये प्रतिलिपि संबंधित उप पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे ताकि आवष्यकतानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।

f'kdk;rks dh tkap%&

34. अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों पर जातियों एवं अत्याचार से संबंधित षिकायतों की उच्च प्राथमिकता के आधार पर जांच की जावेगी, त्वरित षिकायत जांच नहीं कराने से जहां पीड़ित व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता वहीं दूसरी ओर शासन को निर्धारित समय पर उत्तर भेजने में परेषानी होती है।

35. षिकायत/ आवेदन पत्र प्राप्त होते ही आदेष पत्र (आर्डरषीट) पर दिन प्रतिदिन की कार्यवाही अंकित करना उपयोगी होगा।

[kkRek ,o [kkjth Hkkth tkus ds iwo mi iqfyl v/kh{kd ^^vtkd** ds vuqeknu dh vfuok;Zrk :–

36. अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989के प्रकरणों में खात्मा एवं खारजी बिना उप पुलिस अधीक्षक ''अजाक'' की अनुमति के नहीं भेजी जावेगी।

37. उप पुलिस अधीक्षक''अजाक''और पुलिस अधीक्षक के बीच मत भिननता होने पर ऐसे प्रकरण पुलिस मुख्यालय ''अजाक'' शाखा भोपाल को भेजे जायेंगे।

lkekU; Fkkuks dk fxj¶rkjh esa lg;ksx%&

38. अजाक थाने के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आरोपियों को बंदी बनाने में अन्य थानों द्वारा समय पर वांछित सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये। ताकि आरोपियों की गिरफ्जारी में अनावष्यक बिलम्ब न हो। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में आवष्यक आदेंष/ निर्देष जारी कर प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।

jkgr ds izdj.kks dk rS;kj dj Lohd`r djkus dh ftEesnkjh%&

39. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्यावचार निवारण) अधिनियम 1989 सहपठित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्यावचार निवारण) नियम 1995 की आकस्मिकता योजना तथा योजना 1005 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत दिये जाने का प्रावधान है किन्तु पर्याप्त ध्यान के अभाव में काफी बड़ी संख्या में राहत प्रकरण लंबित रहते हैं और पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित राहत नहीं मिल पाती है।

40. नियमानुसार राहत प्रकरण संबंधित विवेचना अधिकारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी/ उप पुलिस अधीक्षक अजाक/ नगर पुलिस अधीक्षक 15 दिनों में तैयार कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से स्वीकृत हेतु जिला संयोजक /जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। इसकी सूचना अजाक थानों में भी देंगे। ताकि राहत प्रकरणों का लेखा जोखा संधारित किया जा सके।

41. पुलिस अधीक्षक रूचि लेकर जिलाध्यक्ष से सम्पर्क कर राहत प्रकरणों के तत्परता से स्वीकृत करायेंगे एवं यह भी सुनिष्चित करेंगे कि राहत पीड़ित व्यक्ति को समय पर वितरित हो।

nks"keqfDr ds izdj.kksa dh leh{kk%&

42. पुलिस अधीक्षक प्रत्येक तिमाही दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करेंगे साथ ही दोषमुक्ति में पाई गई त्रुटि के लिये संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिष्चित करेंगे।

vtkd Fkkuk e jftLVjk@vfHky[kk dk l/kkj.k%&

43. अजाक थानों में निम्न रजिस्टरों को संधारित किया जावेगा :–

01. प्रथम सूचना पत्र 02. अपराध रजिस्टर, 03. कैष बुक, 04. लेजर बुक, 05. चालान रजिस्टर, 06. आवक जावक रजिस्टर, 07. संमंस रजिस्टर, 08. वारन्ट रजिस्टर, 09. तैनाती रजिस्टर, 10. भवन रजिस्टर, 11. स्टाक रजिस्टर, 12. जब्ती माल रजिस्टर, 13. मेडिकल रजिस्टर, 14. केष डायरी रजिस्टर, 15. मेडिकल अवकाष/अन्य अवकाष रजिस्टर, 16. राहत प्रकरण रजिस्टर, 17. गिरफ्तारी पंजी, 18. रोजनामचा, 19. रेल्वे वारन्ट रजिस्टर, 20. मोटर वारन्ट रजिस्टर, 21. ट्रंक काल रजिस्टर, 22. स्आम्प रजिस्टर, 23. यात्रा भत्ता रजिस्टर, 24. परिलक्षित क्षेत्रों का रजिस्टर, 25. सजायाबी का रजिस्टर, 26. व्यथा रजिस्टर, 27. भ्रमण/ निरीक्षण रजिस्टर, 28. अन्य रजिस्टर जो अन्य आकसिमक अभिलेख थाने का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये रखना आवष्यक हो।

lnHkkouk ith%&

44. प्रदेष के प्रत्येक थानों में एक सद्भावना रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें अजा/ जजा और सवर्णों के मध्य आपसी विवाद से संबंधित सूचना अंकित की जावेगी। सूचना के सत्यापन पर प्रतिबंधक कार्यवाही की जावेगी ताकि कोई आपराधिक कृत्य न होने पाये।

Fkkuk dk fujh{k.k%&

45. वर्ष में दो बार उप पुलिस अधीक्षक "अ.जा.क." अ.जा.क. थाने का छःमाही निरीक्षण करेंगे। जबकि पुलिस अधीक्षक /अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सामान्यतः एक बार वार्षिक निरीक्षण किया जावेगा।

46. निरीक्षण टीप की प्रतिलिपि अजाक मुख्यालय भेजी जावेगी ताकि मुख्यालय आवष्यकतानुसार आदेष/ निर्देष जारी किया जा सके।

47. उप पुलिस अधीक्षक अजाक निरीक्षण टीप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे जिसे पालन हेतु पुलिस अधीक्षक अजाक थाने भेजेंगे।

vtkd Fkkuk d iHkkjh ,o vU; mi fujh{kd@i/kku vkj{kd }kjk Hke.k%&

48. अजाक थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक अजाक को सूचित कर दौरा करेंगे ओर लौट कर आने पर जानकारी रोजनामचे एवं अन्य पंजियों में अंकित करेंगे।

49. उप पुलिस अधीक्षक अजाक पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर भ्रमण करेंगे।

v-tk-d Fkkuk dh inLFkkiuk%&

50. अ.जा.क. थानों में अच्छे अभिलेख एवं अच्छी मानसिकता वाले कर्मचारी ही पदस्थ हो । पुलिस अधीक्षक द्वारा अजाक गिाने में कर्मचारी की पदस्थापना करते समय इसका विषेश ध्यान रखा जावें।

lkekU; :fVu M;fV;k u yxkbZ tkuk%&

51. उप पुलिस अधीक्षक "अ.जा.क." एवं अ.जा.क. थाने के अधिकारी एवं कर्मचारियों को सामान्य रात्रि गष्त एवं कानून व्यवस्था आदि की रूटिन ड्यूटी में नहीं लगाया जावेगा।

52. अजाक थानों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी कानून व्यवस्था आदि के लिये केवल अत्यंत आकस्मिक और आपात स्थिति में लगाया जा सकेगा। क्योंकि ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी शाखा के विनिर्दिष्ट कार्य के कलिये पदस्थ किये जाते हैं। यह आवष्यक है कि उन्हें जिस विषेष कार्य के लिये पदस्थ किया गया है उस कार्य को वे सक्षमता से कर सके।

53. ऐसा करना अपरिहार्य होने पर अ.जा.क. मुख्यालय को सूचित किया जावेगा।

okgu%&

54. अजाक थानों को जो वाहन उपलब्ध कराये गये हैं वे भारत सरकार द्वारा योजना विषेश के अन्तर्गत विषेष प्रयोजन के लिए क्रय किये गये हैं अतः उन वाहनों को अजाक थानों के लिये ही उपयोग किया जाना चाहिये ताकि अजाक थानों का कार्य प्रभावित न हो।

55. भविष्य में अजाक थाने को उपलब्ध वाहन को किसी अन्य अधिकारी को आबंटित न किया जावे और न ही इसको किसी अन्य कार्य में लगाये जायें।

56. उप पुलिस अधीक्षक अजाक छःमाही निरीक्षण के दौरान ड्रायवर डायरी और लॉग बुक चेक कर स्पष्ट करेंगे कि वाहन केवल अजाक कार्य में ही उपयोग किया गया है।

lkeku;%&

57. शासन के पत्र क्र. 75–1/77/3/1 दिनांक 01.10.77 का पालन कड़ाई से करते हुये अजा/जजा के व्यक्तियों के साथ समानता एवं सद्व्यवहार करें ताकि उन्हें ऐसा अनुभव हो कि शासकीय अधिकारी उनके हमदर्द हैं एवं शासन उनकी उन्नति एवं उनकी प्रताड़ना पर त्वरित एवं सामयिक बैधानिक कार्यवाही करने हेतु दृढ़ संकल्पित एवं तत्पर है।

Expenditure of Special Police Station AJK Shahdol

S .NO.	NAME	RANK	Monthly Remuneration (Gross)
1	Shri S.K. Bainerjee	Ins	13915
2	Shri R.C. Verma	SI	10242
3	Smt G. Nayak	SI	-
4	Shri Balram Singh	HC 163	8456
5	Shri Ramesh Patel	HC 295	8475
6	Shri Ramgopal	HC 214	`8319
7	Shri Manharan Lal	HC 463	8474
8	Shri Charan Singh	C 459	7315
9	Shri Bhisham Singh	C 205	7689
10	Shri Amer Singh	C 160	6289
11	Shri Narbada Pd	C 415	8154
12	Shri Ganesh Singh	C 223	7843
13	Shri Pratap Singh	C 38	7688
14	Shri Rampal	C 225	7687
15	Shri Gendalal	C 349	7687
16	Shri Khaliulla	C 386	7665
17	Shri Omprakash	C 364	7167
18	Shri Vimalchand	C 26	6891
19	Shri Rai Singh	C 243	6677
20	Shri Santosh	C 388	5689

अनुसूचित जाति विरूद्ध सामान्य जाति पर घटित अपराधों का त्रिवर्षीय तुलनात्मक जानकारी अ.जा.क. शहडोल म.प्र.
अवधि(1) दिनांक 01.01.2003 से 31.07.2003 तक (2) दिनांक 01.01.2004 से 31.07.2004 तक (3) दिनांक 01.01.2005 से 31.07.2005 तक

Ø-	vijk/k 'kh"k	o"kZ	fjiksVZ	r¶rh'k	vne r¶rh'k	[kkRek	[kkjth	fxj0		pkyku		ltk		cjh		jkthukek		dksVZ isfMax		iqfyl isfMax	
								izd-	eqy-	izd-	eqy-	izd-	eqy-	izd-	eqy-	izd-	eqy-	izd-	eqy-	izd-	eqy-
1.	हत्या	2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	01	01	–	–	–	01	03	01	03	–	–	–	–	–	–	01	03	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	हत्या प्रयास	2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	अपहरण	2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बलात्कार	2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	01	01	–	–	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–	–	01	01	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	बल्वा	2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	आगजनी	2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गंभीर चोट	2003	01	01	–	–	–	01	01	01	01	–	–	–	–	–	–	01	01	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2005	01	01	–	–	–	01	04	01	04	–	–	–	–	–	–	01	04	–	–
8.	अन्य भादवि	2003	10	10	–	–	–	09	19	09	19	–	–	–	–	–	–	09	19	01	–
		2004	05	05	–	–	–	05	05	05	05	–	–	–	–	–	–	05	05	–	–
		2005	05	05	–	–	–	04	06	04	06	–	–	–	–	–	–	04	06	01	–
	महायोग	2003	11	11	–	–	–	10	20	10	20	–	–	–	–	–	–	10	20	01	–
		2004	07	07	–	–	–	07	09	07	09	–	–	–	–	–	–	07	09	–	–
		2005	06	06	–	–	–	05	10	05	10	–	–	–	–	–	–	05	10	01	–
अनु0जाति / जनजाति अत्या0 निवा0अधिनियम		2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

vu|lfpr tutkfr fo:) lkekU; tkfr ij ?kfVr vijk/kk dk f=o"kh; rqyukRed tkudkjh v-tk-d- 'kgMksy e-i-
vof/k ¼1½ fnukad 01-01-2003 ls 31-07-2003 rd ¼2½ fnukad 01-01-2004 ls 31-07-2004 rd ¼3½ fnukad 01-01-2005 ls 31-07-2005 rd
uD'kk jkgr iadj.k vu|lfpr tkfr fo:) lkekU; tkfr Fkkuk v-tk-d- 'kgMksy e-i-

Ø-	vijk/k 'kh"kZ	o"kZ	fjikVZ	r¶rh'k	vne r¶rh'k	[kkRek	[kkjth	fxj0		pkyku		lk		cjh		jkthukek		dkVZ ifMx		ifyl ifMx	
								i%d-	ey-	i%d-	ey-	i%d-	ey-	i%d-	ey-	i%d-	ey-	i%d-	ey-	i%d-	ey-
1.	हत्या	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	01	01	—	—	—	01	01	01	01	—	—	01	01	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	हत्या प्रयास	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	02	02	—	—	—	02	04	02	04	—	—	01	01	—	—	01	03	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अपहरण	2003	01	01	—	—	—	01	04	01	04	—	—	—	—	—	—	01	04	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	01	01	—	—	—	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	01
4.	बलात्कार	2003	04	04	—	01	—	03	08	03	08	—	—	01	06	—	—	02	02	—	—
		2004	07	07	—	—	—	07	07	07	07	—	—	03	03	—	—	04	04	—	—
		2005	04	04	—	—	—	04	06	04	06	—	—	—	—	—	—	04	06	—	—
5.	बल्वा	2003	01	01	—	—	—	01	07	01	07	—	—	—	—	—	—	01	07	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	आगजनी	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गंभीर चोट	2003	01	01	—	—	—	01	01	01	01	—	—	—	—	—	—	01	01	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	अन्य भा.द.वि.	2003	23	23	—	—	—	23	39	23	39	07	08	08	16	—	—	08	15	—	—
		2004	17	17	—	—	—	17	27	17	27	—	—	03	07	—	—	14	20	—	—
		2005	11	11	—	—	—	10	20	09	21	—	—	—	—	—	—	09	21	02	01
महायोग		2003	30	30	—	01	—	29	59	29	59	07	08	09	22	—	—	13	29	—	—
		2004	27	27	—	—	—	27	39	27	39	—	—	08	12	—	—	19	27	—	—
		2005	16	16	—	—	—	15	29	13	27	—	—	—	—	—	—	13	27	03	02
अनु0जाति/ जनजाति अत्या0 निवा0अधिनियम		2003	01	01	—	—	—	01	04	01	04	—	—	01	04	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

fnukd 01-03-03 ls 31-07-03] fnukd 01-03-04 ls 31-07-04 ,o fnukd 01-03-05 ls 31-07-05 rd

Ø	vijk/k 'kh"k	o"k	rS;kj dj Hkstk x;s jkgr izdj.k	Lohd`r jkgr izdj.k		fujLr jkgr izdj.k	LFkkukUrj.k jkgr	Lohdfr grq lfefr dks ikl yfcr jkgr izdj.k	ifyl dks ikl yfcr jkgr izdj.k
				izdj.k	jkf'k		izdj.k		
01	हत्या	2003	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–
02	हत्या का प्रयास	2003	–	–	–	–	–	–	–
		2004	01	01	150000	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–
03	बलात्कार	2003	–	–	–	–	–	–	–
		2004	01	01	25000	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–
04	अपहरण	2003	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–
05	बल्वा	2003	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–
06	आगजनी	2003	–	–	–	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–
		2005	–	–	–	–	–	–	–
07	गंभीर चोट	2003	01	01	6250	–	–	–	–
		2004	–	–	–	–	–	–	–
		2005	01	–	–	–	–	01	–
08	अन्य ता.हि.	2003	09	08	81250	01	–	–	–
		2004	05	04	62500	01	–	–	–
		2005	04	04	43750	–	–	–	–
योग		2003	10	09	87500	01	–	–	–
		2004	07	06	23750	01	–	–	–
		2005	05	04	43750	–	–	01	–

uD'kk jkgr i:dj.k vuqlfpr tutkfr fo:) lkekU; tkfr Fkkuk v-tk-d- 'kgMksy e-i-
fnukd 01-03-03 l 31-07-03] fnukd 01-03-04 l 31-07-04 ,o fnukd 01-03-05 l 31-07-05 rd

Ø	vijk/k 'kh"k	o"k	r;kj dj Hkt x; jkgr i:dj.k	Lohdr jkgr i:dj.k		fujLr jkgr i:dj.k	LFkkukUrj.k jkgr i:dj.k	Lohdfr gr lefr d ikl yfcr jkgr i:dj.k	ifyl d ikl yfcr jkgr i:dj.k
				i:dj.k	jkf'k				
01	हत्या	2003	—	—	—	—	—	—	—
		2004	01	01	75000	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—
02	हत्या का प्रयास	2003	—	—	—	—	—	—	—
		2004	02	02	31250	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—
03	बलात्कार	2003	04	03	75000	01	—	—	—
		2004	07	06	150000	—	01	—	—
		2005	03	02	50000	—	01	—	—
04	अपहरण	2003	01	01	6250	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—
05	बल्वा	2003	01	01	25000	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—
06	आगजनी	2003	—	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—
07	गंभीर चोट	2003	01	01	6250	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—
08	अन्य ता.हि.	2003	24	23	331250	—	01	—	—
		2004	17	12	150000	05	—	—	—
		2005	07	04	62500	—	03	—	—
योग		2003	31	30	443750	—	01	—	—
		2004	27	21	406250	05	01	—	—
		2005	10	06	112500	—	04	—	—

vR;kpkj fuokj.k vf/kfu;e 2002&2003] 2003&2004] 2004&2005 ;ktukUrxr ykHkkfUorks dh l[;k
fo'k"k ifyl Fkkuk vtkd ftyk 'kgMky e-i-

Ø-	;ktuk dk uke	miyC/k vkcVu	o"k 2002&2003				miyC/k vkcVu	o"k 2003&2004				miyC/k vkcVu	o"k 2004&2005			
			vu-tkfr		vu-tutkfr			vu-tkfr		vu-tutkfr			vu-tkfr		vu-tutkfr	
			idj.k	0;; jkf'k	idj.k	0;; jkf'k		idj.k	0;; jkf'k	idj.k	0;; jkf'k		idj.k	0;; jkf'k	idj.k	0;; jkf'k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	गवाहों का यात्रा भत्ता	38000	03	110	18	632	4000	07	888	16	3036	4000	07	1546	19	2419
02	भोजन डाईट	—	03	300	28	2970	—	09	900	19	2500	—	07	950	21	3425
03	मजदूरी की पूर्ति	—	03	151	28	2918	—	09	781	19	3028	—	07	661	21	3454
04	चिकित्सा सुविधा	—	—	—	01	80	—	02	487	05	720	—	—	—	05	768
योग		38000	09	561	75	3980	4000	27	3056	59	9284	4000	21	1767	66	10066
										कुल प्राप्तराषि				40000=00		
										खर्च राषि				13223=00		
										शेष राषि				26777=00		

अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं आकस्मिकता योजनाओं के क्रियान्वयन के अन्तर्गत राहत भुगतान पुनर्वास समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति का बैठक जिलाध्यक्ष महोदय शहडोल की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2005 को आयोजित की गई थी। बैठक में पुलिस अन्वेषण के दौरान पीड़ित/पीड़िता तथा गवाहों को यात्रा भत्ता, भरण पोषण, मजदूरी तथा चिकित्सा सुविधा संबंधी गत वर्षों में इन मदों हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय को राषि उपलब्ध कराई गई थी। इन मदों में व्यय की गई राषि की जानकारी निम्नानुसार है:—

Ø-	o"k	miyC/k djkbZ xbZ jkf'k	0;; dh xbZ jkf'k	'k"k jkf'k
01.	2002—03	38,000=00	7,161=00	30,839=00
02.	2003—04	40,000=00	11,652=00	28,348=00
03.	2004—05	40,000=00	12,966=00	27,034=00
;kx		1]18]000¾00	31]779¾00	86]221¾00

lkeqnkf;d ifyl 0;oLFkk (Community Policing)

महिलाओं को उनके परिवारजनों द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़न को रोकना, अनेक महत्वपूर्ण मामलों तथा हत्या या आत्महत्या के प्रकरणों में पुलिस पर्याप्त ध्यान देती है, लेकिन अन्य संज्ञेय मामलों में जो महिलाओं के प्राप्त होते हैं, पुलिस उतनी संवेदनषील नहीं होती है। यदि किसी महिला द्वारा थाने में रिपोर्ट की जाती है तो पुलिस प्रकरण तो दर्ज करती है। परिवार के सदस्य जो अपराधी होते हैं, गिरफ्तार किये जाते हैं, कानून अपना काम करता है, परिणाम यह होता है कि परिवार टूट जाता है तथा उक्त महिला को अपने बच्चें के साथ तकलीफ भुगतनी पड़ती है। अधिकांष महिलाओं को भविष्य में आने वाले ऐसे परिणामों की जानकारी होने की संभावना के कारण वे चुपचाप इन अत्याचारों को सहकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती। प्रारंभिक स्तर पर महिलाओं से संबंधित अधिकांष पारिवारिक प्रकरण असंज्ञेय प्रकृति के होते हैं, इन प्रकरणों में यदि पीड़ित महिला थाने में रिपोर्ट करने जाती है तो पुलिस उन्हें असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट मानकर धारा 155 जा.फौ. के तहत न्यायालय में अपनी व्यथा सुनाने जाने हेतु सलाह देती है। पुनः महिला असहाय हो जाती है, क्योंकि परिवारजनों के विरूद्ध न्यायालय में जाने हेतु वह सामर्थ्यहीन होती हैं। पीड़ित महिला द्वारा पुलिस तथा कचहरी में जाने से पर्याप्त कानूनी ज्ञान व साहस के अभाव में डरती है। इस कारण वह इस उत्पीड़न को चुपचाप सहती है।

परिवार परामर्ष केन्द्र शहउोल क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण जिला शहडोल है। पीड़ित परिवारों को निःषुल्क एवं शीघ्र सहायता पहुंचाने हेतु परिवार परामर्ष केन्द्र की शाखायें अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी एवं धनपुरी के कार्यालय में भी प्रारंभ करने हेतु निर्देषित किया गया है। इस परामर्ष केन्द्र में पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए शासकीय एवं अषासकीय व्यक्तियों की समिति गठित की जाकर माह में दो बार (प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को) बैठक आयोजित किये जाने तथा आवेदकों की षिकायतों का निराकरण आपसी सूझबूझ एवं समझाईश के माध्यम से किया जावें। इसी तारतम्य में इस परिवार परामर्ष केन्द्र के कार्य क्षेत्र को और बढ़ाते हुए, इसे न केवल इसे पति–पत्नी के आपसी विवादों को सुलझाने का स्थान मात्र तक सीमित कर इसमें भाई–भाई, पिता–पुत्र, सास–बहू एवं पड़ोसियों के छोटे–छोटे आपसी विवादों को भी सुलझाने के लिए उचित मंच मानते हुए, इन विवादों को भी इसमें शामिल किया जावे। इस परिवार परामर्ष केन्द्र में प्राप्त षिकायतों/आवेदन पत्रों में मुख्यतः दहेज संबंधी षिकायतें, मारपीट तथा गाली–गलौज एवं पति द्वारा दूसरी पत्नी रख लेने संबंधी विवाद की षिकायतें प्राप्त होती हैं।

इन समस्यों से दो चार होने वाली महिलाओं के पति शराब सेवन कर मारपीट करते हैं। ऐसी समस्यायें थाने में रिपोर्ट कर देने मात्र से नहीं सुलझ सकती। इन समस्याओं को दूर करने की गरज से पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा समय समय पर आवष्यक निर्देष जारी किये जाकर सामुदायिक पुलिस व्यवस्था **(Community Policing)** के तहत ''परिवार परामर्ष केन्द्र शहडोल'' स्थापित है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण शहडोल जिला है तथा पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय

भोपाल के परिपत्र क्र.पुमु/अजाक/9061/05 दिनांक 22.06.05 के परिपालन में इस कार्यालय के पत्र क्र. पु.अ./शह./रीडर/472/05 दिनांक 11.07.05 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी एवं धनपुरी को अनुविभाग स्तरीय परिवार परामर्ष केन्द्र प्रारंभ करने हेतु निर्देषित किया गया है।

इसी तरह सामाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण केन्द्र, हेल्प लाइन सेवा, बाल मित्र थाना, दुर्घटना में घायलों को चिकित्सकीय सहायता, विकलांगों की सहायता, वृद्धजनों की सहायता, घरेलू नौकरों का चरित्र सत्यापन, संकटकालीन प्रकोष्ठ, नशा मुक्ति केन्द्र, ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति गठित किये गये हैं। जिनके संबंध में इस बुकलेट में आगे समावेष किया गया है जिनमें दिये गये निर्देषों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की गई है।

सभी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं संबंधित शाखा प्रभारी शहडोल से अपेक्षा की गई है है कि उपरोक्त शासन एवं पुलिस मुख्यालय के चाहत के अनुरूप ऐसे टूटे हुए परिवारों को पुर्नस्थापित करने, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि संबंधी समस्यायें, प्रभावषाली व्यक्तियों द्वारा शोषण एवं इनकी आपसी समस्याओं के निराकरण में सहभागी बनें, साथ ही पुलिस द्वारा संचालित बाल मित्र थाना, दुघर्टना में घायलों को सहायता, नशा मुक्ति अभियान तथा ग्राम रक्षा एवं नगर सुरक्षा समिति जैसे कार्य्रों में सार्थक सहयोगात्मक कार्य से आपको स्वतः आत्मिक संतोष मिलेगा, पुलिस की अच्छी छबि बनेगी, आम नागरिक पुलिस को अपना सहयोगी समझेगी, पुलिस जनता के संबंध सुधरेंगे तथा आम नागरिकों में अमन एवं शांति बनाये रखने में सक्षम हो सकेंगे।

ifjokj ijke'k dsUn 'kgMksy

(म.प्र. सोसाइटी एक्ट 1983 के तहत पंजीयन क्र. री.सं. 3388 दिनांक 12.07.2001)

ifjokj ijke'kZ dsUnz lapkyu dh izfØ;k

01. परिवार परामर्ष केन्द्र व्यापक स्थानीय समाचार, सिटी चैनल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद के दौरान प्रचार प्रसार किया जावे। जिससे पीड़ित महिलायें जानकारी प्राप्त कर ऐसे केन्द्रों में पहुंचकर अपनी व्यथा प्रस्तुत कर सके।
02. थाने में ऐसे पीड़ित महिलाओं के आने पर उन्हें अपने अनुविभाग के अन्तर्गत आने वाले अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय स्थित ''परिवार परामर्ष केन्द्र'' में षिकायत पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था बनावें।
03. यदि पीड़ित महिला वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचती है उनसे आवेदन प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र के परिवार परामर्ष केन्द्र में सुनवाई हेतु भेजें।
04. ग्रामीण क्षेत्रों से ''महिला स्वयं–सेविकाओं'' के समझाने से पीड़िता के स्वयं ऐसे केन्द्रों पर पहुंचने पर आवेदन पत्र प्राप्त किया जाकर सुनवाई हेतु प्रक्रिया में लें।

mijksDr L=ksrks ls fdlh ifjokj ds ihfM+r gksus dh tkudkjh fyf[kr esa iksIr gksus ij ifjokj ijke'kdsUnz esa dh tkus okyh dk;Zokही :–

01. परिवार परामर्ष केन्द्र पर उपरोक्त स्त्रोंतो से किसी परिवार के पीड़ित होने की जानकारी लिखित में प्राप्त होने पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा एक रजिस्टर में प्रार्थी तथा अनावेदक का नाम व पूरा पता, विवाद का संक्षिप्त कारण, काऊंसलिंग करने की तिथि तथा परिणाम (समझौता, स्वेच्छा से अलगाव, न्यायालय जाने की सलाह, अपराध पंजीबद्ध, प्रतिबंधक कार्यवाही, अन्य क्षेत्र का होने से स्थानान्तरण) संबंधी कालम बनाया जाकर इन्द्राज पूर्ण किया गया है।

02. पीड़ित महिला के परिवार जनों को परामर्ष केन्द्र में बुलवाने हेतु प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को तिथि नियत कर संबंधित को संमंस जारी कर संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानों के सहयोग से तामील कराया जाता है।

03. जब पीड़ित महिला तथा उसके परिवार के दूसरे पक्ष के लोग केन्द्र के समक्ष उपस्थित होते हैं तब पीड़ित महिला के साथ गठित परिवार परामर्षदात्रियों की समिति द्वारा उनके प्रकरण सुनेंगे। सभी पहलुओं पर परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने के पश्चात् परिवार में प्रेम तथा सुखमय वैवाहिक जीवन हेतु उनमें आ रही अड़चनों को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़कर उन्हें पुनः दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

04. समस्याओं के पूरी तरह सुलझ जाने तक परिवार के सदस्य इन केन्द्रों में पुनः आमंत्रित किये जावेंगे। सभी गतिविधियां केन्द्र में रखे रजिस्टर में लिपिबद्ध की जावेगी, ताकि प्रत्येक मामले की सही तरीके से मानीटरिंग की जा रही है।

05. जैसे ही एक बार पीड़ित परिवार की दिक्कतें दूर हो जाती है, ऐसी महिला भुला नहीं दी जावेगी, बल्कि एक असरदार फालो–अप के जरिए ऐसे परिवार पर निगाह रखी जावे ताकि वे पुनः अपने प्रेम को न खो सके और परिवार में तनाव न पैदा हो सके। परिवार परामर्षदात्री समिति इन परिवारों में बिना सूचना दिए पहुंचकर कुषल क्षेम देखेंगे साथ ही साथ स्थानीय पुलिस थाने का स्टाफ भी इन परिवारों में शांति स्थापन रखने में सतत निगाह रखे एवं आवष्यक सहयोग प्रदान की जा रही है।

06. परिवार परामर्ष केन्द्र में प्राप्त एवं निराकृत किये गये षिकायत के संबंध में प्रारूप क्र. 10 के अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सहायक नोडल अधिकारी (उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क.) शहडोल को भेजा जावे।

07. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी एवं धनपुरी में भी अनुविभाग स्तरीय परिवार परामर्ष केन्द्र प्रारंभ कराया गया है।

ifjokj ijke'k dUnz dh inkf/kdkjh x.k

Ø	in	'kgMky	C;kgkjh	/kuiqjh
01	अध्यक्ष	श्री व्ही. के. दुबे उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस
02	सदस्य	Jherh dUrh f}onh] vf/koDrk ik.Mouxj 'kgMky	अधिवक्ता (महिला)	अधिवक्ता (महिला)
03	सदस्य	श्री अमरनाथ चौधरी,	सामाजिक कार्यकर्ता	सामाजिक कार्यकर्ता
04	सदस्य	Jherh lykpuk idk'k] ik.Mouxj 'kgMky	सामाजिक कार्यकर्ता (महिला)	सामाजिक कार्यकर्ता (महिला)
05	सदस्य	श्रीमती चन्द्रप्रभा जैन, पाण्डवनगर शहडोल	सामाजिक कार्यकर्ता (महिला)	सामाजिक कार्यकर्ता (महिला)
06	सदस्य	श्रीमती चित्ररुपा दीक्षित, आईटीआई के पास शहडोल	मनोवैज्ञानिक (महिला)	मनोवैज्ञानिक (महिला)
07	सचिव	Jh ,l0 d0 cuth] Fkkuk iHkkjh fujh{kd vtkd 'kgMky	थाना प्रभारी ब्यौहारी	थाना प्रभारी बुढ़ार

^^lkekftd U;k; ,o l'kfDrdj.k dUn] 'kgMky **

(म.प्र. सोसाइटी एक्ट 1983 के तहत पंजीयन क्र./री.सा./3977 दिनांक 11.09.02)

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के पीड़ित परिवारों को निःषुल्क एवं शीघ्र सहायता पहुंचाने हेतु ''सामाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण केन्द्र'' शहडोल में स्थापित किया गया है जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला शहडोल है किन्तु शहडोल मुख्यालय में पीड़ित व्यक्ति सुदूर ग्रामों से नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें नजदीक में शीघ्र सहायता दिलाने की दृष्टिकोंण से अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी एवं धनपुरी के कार्यालय में भी इसी केन्द्र की शाखायें प्रारंभ की गई है। इस सामाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण केन्द्र में पीड़ितों की समस्याओं की समाधान के लिए शासकीय एवं अषासकीय व्यक्तियों की समिति गठित की जाकर माह में दो बार (प्रत्येक माह की 01 एवं 16 तारीख को) बैठक आयोजित की जाकर आवेदकों की षिकायतों का निराकरण आपसी सूझबूझ एवं समझाईश के माध्यम से किया जाना है।

lkekftd U;k; ,o l'kfDrdj.k dUn dk y{; %&

01. सामुदायिक व्यवस्था द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की समस्यायें हल करना।

02. विषेष पुलिस थाना अजाक द्वारा सहायता के रूप में समस्या के निवारण के लिए कार्य करते हैं।

03. अनुसूचित जाति/जनजाति को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से शक्तिषाली बनाना।

04. पुलिस में संवेदनषीलता एवं पारदर्षिता को बढ़ाने हेतु सेमीनार का आयोजन किया जाता है जिससे पुलिस उनके हित में अच्छा कार्य कर सके।

05. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों की अन्य विभागों से संबंधित लंबित समस्याओं का समाधान करने का कार्य।

06. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करने का कार्य।

lkekftd U;k; ,oa l'kfDrdj.k dUnz dk mn~n'; %&

01. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की भूमि संबंधी सामान्य प्रकार की षिकायतों का परामर्ष द्वारा समाधान करना।

02. राज्य षासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को दिये गये पट्टे पर, कृषि भूमि पर स्वतंत्र एवं सुरक्षित काम करने का वातावरण बनाना। कृषि कार्य में उन पर अन्य वर्ग के लोगों द्वारा जो सामान्य प्रकार के विवाद, अवरोध पैदा किये जाते हैं उन सामान्य षिकायतों को परामर्ष के द्वारा सुलझाया जाना।

03. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गके लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए कर्ज की राषि पर प्रभावषाली व्यक्तियों द्वारा अधिक ब्याज वसूलने एवं शोषण से संबंधित सामान्य प्रकृति की षिकायतों का हल निकालना एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना।

04. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों में एक साथ रहकर बहुत छोटे छोटे मामलों पर लगातार विवाद होता रहता है अतः इस प्रकार के छोटे छोटे मामले जो सजातीय हैं उन्हें समय पर ही परामर्ष द्वारा निपटाया जाना।

05. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों की समस्याएं जैसे राहत राषि के लंबित प्रकरण आदि का निपटारा करना।

06. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों को राज्य शाासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना।

07. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों में आत्म विष्वास जगाना।

08. परामर्ष के पष्चात प्रकरणों पर आवष्यक कार्यवाही करना। प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अपराध पंजीबद्ध करना या अन्य विभाग को कार्यवाही के लिए सूचित करना।

09. क्षेत्र को आगे बढ़ाना एवं उनकी जानकारी एकत्रित करना।

lkekftd U;k; ,oa l'kfDrdj.k dsUnz ds lapkyu esa f'kdk;rsa izklr djus ds L=ksr %&

01. इस केन्द्र की व्यापक प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, सिटी चैनल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद के जरिये किया जावे। जिससे पीड़ित व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर ऐसे केन्द्रों में पहुंचकर अपनी व्यथा प्रस्तुत कर सके।

02. थाने में ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के आने पर उन्हें अपने अनुविभाग के अन्तर्गत आने वाले अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय स्थित ऐसे केन्द्र में षिकायत पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था बनावें।

03. यदि पीड़ित व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचते है उनसे आवेदन प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र के ऐसे केन्द्र में सुनवाई हेतु भेजें।

04. अन्य स्त्रोंतों से भी प्राप्त षिकायतों का निराकरण करने का हरसंभव प्रयास करें।

lpkyu izfØ;k %&

01. इस केन्द्र पर उपरोक्त स्त्रोंतो से किसी परिवार के पीड़ित होने की जानकारी लिखित में प्राप्त होने पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा एक रजिस्टर में प्रार्थी तथा अनावेदक का नाम व पूरा पता, विवाद का संक्षिप्त कारण, काऊंसलिंग करने की तिथि तथा परिणाम (समझौता, स्वेच्छा से अलगाव, न्यायालय जाने की सलाह, अपराध पंजीबद्ध, प्रतिबंधक कार्यवाही, अन्य क्षेत्र का होने से स्थानान्तरण) संबंधी कालम बनाया जाकर पूर्ण किया जाता है।

07. पीड़ित महिला के परिवार जनों को परामर्ष केन्द्र में बुलवाने हेतु प्रत्येक माह की नियत तिथि (15 एवं 30 तारीख) को संबंधित को संमंस जारी कर संबंधित क्षेत्र के पुलिस थानों के सहयोग से तामील कराया जाता है।

08. जब पीड़ित महिला तथा उसके परिवार के दूसरे पक्ष के लोग केन्द्र के समक्ष उपस्थित होते हैं तब पीड़ित महिला व उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने पर ध्यान पूर्वक सुनकर सभी पहलुओं पर गठित परिवार परामर्षदात्रियों की समिति द्वारा उनके परिवार के मध्य प्रेम तथा सुखमय वैवाहिक जीवन हेतु उनमें आ रही अड़चनों को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़कर उन्हें पुनः दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

09. समस्याओं के पूरी तरह सुलझ जाने तक परिवार के सदस्य इन केन्द्रों में पुनः आमंत्रित किये जावें। सभी गतिविधियां केन्द्र में रखे रजिस्टर में लिपिबद्ध की जावेगी, ताकि प्रत्येक मामले की सही तरीके से मानीटरिंग की जा रही है।

10. जैसे ही एक बार पीड़ित परिवार की दिक्कतें दूर हो जाती है, ऐसी महिला भुला नहीं दी जावेगी, बल्कि एक असरदार फालो–अप के जरिए ऐसे परिवार पर निगाह रखी जावे ताकि वे पुनः अपने प्रेम को न खो सके और परिवार में तनाव न पैदा हो सके। परिवार परामर्षदात्री समिति इन परिवारों में बिना सूचना दिए पहुंचकर कुषल क्षेम देखेंगे साथ ही साथ स्थानीय पुलिस थाने का स्टाफ भी इन परिवारों में शांति स्थापन रखने में सतत निगाह रखे एवं आवष्यक सहयोग प्रदान की जा रही हैं।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी एवं धनपुरी में भी अनुविभाग स्तरीय सामाजिक न्याय एवं सषक्तिकरण केन्द्र प्रारंभ किया गया है।

lkekftd U;k; ,oa l'kfDrdj.k dsUnz ds inkf/kdkjh x.k

Ø	in	'kgMky	C;kgkjh	/kuiqjh
01	अध्यक्ष	श्री पी. एस. उयके अति0 पुलि अधीक्षक	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस

02	उपाध्यक्ष	श्री दिनेष शर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल	जिला पंचायत का सदस्य	जिला पंचायत का सदस्य
03	सदस्य	श्री चन्द्रमोहन मिश्रा, एस0 डी0 एम0	डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार ब्यौहारी	डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार बुढ़ार
04	सदस्य	श्री रामलाल कोल जनपद सदस्य	जिला सयोजक आदिवासी विकास आयुक्त	जिला सयोजक आदिवासी विकास आयुक्त
05	सदस्य	श्री दिगम्बर सिंह धुर्वे, पार्षद न0पा0प0 वार्ड नं. 12	जनपद पंचायत का सदस्य	जनपद पंचायत का सदस्य
06	सदस्य	श्री सहायक आयुक्त, आदि.विकास शहडोल	जनपद पंचायत का सदस्य	जनपद पंचायत का सदस्य
07	सचिव	श्री एस0 के0 बैनर्जी, थाना प्रभारी निरीक्षक अजाक	थाना प्रभारी ब्यौहारी	थाना प्रभारी बुढ़ार

11.

gsYi ykbu lsok

पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र. पु.मु./अजाक/म.प्र./169/2000 भोपाल दिनांक 13.01.2000 के पालन में इस इकाई के जिला मुख्यालय में महिला उत्पीड़न त्वरित पुलिस कार्यवाही ^^gsYi ykbu dh lsok** दिनांक 13-01-2000 से संचालित की गई है। यह हेल्प लाईन सेवा मुख्यतः महिलाओं की विभिन्न प्रकार की पारिवारिक तथा सामाजिक प्रताड़नाओं व उत्पीड़न की षिकार होने पर अपनी सुरक्षा हेतु अविलम्ब पुलिस की मदद की आवष्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आम जन को विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करेगी साथ ही शासकीय सेवकों को भी आवष्यकता पड़ने पर अन्य शासकीय/अर्धषासकीय/अषासकीय विभागों से संबंधित कार्यों का निपटारा कराने में मदद करेगी। आम जनता से अपील की गई है कि पुलिस कन्ट्रोल रुम में स्थापित हेल्प लाईन सेवा का उपयोग शासकीय कार्यों के अतिरिक्त व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विषेषता यह है कि सामान्यतः षिकायत करने वाली महिला को थाने पर आने की आवष्यकता नहीं है। फलस्वरूप महिलाओं का थाने आने का संकोच पुलिस मदद में आड़े नहीं आता है। मात्र आपात स्थिति में ही पुलिस उनके समक्ष होती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नियत दूरभाष नम्बर पर उत्पीड़ित महिला के आपात अनुरोध पर पुलिस कर्मी दूरभाष पर ही समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं और आवष्यकतानुसार तत्काल मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान का हरसंभव प्रयास किया जाता है। समस्या पीड़ित व्यक्तियों के प्रति चाहे वह शासकीय हो अथवा व्यक्तिगत पुलिस की संवेदनषीलता का यह प्रयास उस ओर बढ़ाया गया एक कदम है।

वर्तमान समय पर हेल्प लाइन सेवा हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम में LFkkuh; njlspkj foHkkx ls Vksy&Ýh VsfyQksu lsok के रूप में VsfyQksu uEcj 100 एवं 1098 सुविधा उपलब्ध कराया गया है। जिससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस की सहायता हेतु हेल्प लाइन के माध्यम से सूचना देकर वैधानिक सहायता प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया से आम नागरिकों में पुलिस के प्रति अच्छी छबि प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसी प्रकार अनुविभाग स्तर पर भी हेल्प लाइन सेवा चालू की जावें जिससे पीड़ित पक्ष द्वारा

समुचित सहायता प्राप्त किया जा सके। हेल्प लाइन सेवा की बैठक प्रत्येक शनिवार को पुलिस कन्ट्रोल रूम में आयोजित की जाती हे तथा विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त शिकायत पत्रों एवं पुलिस कार्यालय में उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाकर त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक प्रयास कर शिकायतकर्ताओं को समुचित विधिक सलाह/सहायता प्रदान की जाती है। हेल्प लाइन सेवा में प्राप्त सभी शिकायतों एवं उनके निराकरण के संबंध में एक रजिस्टर संधारित की जाती है जिसमें प्रत्येक शिकायत पत्रका विवरण इन्द्राज किया जाता है। परिवार सलाहकार केन्द्र एवं हेल्प लाइन सेन्टर की समीक्षा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को की जाती है।

^efgyk gsYi ykbu lsok** dh inkf/kdkjhx.k

Ø	in	Uke o irk inkf/kdkjhx.k
01	अध्यक्ष	Jh 0gh- dh- ndc] mi iqfyl v/kh{kd eq[;ky; 'kgMksy
02	सदस्य	Jh ,- vkj- nhf{kr] lgk;d ykd vfHk;kstu vf/kdkjh 'kgMksy
03	सदस्य	Jh lqjs'k xkLokeh] vf/koDrk 'kgMksy
04	सदस्य	Jh vt; ukenso] vf/koDrk 'kgMksy
05	सदस्य	Jh iHkkjh dUVksy :e 'kgMksy
06	सदस्य	e-iz-vkj- 385 jek vkeksa Fkkuk v-tk-d- 'kgMksy
07	सचिव	Jh ,l- dh- cqu th] Fkkuk iHkkjh v-tk-d- 'kgMksy

uxj lqj{kk@xzke j{kk lfefr

म0प्र0 शासन गृह विभाग के पत्र क्र. 1946/2891/11(2) दिनांक 13.09.02 तथा पुलिस मुख्यालय का पत्र क्र. प्रषिक्षण/टीएल/1560/02 भोपाल दिनांक 01.10.02 के परिपालन में शहडोल जिले में uxj lqj{kk@xzke j{kk lfefr में प्रत्येक थाना क्षेत्र के नगर एवं ग्रामों के ऐसे व्यक्तियों को जो आपराधिक रिकार्ड मुक्त युवा उत्साही व्यक्तियों का चयन कर गठन किया गया है। इस समिति द्वारा पुलिस के वैधानिक कार्यों में सहयोग करने जैसे कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात नियमों का पालन कराने, स्वच्छ पेयजल, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रदूषण निवारण, स्वच्छता अभियान, असहाय व गरीबों को सहायता प्रदान करने, त्यौहार, धार्मिक पर्व, उत्सव में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने के साथ जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा से जुड़े कार्य हेतु ग्राम गष्त, रात्रि गष्त व पेट्रोलिंग का कार्य प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प व आगजनी इत्यादि के समय सहायता कर पुलिस को गंभीर समस्याओं के निराकरण में सराहनीय भूमिकाओं का निर्वहन करती है। इसके अतिरिक्त नगरों एवं ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं उनके प्रति समाज में संवेदनषीलता जागृत करने, टीकाकरण,

संक्रामक बीमारियों के रोकथाम, परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने अष्पृष्यता निवारण जैसे कार्यों में पुलिस को सहयोग प्रदान कर नागरिकों की हितों की रक्षा करने में तत्पर रहती है।

इस कार्य को गतिषील बनाये रखने हेतु जिले के प्रत्येक थाने में उ0नि0/स0उ0नि0 स्तर के पुलिस अधिकारी को थाना रक्षा अधिकारी तथा थाना प्रभारी अ.जा.क. को जिला रक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर सुरक्षा/ग्राम रक्षा समिति के 32 योग्य सदस्यों के शस्त्र लाईसेंस प्रदाय करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला दण्डाधिकारी शहडोल की ओर अनुषंसा कर अग्रेषित किया गया है जो विचाराधीन है। इसी प्रकार म.प्र. ग्राम /नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 एवं नियम 2003 के अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा जैसिंहनगर, ब्यौहारी, धनपुरी में इस समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की जाकर चर्चा कर आवष्यक निर्देष दिया गया है तथा ग्राम /नगर रक्षा समिति के सदस्यों को आवष्यक प्रषिक्षण देने हेतु थाना रक्षा अधिकारियों को आवष्यक निर्देष जारी किया गया है।

uxj lqj{kk@xke j{kk lfefr dh tkudkjh

		ग्राम रक्षा समिति			नगर रक्षा समिति		
क्र	थाना	थाना क्षेत्र के कुल ग्रामों की संख्या	ग्राम रक्षा समितियों की संख्या	ग्राम रक्षा समिति सदस्यों की संख्या	थाना क्षेत्र के कुल ग्रामों की संख्या	नगर सुरक्षा समितियों की संख्या	नगर सुरक्षा समिति सदस्यों की संख्या
	देवलोंद	44	33	259	15	15	80
	ब्यौहारी	133	61	719	15	15	104
	जैसिंहनगर	289	169	1385	15	15	227
	कोतवाली	146	72	854	34	26	363
	बुढार	106	92	802	08	07	49
	धनपुरी	19	12	133	12	08	36
	अमलाई	19	07	153	10	10	105
	जैतपुर	129	123	450	—	—	—
योग		875	569	4755	109	96	964

cky fe= Fkkuk

शहडोल जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले, किषोर एवं असंरक्षित बालकों की गतिविधियों पर नजर रखने एवं उनके पुनर्वास आदि की व्यवस्था में सहयोग करने हेतु ^^cky lgk;rk idk"B** rFkk Fkkuk e inLFk vf/kdkfj;k@ deipkfj;k dk जिला स्तरीय प्रषिक्षण के माध्यम से प्रषिक्षित किया जाकर गतिषील बनाया जा रहा है।

cky fe= Fkkuk d dk;l %&

01. किषोर बच्चों की सहायता हेतु बाल कल्याण अधिकारी समस्त थानों में नामजद किये गए हैं, जो किषोरों की सहायता हेतु कार्य करेंगे।
02. आकाषवाणी एवं दूरदर्षन के माध्यम से किषोर बालक बालिकाओं के संबंध में प्रचार प्रसार समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है इसी प्रकार स्थानीय समाचार पत्रों एवं सिटी चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जावे, जिससे षिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ सके।
03. बाल मित्र थाना द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह में किषोर बालकों की देखरेख, पढ़ाई, पालन पोषण व पुनर्वास योजना की समय समय चेक कर समीक्षा किया जाना सुनिष्चित करें।
04. जिले के थानों में पदस्थ/नामजद किये गये बाल कल्याण अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के विधि का उल्लंघन करने वाले, उपेक्षित व निराश्रित बच्चों की तलाष कर उन्हें सहायता करने तथा अच्छे मानव बनने एवं सुधरने हेतु संप्रेक्षणगृह शहउोल भेजा जाना सुनिष्चित करें जिससे उन्हें षिक्षित कर आवष्यक सहायता दी जा सके।
05. षिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों में थाना कोतवाली शहडोल द्वारा ''बाल मित्र थाना'' का आयोजन किया जाकर 2250 किषोर बालक बालिकाओं को ^^ifyl d Hk; l eDr** करने व बच्चों की सहायता एवं विकास संबंधी कार्य में पुलिस का सहयोग देने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार का कार्य सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों में अध्ययनरत बाल बालिकाओं को ^^ifyl d Hk; l eDr** करने व बच्चों की सहायता एवं विकास संबंधी कार्य में पुलिस का सहयोग देने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर कर जागरूकता लाने का हर संभव प्रयास किया जावे।
06. गुमे हुए बालक बालिकाओं का अभिलेख संधारण कर तलाष कर उनके संरक्षकों को सौंपने में सहायता करने का कार्य बाल मित्र थाना द्वारा किया जावे।
07. बाल मित्र थाना तथा स्थानीय थाना के माध्यम से किषोर बालक बालिकाओं द्वारा घटित अपराधों तथा उन पर घटित होने वाले अपराधों के नियंत्रण हेतु कड़ी निगरानी की जावें।
08. उपेक्षित एवं घर से भागे हुए, होटल में कार्य करने वाले, किषोर बालकों की तलाष की जाकर उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया जावे तथा आवष्यकतानुसार उन्हें संप्रेक्षणगृह शहडोल में दाखिल कराया जावे।
09. निराश्रित, परित्यक्त एवं असंरक्षित किषोर बालक बालिकाओं का पुनर्वास में सहायता पहुंचाना/वेष्यावृत्ति करने वाले व असामाजिक गतिविधियों के संचालन होने की संभावित स्थानों की निरीक्षण किया जावें।

10. समाज के किषोर बालक एवं बालिकाओं में जागरूकता लाने हेतु 14 नवम्बर 2005 को ''बाल दिवस'' के अवसर पर जिले के शैक्षणिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये विषेष कार्यक्रम ''पालन पोषण, षिक्षा, प्यार– हम बच्चों की यह अधिकार'' चलाया जावे। इस कार्य हेतु डीआरडीए, अषासकीय संस्थाओं, समाज कल्याण, महिला बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग एवं खेल एवं युवक कल्याण विभाग से भी सहयोग भी प्राप्त किया जावे।
11. बाल मित्र थाना संबंधित की गई कार्यवाही का फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराकर स्थानीय समाचार पत्रों एवं सिटी चैनल में प्रसारण कराया जावे।

n?kVuk esa ?kk;yksa dks fpfdRldh; lgk;rk

दुर्घटना में घायल होने पर पुलिस एवं जनता के सहयोग सें उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु निकट चिकित्सालयों में तत्काल पहुंचाने का हरसंभव प्रयास किया जावे तत्पष्चात् घायलों की स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सकों के रिफर करने पर जिला चिकित्सालय व चिकित्सा महाविद्यालयों में पहुंचाने एवं चिकित्सालयों में उपलब्ध निःषुल्क शासकीय दवाईयां उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जावे। निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को जिला मुख्यालय स्थित ''रेडक्रास सोसायटी'' द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति के घायल सदस्यों को समुचित उपचार सुविधा थाना अ.जा.क. द्वारा ''यात्रा भत्ता, भरण पोषण मजदूरी एवं चिकित्सा'' मद से निःषुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया गया है।

जिला शहडोल के रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी शहडोल द्वारा दिनांक 25.11.02 से ?kk;yksa dh thouj{kk dk;Z gsrq ^^ek:fr&osu ,Ecqysal** वाहन क्र. एमपी 18 डी– 0403 मय चालक पुलिस कन्ट्रोल रूम शहडोल में उपलब्ध कराया गया है, जिसे घायलों व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को शहडोल नगर पालिका क्षेत्र हेतु रूपये 100=00, जबलपुर हेतु रूपये 1800=00 की सहयोग राषि के रूप में प्राप्त कर 03 रूपये प्रति कि0मी0 की दर से सेवा उपलब्ध कराई जाती है तथा 02 आरक्षकों को जीवनरक्षा कार्य हेतु संलग्न किया गया है जिन्हें आवष्यकतानुसार घायलों की सहायता करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

u'kk efDr dUn

समाज कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आम नागरिकों में फैली हुई शराब, गांजा, अफीम, ब्राऊन शुगर, स्मैक, चरस, कोकीन, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू, गुटका जैसे मादक पदार्थों के सेवन करने वालों को उससे होने वाली खतरनाक बीमारियों एवं दुर्घटना से बचाव एवं रोकथाम कर नषा मुक्त समाज का निर्माण करने हेतु आकाषवाणी, दूरदर्षन एवं समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार व्यापक ढंग से की जावे। जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता में जागरूकता आ सके।

इसी तरह जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग शहडोल के सहयोग से स्थानीय सिनेमा घरों एवं सिटी चैनल के माध्यम से नशा मुक्ति संबंधी स्लाईड प्रदर्षन करने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणाम संबंधी जानकारी दी जाकर जागरूकता लाने का प्रयास जारी है तथा जिला चिकित्सालय द्वारा पम्पलेट्स एवं पोस्टर भी शहर एवं ग्रामों में लगवाये जा रहे हैं।

शहडोल जिले के 21 ग्रामों को गोकुल ग्राम बनाया गया है गोकुल ग्रामों के विकास के लिए जिला प्रषासन पूर्ण रूप से सजग है तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस /थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के ग्रामों में प्रवास के दौरान वृक्षारोपण करने तथा चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों को नषा मुक्ति एवं सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने की समझाईष देना सुनिष्चित करें। उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय जिला शहडोल द्वारा निम्नांकित गोकुल ग्रामों में नषामुक्ति विषय पर आधारित प्रहषन, लोक संगीत, गीत, गजल व नुक्कड़ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामवासियों को ''नषा न करने की शपथ'' दिलाई जाती है इस कार्य में थाना प्रभारी सहयोग प्रदान करें साथ ही की गई कार्यवाही की जानकारी से अवगत करावें।

पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र. पु.मु./अमनि/प्रषासन/नो.अ./92/05 दिनांक 01.09.05 तथा इस कार्यालय के पत्र क्र. पु.अ./शह./डीसीबी/548/05 दिनांक 27.09.05 के अनुसार सामुदायिक पुलिस प्रणाली को और अधिक सक्षम एवं कारगर बनाने तथा पुलिस एवं जनता के बीच सौहार्द्र एवं भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए अत्यन्त आवष्यक है कि पुलिस एवं जनता के बीच एक सतत एवं जीवन्त संपर्क न सिर्फ बना रहे बल्कि उसे एक निष्चित प्रणाली के रूप में विकसित किया जावे। इस उद्देष्य की पूर्ति के लिए अपने स्तर पर थाना पर प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को नियमित बैठक आयोजित की जावे जिसमें ग्राम रक्षा समिति, नगर सुरक्षा समिति, परिवार परामर्षदात्री, सामाजिक न्याय सषक्तिकरण केन्द्र, नशा मुक्ति केन्द्र में कार्यरत समस्त कार्यकर्ताओं के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जावे। यह बैठक पूर्व की निर्धारित सामान्य बैठकों के अतिरिक्त रहेगी। इससे लाभ यह होगा कि जैसे पुलिस के सूचना स्त्रोत बढेंगे वहीं सीधे संवाद से पुलिस के प्रति गलत धारणाओं का भी निदान हो सकेगा एवं अपराधियों के विरूद्ध सक्षम कार्यवाही होगी जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली और अधिक सक्षम एवं कारगर बनेगी।

vtkd 'kk[kk] ifyl e[;ky;] Hkkiky
&&&&
lpuk d vf/kdkj vf/kfu;e 2005 d lc/k e
lpuk d vf/kdkj dk fooj.k

vkond dk nh tku okyh tkudkfj;k	
1	प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति।
2	गिरफ्तारी की सूचना (आरोपी)
3	गिरफ्तारी का कारण (आरोपी)
4	जप्ती की प्रतिलिपि (आवेदक को)
5	प्रकरण के संबंध में खात्मा/खारजी एवं चालान की सूचना। (फरियादी को)
6	राहत राषि प्रदाय की जानकारी। (फरियादी को)
7	अभियोग पत्र की छायाप्रति चालान प्रस्तुत करने के बाद अभियुक्त पक्ष को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 207, 173 (6) एवं 208 के अनुसार ।
8	आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही का जॉच निष्कर्ष (आवेदक को)

vkond dk ugh nh tku okyh tkudkfj;k	
1	Progress Of Investigation
2	Statement Recorded During Investigation
3	Informartion Entered In General Diary
4	P.S. Recordes/Information Pertaining To Crimes And Criminals
5	P.M. Report, Dead Body Panchnama, F.S.L. Reports.
6	Remarks in file by senior officers
7	Information relating about S.S. fund.
8	Supervision reports
9	Scrutiny reports by legal advisiors.

v/;k;&9 (eSU;qvy&8)

fu.kZ; ysus dh izfdz;k

1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है। किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में सर्वप्रथम पत्र में से विषय वस्तु पृथक की जाती है। विषय वस्तु से संबंधित उपलब्ध नियम, अधिनियम, प्रशासकीय आदेश के संदर्भ में आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का समग्र परिक्षण कर पात्रता/ अपात्रता/ अन्य परिणाम के निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। निष्कर्ष के अग्रिम क्रियान्वयन के लिये निर्धारित क्रम अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा नस्ती पर आदेशित करने के पश्चात् विधिवत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रकिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिये किस किस स्तरों पर विचार किया जाता है।

   किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में सर्वप्रथम पत्र में से विषय वस्तु पृथक की जाती है। विषय वस्तु से संबंधित उपलब्ध नियम, अधिनियम, प्रशासकीय आदेश के संदर्भ में आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का समग्र परिक्षण कर पात्रता/ अपात्रता/ अन्य परिणाम के निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। निष्कर्ष के अग्रिम क्रियान्वयन के लिये निर्धारित क्रम के अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा नस्ती पर आदेशित करने के पश्चात् विधिवत आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

   विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये भी प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही है परन्तु विशेष विषय पर निर्धारत नियम एवं प्रक्रियाओं से हटकर निर्णय लेने के लिये प्रशासकीय नियमों में प्रावधान किया गया है।

3. लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है :
   1. समस्त दैनिक समाचार पत्र ।
   2. परिपत्र के माध्यम से कार्यालयों को अवगत कराना एवं कार्यालय स्तर से निम्नतम कार्यालय स्तर को अवगत कराना तथा जनता की सुविधा हेतु उपलब्ध माध्यम से प्रचार प्रसार कराना।
   3. इलेक्ट्रानिक माध्यम से अवगत कराना।

4. fofHkUu Lrj ij fdu vf/kdkfj;ksa dh lgLrfr fu.kZ; ysus ds fy;s ikIr dh tkrh gS%

   थाना प्रभारी के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक अजाक एवं पुलिस अधीक्षक,

5- vfUre fu.kZ; ysus ds fy;s izkf/kdkfjr vf/kdkjh %

   पुलिस अधीक्षक लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी होते है।

6- e[; fo"k; ftl ij ykd ikf/kdj.k }kjk fu.k; fy;k tkrk g] mldk fooj.k fuEu ik:i e vyx l iLrr dj%

विषय : (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	स्थापना संबंधी, अनुज्ञा संबंधी, विभिन्न प्रकार की जांच संबंधी निर्णय लिये जाते है।
दिशा–निर्देश (यदि कोई हो तो)	पदोन्नति नियम,भर्ती नियम, सिविल सेवा आचरण नियम एवं अन्य
निर्णय लेने की प्रक्रिया	जो नियमों में प्रतिपादित है
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	नामजद अधिकारी
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	दूरभाष के माध्यम से
निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील	पुलिस विभाग के निर्णय के विरूद्ध अपील राज्य शासन को प्रस्तुत होगी।

v/;k;&10 (eU;vy&9)

vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh funf'kdk

d-	uke	inuke	,lVhMh dkM	njHkk"k dk;ky;@fuokl	QDl	bZ&ey	irk

उपरोक्त से संबंधित जानकारी गृह विभाग एवं पुलिस विभाग की वेबसाईट (http://www.mppolice.gov.in/) से प्राप्त की जा सकती है।

v/;k;&11 (eSU;qvy&10)

iR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk izkIr ekfld ikfjJfed vkSj mlds fu/kkZj.k dh i}fr

d-	uke	inuke	ekfld ikfjJfed	ikfjrksf"kd@ikfjrksf"kd HkRrk	ikfjJfed dk fu/kkZj.k dh i)fr tks fu;ekoyh esa nh xbZ gSA

उपरोक्त से संबंधित जानकारी गृह विभाग एवं पुलिस विभाग की वेबसाईट (http://www.mppolice.gov.in/) से प्राप्त की जा सकती है।

v/;k;&12 (eSU;qvy&11)

iR;sd vfHkdj.k dks vkofVr ctV
(lHkh ;kstukvksa]O;; iLrkoksa rFkk /ku forj.k dh lwpuk)

d-	en	iLrkfor ctV	Lohd`r ctV	'kklu }kjk inRr (fd'rksa esa)	dqy O;;

उपरोक्त से संबंधित जानकारी ifjf'k"V&,d पर संलग्न है तथा पुलिस विभाग की वेबसाईट (http://www.mppolice.gov.in/) से प्राप्त की जा सकती है।

v/;k;&13 (eU;vy&12)

vunku@jkt lgk;rk dk;dek d fd;kUo;u dh jhfr

अशासकीय निधियों में शासन से अनुदान प्राप्त होता है जो इस प्रकार है :–

foRrh; o"k 2004&05

1. लाईन फण्ड – रू . 103022.52
2. परोपकार निधि– रू. 0000.00
3. एमिनिट फण्ड– रू. 12091.70

4. शिक्षा निधि : इस निधि से पुलिस परिवारों के मेघावी छात्रों को प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इस वर्ष 2004–04 में विद्यालयीन स्तर के 37 प्रकरणों में रु. 14,100/– एवं महाविद्यालयीन स्तर पर 44 प्रकरणों में रु. 28,950/– कुल रू0 43050/– की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है ।

1. कार्यक्रम/योजना का नाम : पुलिस कर्मचारियों का कल्याण – एसटीडी पीसीओ में रू0 86795.00 रू0, ग्रेनषाप में रू0 16448.00 एवं आटाचक्की में रू0 48748.00 रू0 की आय होने से वर्तमान में उपलब्ध हैं।

2. कार्यक्रम/ योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :–
समय–सीमा नही।

3. कार्यक्रम का उद्देश्य :– पुलिस कर्मचारियों की सहायता।

4. कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष)
अधिक से अधिक पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को लाभ पहुंचाना।

5. लाभार्थी की पात्रता :– पुलिस कर्मचारी को गंभीर बीमारी/मृत्यु की दशा में सहायता पहुंचाई जाती है। आवष्यकतानुसार कर्मचारियों को वेलफेयर फण्ड से गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु ब्याज मुक्त उधारी अग्रिम दी जाती है जो उनसे आसान किष्तों में उनके वेतन से कटौती की जाकर समायोजन किया जाता है। अग्रिम शिक्षा निधि में प्रतिवर्ष कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

6. पूर्वापेक्षाएं :– निरंक

7. अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रकिया :– शासन से पत्र भेजकर अनुरोध किया जाता है।

8. पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड :– 1. लाईन फण्ड/ एमिनिटी फण्ड मे राशि स्वीकृत बल के अनुसार, 2. परोपकार निधि में पुलिस कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को पु0मु0 द्वारा रू.20,000/– प्रदाय किये जाते है, 3. शिक्षा निधि में पुलिस कर्मचारियों को पुत्र/पुत्रियों को कक्षा–11वीं एवं उससे उपर की कक्षाओं में अध्ययनरत होने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

9. fn;s tkus okys vuqnku@lgk;rk dk fooj.k %&

राज्य शासन से वित्तीय वर्ष 2005–2006 हेतु एमेनिटी फण्ड के अर्न्तगत रू. 7,50,000/– एवं लाईन फण्ड के अर्न्तगत रू. 7,50,000/– का अनुदान प्राप्त हुआ है ।

2/ प्राप्त अनुदान अधिनस्थ इकाईयों को उनके सामने दर्शाये अनुसार वितरित किया गया है :–

स0क0	इकाई	बल संख्या	एमेनिटी फण्ड ग्रांट	लाईन फण्ड ग्रांट
42.	शहडोल	818	6135	6135

10. vuqnku@lgk;rk ds forj.k dh izfdz;k %– जरूरतमंद कर्मचारी अपना आवेदन पत्र पुलिस मुख्यालय कल्याण शाखा में प्रस्तुत करता है,जिस पर परीक्षण उपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. vkosnu djus ds fy;s dgka@ fdlls lEidZ djsa :– उप पुलिस अधीक्षक अजाक शहडोल

12. vkosnd 'kqYd (जहॉ उचित हो) :– लागू नहीं।

13. vU; 'kqYd (जहॉ उचित हो) :– लागू नहीं।

14. vkosnu i= dk izk:i (यदि आवेदन पत्र सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बताये कि आवेदनकर्ता किन–किन बातों का वर्णन करें) :– साधारण आवेदन पत्र,जिसमें अनुदान जिस कारण से मांगा गया है, उसका उल्लेख एवं परिस्थितियों की जानकारी अंकित हो। यदि चिकित्सा परीक्षण कराया हो तो तदनुसार चिकित्सक का परामर्श पत्र एवं दवाईयों का विवरण बिलों की राशि इत्यादि। आवश्यकतानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न किये जाते है।

15. layXudksa dh lwph :– उपरोक्तानुसार

16. layXudk dk izk:i :– कोई विशेष नही।

17. ifd;k l lc/k leL;k gku ij dgk lid dj %& जिलें में पुलिस अधीक्षक, रेंज में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक कल्याण/लेखा से सम्पर्क कर सकते है।

18. miyC/k /ku jkf'k dk fooj.k %&

प्रत्येक पुलिस इकाई में लाईन फण्ड, एमिनिटी फण्ड की राशि रहती है तथा पुलिस मुख्यालय में केन्द्रीय कल्याण निधि, संकट निधि, परोपकार निधि, एमिनिटी फण्ड , आपदा निधि, शिक्षा निधि, कारपस फण्ड रहती है।

19. ykHkkfFk;k dh lph :–

पुलिस कर्मचारी एवं उनके आश्रित सदस्य ।

v/;k;&14 (eSU;qvy&13)

fj;k;rs] vuqKki=k rFkk izf/kdkjks dh ikfIrdrkvks ds lac/k esa fooj.k

1. कार्यक्रम का नाम : शस्त्र लायसेंस, पासपोर्ट,

2. प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने) : अनुज्ञा पत्र

3. उद्‌देश्य : शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत जनता को शस्त्र उपलब्ध कराना एवं परिस्थितियों अनुसार नियंत्रण करना।

4. लक्ष्य (विगत वर्ष में) :– शासन के निर्देशानुसार

5. पात्रता : शस्त्र अधिनियम एवं अन्य दिशा–निर्देशानुसार

6. पात्रता का आधार : शस्त्र अधिनियम के प्रावधान एवं अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम एवं शासकीय दिशा निर्देश। (विस्तृत विवरण संलग्न करना है)

7. पूर्वापेक्षाऐं : उपरोक्तानुसार।

8. प्राप्त करने की प्रक्रिया : जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, आयुक्त कार्यालय, राज्य शासन का गृह विभाग को आवेदन।

9. रियायत अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निर्धारित समय–सीमा :– शासन द्वारा निर्धारित है।

10. आवेदन शुल्क : शासन द्वारा निर्धारित है।

11. आवेदन पत्र का प्रारुप :– शासन द्वारा निर्धारित है,जो स्थानीय बाजार में पुस्तको की दुकानों पर उपलब्ध हो जाता है।

12. संलग्नों की सूची :– आवेदन पत्र में दर्शाये अनुसार
13. संलग्नों का प्रारुप :– शासन द्वारा निर्धारित है।

14- ikfIrdrkvks dh lwph fuEu izk#i ij %&

विभाग द्वारा प्रदत्त कमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैद्यता किस दिनांक तक है	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला / गांव	मकान नं

इसकी जानकारी प्रत्येक पुलिस थाना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय एवं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग कार्यालय में उपलब्ध है।

fj;k;rk d fy; fuEu tkudkjh Hkh miyC/k djk; %&

दिये जाने वाले लाभ का विवरण
लाभ के वितरण की प्रकिया :— नियमानुसार वितरण किया जाता है।

v/;k;&15 (eSU;qvy&14)

dR;k d fuoZgu d fy; LFkkfir ekud@fu;e

लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न कियाकलापों/ कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक नियमों का कार्यक्रम व विवरण उपलब्ध करायें।

पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस इकाईयों में कार्य करने की प्रक्रिया हेतु निर्धारित मानक जो किसी भी पत्र,नस्ती, अन्य कार्यवाहियों पर लागू है। कार्य हेतु लागू मानक भारत के संविधान, विधि, नियम, अधिनियम एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत ही निहित है। मानक निर्धारण प्रत्येक विषय–वस्तु से संबंधित होती है,जो समय समय पर शासन द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप लागू की जाती है।

v/;k;&16 (eSU;qvy&15)

byDVªkfud :i e miyC/k lpuk;

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हो।

विभागीय बजट :– उपलब्ध है।

पत्राचार की स्थिति :– उपलब्ध है ।

विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन :– परिपत्र फाईलों में उपलब्ध है,जो पुलिस की वेबसाईट में भी उपलब्ध है।

स्थापना संबंधी जानकारी :– उपलब्ध है।

गृह आवंटन संबंधी जानकारी :– उपलब्ध है।

पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची संबंधी जानकारी :– उपलब्ध है।
कानून व्यवस्था एवं आपराधिक विवरण के संबंध में जानकारी :– उपलब्ध है।
न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी :– उपलब्ध है।
पारपत्र संबंधी जानकारी :– उपलब्ध है।
विभिन्न आयोगों संबंधी जानकारी :– उपलब्ध है।

v/;k;&17 (eSU;qvy&16)
lwpuk izkIr djus ds fy;s ukxfjdksa dks miyC/k lqfo/kkvksa dk fooj.k

1. सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण।

- सूचना पुस्तिका की उपलब्धता : मुद्रित रूप में वेब साईट पर इलेक्ट्रानिक फार्म में।
- आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का समाचार पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया, जन घोषणा के माध्यम से एवं जनता को निरीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने।

e-iz-iqfyl foHkkx dh osc lkbV & http://www.mppolice.gov.in/

v/;k;&18 (eSU;qvy&17)
vU; mi;ksxh tkudkfj;ka

नागरिकों के अधिकार की जानकारी परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार की जानकारी परिशिष्ट–3 पर संलग्न है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की जानकारी परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

जनता को पुलिस वेब साईट में यदि कोई सूचना देना चाहे तो तत्संबंधी फार्म परिशिष्ट–5 पर संलग्न है।

उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त अन्य जानकारी के लिये लोक सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

———

ifjf'k"V&v

<u>i'kklfud ifronu</u>

xg (ifyl) foHkkx

e/;in'k 'kklu

विभाग का नाम : xg (ifyl) foHkkx

गृह राज्यमंत्री का नाम : Jh txnh'k noMk

lfpoky;

अतिरिक्त मुख्य सचिव का नाम : Jh ,l-d-proh
सचिव का नाम : Jh ljcthr flg
vij lfpo % Jh lTtkn ok'kh udoh

([k.M&1] jkt ifr=r 'kk[kk)

foHkkxk/;{k

ifyl egkfun'kd : Jh Lojkt ij
ifyl v/kh{kd MkO jktUn ilkn
14 ftyk ifyl cy %

जिला पुलिस बल को पूरे जिले में अनुविभाग स्तर पर अब 03 अनुविभागों में बांटा गया हैं । जिनके प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हैं तथा 08 थाने स्थापित हैं जिनके थाना प्रभारी निरीक्षक/उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को बनाया गया है।

Ikfyl cy vk/kfudhdj.k ;ktuk%

राज्यों के पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित कर सुदृढ करने व पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय पंचवर्षीय पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना 2000–2005 शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश के लिये पांच वर्षेां में रू0 106.00 करोड़ प्रति वर्ष के मान से कुल 530.00 करोड़ की कार्ययोजना निश्चित की गई है। निश्चित की गई योजना राशि में से केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की राशि राज्य को उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों में 25 प्रतिशत की राशि अनुदान के रूप में व 25 प्रतिशत बतौर ऋण उपलब्ध कराई जाती है । शेष 50 प्रतिशत की राशि राज्य शासन द्वारा अपने सीमित वित्तीय संसाधनों में से मेचिंग ग्रांट के तहत मिलाई जाकर योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है ।

योजना वर्ष 2003–2004 से भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिये केन्द्राशं की राशि बढाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है अतएव राज्य शासन द्वारा अब अपने सीमित वित्तीय संसाधनों में से 40 प्रतिशत मेचिंग ग्रान्ट की राशि मिलाकर योजना का क्रियान्वयन कराया जावेगा ।

राज्य शासन ने अभी तक प्रथम चरण में रू0 112.53 करोड़, द्वितीय चरण में 106.07 करोड़ व तृतीय चरण में रू0 85.16 करोड़ के क्रियान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति जारी की है जिससे प्रदेश के पुलिस बल में आधुनिक हथियार, नये वाहन, दूरसंचार उपकरण, आसूचना उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, कम्प्यूटर्स, एवं एफ0एस0एल0 उपकरणेां का क्रय पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जाकर विभाग की कार्य–प्रणाली में काफी सुधर लाया गया है । अपराधेां की रोक–थाम ,अनुसंधान कार्य व आसूचना संकलन का कर्यों में नये उपकरणों की मदद से प्रगति परिलक्षित हो रही है ।

इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास की समस्या को भी इस योजनान्र्तगत स्वीकृत राशि से आवासगृहों का निर्माण कराया जाकर हल करने का प्रयास जारी है । पुलिस के प्रशासनिक भवन, थाना भवन, कार्यालय भवन व प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों के लिये क्लास रूम,मेस,आदि का निर्माण कराया जाकर पुलिस के प्रशिक्षण में सुधार लाया गया है ।

8. ftyk esa dkuwu 0;oLFkk ij Vhi 2004&2005

ftys dh Hkkxkfyd lajpuk&

शहडोल जिला आदिवासी वाहुल्य जिला है तथा वन संपदा से युक्त है खनिज के क्षेत्र में सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अन्तर्गत कोयला खदाने हैं जिले का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या निम्न प्रकार है–

1. जिले का क्षेत्रफल 5642 वर्ग कि0मी0
2. जिले की जनसंख्या– 9,08148

ftys dh dkuwu 0;oLFkk&

वर्ष 2004 एवं 2005 अगस्त तक जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी एवं नियंत्रण में रही। वर्ष 2004 में स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के चुनाव जिले में शांतिपूर्ण पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ सम्पन्न कराए गये। कहीं कोई चुनावी घटनाएं घटित नहीं हुई। इसी प्रकार दिनांक 13.06.05 को कृषि उपज मण्डी ब्यौहारी, बुढ़ार में अध्यक्ष, व्यापारी प्रतिनिधि एवं कृषक सदस्यों के चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए, मतदान केन्द्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई।

वाणसागर परियोजना देवलोंद बांध की ऊचांई 341 मीटर बढ़ाये जाने से जिले के तहसील ब्यौहारी के अंतर्गत 22 ग्राम डूब में आने से उनके विस्थापन एवं पुनर्वास की कार्यवाही दिनांक 15.05.05 से प्रारंभ की गई। इस कार्यवाही के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया गया, विस्थापन एवं पुनर्वास का कार्य शांति पूर्वक सम्पन्न हुआ।

jktuhfrd xfrfof/k;k&

जिले में राजनैतिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से भा0ज0पार्टी, भा0रा0कांग्रेस, भा0क0पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनषक्ति पार्टी गतिषील पार्टियां हैं। इन राजनैतिक पार्टियों द्वारा समय–समय पर प्रदेष सरकार एवं केन्द्र सरकार के विरोध जन समस्याओं, पेट्रोलियम के बढ़े दामों, विद्युत समस्या, आर्थिक स्थिति, एवं पेयजल समस्या को लेकर जिले में आन्दोलन किए गये हैं। आन्दोलन शांतिपूर्ण रहे एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई।

दिनांक 22.08.05 को युवक कांग्रेस द्वारा प्रदेष सरकार पर जन विरोधी नीति अपनाए जाने एवं अन्य जिले की समस्याओं को लेकर अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस भवन शहडोल से एक जुलूस (50) निकाला गया, नारे लगाते हुए न्यू गांधी चौक पहुंचकर सभा आयोजित की गई। बाद प्रदेष सरकार पुतला जलाने का प्रयास किया गया किन्तु सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल द्वारा पुतले को छीन लिया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई।

Jfed xfrfof/k;k–

वर्ष 2004 एवं 2005 अगस्त तक जिले के श्रमिक संस्थानों में श्रमिक संगठनों की गतिविधियां सामान्य रही। जिले के कोयलांचल क्षेत्र में श्रमिक संगठनों द्वारा कोई प्रभावी आन्दोलन नहीं किए गये। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य एवं पूर्ण नियंत्रण में रही।

deZpkjh laxBuksa dh xfrfof/k;k&

वर्ष 2004–2005 में जिले में कर्मचारी संगठनों की गतिविधियां सामान्य रहीं कर्मचारी संगठनों द्वारा समय–समय पर धरना प्रदर्षन किए गये हैं जो शांतिपूर्ण रहें, इनके आन्दोलन से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई।

lkEiznkf;d xfrfof/k;k&

जिले में अभी तक साम्प्रदायिक घटनाएं एवं गतिविधियां घटित नहीं हुई हैं। जिला साम्प्रदायिकता की दृष्टि से पूर्ण शांत रहा है। वर्ष 2004–2005 में साम्प्रदायिक घटनाएं एवं गतिविधियां घटित नहीं हुई है।

uDlykbV xfrfof/k;k&

जिले में अभी तक नक्सलाईट गतिविधियां नहीं पाई गयी हैं, फिर भी समस्त थाना प्रभारियों को इस ओर सतर्क रहने के निर्देष समय–समय पर दिये गये हैं। जिले का थाना जैतपुर का क्षेत्र नक्सलाईट जिला कोरिया (छ0ग0) की सीमा से लगे होने से थाना प्रभारी जैतपुर को विषेष सतर्कता बरतने के निर्देष दिये गये हैं।

o"kZ 2004&2005 esa fuEu izdkj vkUnksyu fd;s x;s&

क्र0	वर्ष	प्रदर्शन–रैली ज्ञापन	आमसभा	धरना	चकाजाम	बाजार बंद	काम बंद हड़ताल	पुतलाद हन	आमरण अनषन	क्रमिक भूख हड़ताल
1	2004	45	11	13	04	01	09	04	03	04
2	2005	29	04	10	03	03	02	02	03	01

इस प्रकार उक्त सभी आन्दोलन शांति पूर्ण सम्पन्न हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई।

xkdy xkek dh l[;k ,o Hke.k&

ftys es dy xkdy xkek dh l[;k& 21 gA

xksdqy xzkeksa ds fodkl ds fy, ftyk iz'kklu iw.kZ :is.k ltx gS] rFkk le;≤ ij ftyk iz'kklu ds vf/kdkjh ,oa iqfyl iz'kklu ds vf/kdkjh xksdqy xkaoksa esa tkdj jkf= foJke djrs gSa] rFkk ogka ds fodkl dk;ksZa dk voyksdu dj xzkeh.kksa ls ppkZ;sa djrs gSaA

भ्रमण कार्यक्रम निम्न प्रकार रहा–

1. पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा द्वारा गोकुल ग्राम– औता, ग्राम जुगवारी का भ्रमण किये हैं एवं रात्रि में प्रवास किये।

2. पुलिस अधीक्षक शहडोल– औता ग्राम, केलमनिया, जुगवारी एवं भोगड़ा गोकुल ग्रामों का भ्रमण कर रात्रि विश्राम किये। गोकुल ग्रामों में प्रवास के दौरान वृक्षारोपण करने , नषा मुक्ति एवं सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने आदि की समझाईस दी गई।

ifyl ipk;r d nkjku ikIr f'kdk;r ,o fujkdj.k&

क्र0	माह	कुल प्राप्त षिकायतें	निराकृत षिकायतें	पुलिस के पास लंबित षिकायतें	अन्य विभागों को भेजी गई षिकायतें
1	जनवरी 2005	28	28	–	–
2	फरवरी 2005	29	29	–	–
3	मार्च 2005	59	49	–	10
4	अप्रैल 2005	25	25	–	–
5	मई 2005	24	24	–	–
6	जून 2005	57	57	–	–
7	जुलाई 2005	31	31	–	–
8	अगस्त 2005	23	23	–	–
9	सितम्बर 2005				
	;kx			&	10

उपरोक्त पुलिस पंचायत का आयोजन अनुविभागीय अधिकारी संबंधित थाना प्रभारियों के साथ मिलकर किया गया है जिसमें प्राप्त षिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया है।

fof/k foKku i:;kx'kkyk] 'kgMky

विधि विज्ञान प्रयोगशाला शहडोल में स्थित है जिसके वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. एस. पी. सिंह हैं।

4- 104& fo'k"k ify l en %

vk/kfudj.k ;ktuk d vrxr Hkouk dk fuek.k %

o"k 2002&03: पुलिस आधनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रषासकीय भवनों के निर्माण कार्य के अन्तर्गत पुलिस कन्ट्रोल रूम शहडोल हेतु 10,00000 रू0, थाना भवन ब्यौहारी एवं थाना भवन जैतपुर के लिए 12,00000–12,00000रू0 की प्रषाकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर म0प्र0 हादसिंग बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो निर्माणाधीन है।

o"k 2003&04 : पुलिस आधनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रषासकीय भवनों के निर्माण कार्य के अन्तर्गत एससीआरबी कम्पोनेट में जिले के 6 थानों के लिए कम्प्यूटर सह उपकरणों की स्वीकृति एवं कम्प्यूटर प्रतिस्थापन हेतु साइट प्रिपेरेषन कार्य एवं आबंटन प्रत्येक थाने में 10,000–1.,0000 रू0 के मान से कुल राषि 60,000 रू0 का प्राप्त हुआ है। कम्प्यूटर प्रतिस्थापन हेतु साइट प्रिपेरेषन कार्य कराया गया है।

,e0vk0MCY;0 en d fuek.k dk;l dh Lohdfr&

foRrh; o"k 2003&04 & एम0ओ0डब्ल्यू0 मद के अन्तर्गत मोटर गैरिज क्र. 4, 6, 7, 8 मरम्मत कार्य हेतु कुल 60,000रू0 प्रषासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया है।

foRrh; o"k 2004&05 & एम0ओ0डब्ल्यू0 मद के अन्तर्गत पुलिस अस्पताल पुलिस लाइन में विद्युतीकरण हेतु 25000/– रू0, की प्रषासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया है।

एम0ओ0डब्ल्यू0 मद के अन्तर्गत पुलिस लाइन आवासगृहों की मरम्मत कार्य हेतु 80,000 रू0 की प्रषासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया है।

foRrh; o"k 2005&06 & एम0ओ0डब्ल्यू0 मद के अन्तर्गत आवासों की मरम्मत, सीवरेज, निर्माण, पेयजल व्यवस्था के लिए 1,00,000/– रू0, की प्रषासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया है।

ih-lh-,.M vkj- en d fuek.k dk;l dh Lohdfr&

foRrh; o"k 2003&04 & 01. पी.सी.एण्ड आर. मद के अन्तर्गत अजाक थाना शहडोल की मरम्मत कार्य हेतु 40,000 रू0 स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कराया गया है।

02. एसएएफ बैरिक मरम्मत कार्य हेतु 40,000 रू0 पुलिस लाइन में टायलेट निर्माण हेतु 40,000 रू0, मोटर गैरिज क्र0 1, 2 की मरम्मत कार्य 45,000 रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कार्य पूर्ण कराया गया है।
03. जिला शहडोल पुलिस लाइन में पोलनेट अर्थ स्टेषन हेतु कक्ष निर्माण के लिए 54,000 रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कार्य पूर्ण कराया गया है।
0.4. कोतवाली आवासीय परिसर में ट्यूबबेल एवं मोटर पम्प पाइप लाइन फीटिंग कार्य हेतु 89,527 रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

foRrh; o"k 2004&05 & 01. पुलिस लाइन आवासगृह पाइप लाइन बिछाने हेतु 50,000 रू0, नाली निर्माण हेतु 50,000 रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कार्य पूर्ण कराया गया है।
02. उप पुलिस महानिरीक्षक शहडोल क्षेत्र के निवास में लघु निर्माण कार्य हेतु 4,00000 रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कार्य पूर्ण कराया गया है।
foRrh; o"k 2005&06 & 01. पुराने आवासगृहों को टूटे फूटे खिड़कियों, दरवाजों, नाली, पेयजल व्यवस्था सुधारने हेतु 250,0000 रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कार्य पूर्ण कराया गया है।
02. उप पुलिस महानिरीक्षक शहडोल क्षेत्र के निवास निर्माण कार्य हेतु 7,00000 रू0 की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कार्य पूर्ण कराया गया है।

if'k{k.k %

पुलिस कर्मचारियों को अजा/जजा वर्ग के लोगों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने तथा पुलिसकर्मियों के व्यवहार में बदलाव लाने हेतु अजाक जिला मुख्यालय स्तर पर 14 सेमीनार का आयोजन कर कुल 474 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया । प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित थानों में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु सामग्री एवं पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया गया, ताकि पुलिस अधिकारी इन वर्गों के प्रति और अधिक संवेदनशील बन सके । रेंज/जिला स्तर पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

जिला शहडोल के 02 अधिकारी को प्रान्त के बाहर व्ही,आई.पी. सुरक्षा एवं फारेन्सिक साईन्स कोर्स के प्रषिक्षण हेतु, 02 अपुअ, 09 उपुअ, 28 निरी., 30 उ.नि., 30 सउनि, 39 प्र.आर., 30 आर. तथा जिले के अन्दर 38 उ.नि., 32 सउनि, 104 प्र.आर., 209 आर. को विभागीय प्रषिक्षण दिलाया गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रषिक्षण प्राप्त करने से कार्यक्षमता एवं कार्यदक्षता में वृद्धि हुई है।

f'kdk;r turk fo:) turk fnukd 31-08-05 dh fLFkfr e: ftyk 'kgMky

क्र0	आयोग का नाम	पूर्व की लंबित	अवधि में प्राप्त	कुल प्राप्त षिकायत	निराकृत	लंबित	लंबित षिकायतों का विवरण						
							01 माह	02 माह	03 माह	04 माह	05 माह	06 माह	06 माह से अधिक
1	मानव अधिकार आयोग	—	33	33	26	07	04	02	01	—	—	—	—
2	एससी/एसटी आयोग	—	01	01	—	01	—	01	—	—	—	—	—
3	राज्य महिला आयोग	—	03	03	03	—	—	—	—	—	—	—	—
4	पिछड़ा वर्ग आयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	पुलिस मुख्यालय भोपाल	—	52	52	49	03	02	01	—	—	—	—	—
6	पुलिस महानिरीक्षक रीवा	01	127	128	110	18	10	05	03	—	—	—	—
7	उप पु0म0नि0 शहडोल	01	118	119	83	36	20	15	01	—	—	—	—
8	मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल	—	75	75	64	11	08	02	01	—	—	—	—
9	मंत्री/विधायक	—	05	05	03	02	—	01	01	—	—	—	—
10	जिलाध्यक्ष कार्यालय शहडोल	23	254	277	190	107	40	25	10	09	—	—	23

ifyl }kjk fujkdr idj.kksa dh tkudkjh o"kZ 2003] 2004] ,oa 2005 ¼tuojh ls vxLr½ ftyk 'kgMkyk

क्र0	वर्ष	कुल पंजीबद्ध अपराध	चालान	चालान का प्रतिषत	एफआर	एफआर का प्रतिषत	ईआर	ईआर का प्रतिषत	लंबित पुलिस
1	2003	2226	1787	80	432	19	06	0.26	01
2	2004	1652	1371	83	277	17	04	0.24	—
3	2005	1751	1367	78	204	12	—	—	180

U;k;ky; }kjk fujkdr idj.kksa dh tkudkjh o"kZ 2003]2004] ,oa 2005 ¼tuojh ls vxLr½ ftyk 'kgMkyk

क्र0	वर्ष	कुल निराकृत प्रकरण	दोषमुक्त	दोषमुक्त का प्रतिषत	सजा	सजा का प्रतिषत	राजीनामा	राजीनामा का प्रतिषत
1	2003	480	168	35	152	32	160	33
2	2004	386	134	35	112	29	140	36
3	2005	—	—	—	—	—	—	—

lesl ,oa okjVksa dh rqyukRed tkudkjh ftyk 'kgMkyk fn0 01-01-03 ls 31-08-03] 01-01-04 ls 31-08-04 ,oa 01-01-05 ls 31-08-05 rd ftyk 'kgMkyk

¼1½ lesl turk

वर्ष	पूर्व लंबित	अवधि मे प्राप्त	योग	तामिल	अदम तामिल	स्थानान्तरण	लंबित	तामीली का प्रतिषत
2003	289	10791	11080	8886	1066	594	534	80
2004	443	18012	18455	14681	2273	796	705	79
2005	215	10864	11079	9652	1001	298	128	87

¼2½ lesl deipkjh@vf/kdkjh

2003	112	2412	2524	1767	329	320	108	70
2004	117	4902	5019	3609	754	527	129	71
2005	69	2763	2832	2220	256	294	62	78

¼3½ tekurh okjVV turk

2003	115	2912	3027	2176	449	187	214	71
2004	177	4426	4603	3283	893	197	230	74
2005	122	4666	4788	4010	575	121	82	83
¼4½ tekurh okjiV deipkjh@vf/kdkjh								
2003	32	583	615	397	94	95	29	64
2004	82	678	760	512	125	92	31	67
2005	33	1175	1208	961	129	93	25	79
¼5½ fxjQ·rkjh okjiV turk								
2003	421	3077	3498	922	1758	320	498	26
2004	448	4089	4537	1646	2144	284	463	36
2005	159	2760	2919	1452	1156	167	144	49

¼6½ fxjQ·rkjh okjiV deipkjh@vf/kdkjh								
2003	03	26	29	15	05	08	01	51
2004	01	34	35	25	06	02	02	71
2005	02	29	31	21	05	01	04	67
¼7½ LFkkbi okjUV turk								
2003	581	60	641	44	01	25	571	06
2004	457	150	607	113	06	59	429	18
2005	340	69	409	69	—	67	273	16

¼8½ deipkjh LFkkbi okjUV %& fujid A

rk0fg0 dh xHkhj vijk/kk dh rqYukRed tkudkjh fnukad 01-01-03 ls 31-08-03] 01-01-04 ls 31-08-04 ,oa 01-01-05 ls 31-08-05 rd ftyk 'kgMksy

क्र0	अप.शीर्ष	माह	रिपोर्ट	तप्तीस	खात्मा	खारिजी	गिरफ्तार		चालान		सजा		बरी		राजीनामा		पेंडिंग पुलिस		पेंडिंग अदालत		रफ्ता	बजा0
							मु0	अ0	मु0	अ0	मु	अ0	मु	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	धारा 302	2003	29	29	03	—	26	41	26	41	07	08	09	13	—	—	—	—	10	20	—	—
		2004	23	23	02	—	21	45	21	45	03	06	04	09	—	—	—	—	14	30	—	—
		2005	32	32	—	—	24	43	24	43	—	—	—	—	—	—	08	—	24	43	—	—
2	धारा 307	2003	13	13	01	—	12	22	12	22	03	05	03	04	—	—	—	—	06	13	—	—
		2004	12	12	—	—	12	24	12	24	02	05	04	07	—	—	—	—	06	12	—	—
		2005	09	09	01	—	07	10	07	10	—	—	—	—	—	—	01	—	07	10	—	—
3	डकैती	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	डकैती की तैयारी	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	03	03	—	—	03	18	03	18	—	—	01	06	—	—	—	—	02	12	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	लूट	2003	20	20	03	—	17	36	17	36	03	07	05	08	—	—	—	—	09	21	106060	76635
		2004	16	16	05	—	11	22	11	22	03	05	03	08	—	—	—	—	05	09	434400	288970
		2005	17	17	—	—	12	18	12	18	—	—	—	—	—	—	05	—	12	18	863480	266933
6	गृह भेदन	2003	173	173	136	—	37	69	37	69	07	12	09	16	—	—	—	—	21	41	1526393	251913
		2004	152	152	117	—	35	68	35	68	06	13	04	15	—	—	—	—	25	40	1107976	251700
		2005	150	150	71	—	43	57	43	57	—	—	—	—	—	—	36	—	43	57	2100128	267305
7	साधारण चोरी	2003	151	151	71	—	80	117	80	117	08	17	13	24	—	—	—	—	59	76	1120096	310099
		2004	134	134	82	—	52	156	52	156	07	11	10	15	—	—	—	—	35	130	2237160	613000
		2005	139	139	64	—	51	78	51	78	—	—	—	—	—	—	24	—	51	78	2536061	1418103

8	पशु चोरी	2003	08	08	07	—	01	02	01	02	—	—	01	02	—	—	—	—	—	—	47800	6000
		2004	06	06	06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37500	7000
		2005	17	17	12	—	02	04	02	04	—	—	—	—	—	—	03	—	02	04	114300	10100
9	बलात्कार	2003	23	23	—	01	22	36	22	36	06	08	06	10	—	—	—	—	10	18	—	—
		2004	33	33	—	—	33	45	33	45	03	04	10	15	—	—	—	—	20	26	—	—
		2005	26	26	—	—	22	38	22	38	—	—	—	—	—	—	04	—	22	38	—	—
10	अपहरण	2003	03	03	—	—	03	06	03	06	—	—	01	04	—	—	—	—	02	02	—	—
		2004	06	06	—	—	06	11	06	11	—	—	01	02	—	—	—	—	05	09	—	—
		2005	05	05	—	—	03	05	03	05	—	—	—	—	—	—	02	—	03	05	—	—
11	बलवा	2003	21	21	01	—	20	170	20	170	01	07	02	13	03	16	—	—	14	134	—	—
		2004	09	09	—	—	09	63	09	63	01	05	02	15	02	11	—	—	04	32	—	—
		2005	17	17	—	—	17	102	17	102	—	—	—	—	—	—	—	—	17	102	—	—
12	ता.हि. के अन्य	2003	1785	1785	210	05	1569	2868	1569	2868	117	238	119	239	157	318	01	—	1176	2073	—	—
		2004	1258	1258	65	04	1189	2375	1189	2375	87	173	95	204	138	290	—	—	869	1708	—	—
		2005	1339	1339	56	—	1186	2337	1186	2337	—	—	—	—	—	—	97	—	1186	2337	—	—
	योग :—	2003	2226	2226	432	06	1787	3367	1787	3367	152	302	168	333	160	334	01	—	1307	2398	2800349	644647
		2004	1652	1652	277	04	1371	2827	1371	2827	112	222	134	296	140	301	—	—	985	2008	3817036	1150670
		2005	1751	1751	204	—	1367	2692	1367	2692	—	—	—	—	—	—	180	—	1367	2692	5613969	1932441

ekbuj ,DV vijk/kk dh rqyukRed tkudkjh ftyk 'kgMkyk fnukd 01-01-03 ls 31-08-03] 01-01-04 ls 31-08-04 ,oa 01-01-05 ls 31-08-05 rd

क्र0	अपराध शीर्ष	माह	रिपोर्ट	तप्तीष	खात्मा	खारिजी	गिर0		चालान		सजा		बरी		पे0पुलिस		पे0अदालत	
							मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0
1	आर्म्स एक्ट	2003	122	122	—	—	122	122	122	122	10	10	08	08	—	—	104	104
		2004	201	201	—	—	201	201	201	201	03	03	04	04	—	—	194	194
		2005	73	73	—	—	73	73	73	73	—	—	—	—	—	—	73	73
2	आबकारी एक्ट	2003	213	213	—	—	213	213	213	213	205	205	08	08	—	—	—	—
		2004	184	184	—	—	184	184	184	184	174	174	10	10	—	—	—	—
		2005	167	167	—	—	167	167	167	167	85	85	—	—	—	—	82	82
3	सट्टा एक्ट	2003	89	89	—	—	89	89	89	89	83	83	06	06	—	—	—	—
		2004	225	225	—	—	225	225	225	225	218	218	07	07	—	—	—	—
		2005	238	238	—	—	238	238	238	238	112	112	—	—	—	—	126	126
4	जुआ एक्ट	2003	118	118	—	—	118	634	118	634	113	608	05	26	—	—	—	—
		2004	111	111	—	—	111	483	111	483	104	454	07	29	—	—	—	—
		2005	89	89	—	—	89	384	89	384	51	231	—	—	—	—	38	153
5	ईसी एक्ट	2003	01	01	—	—	01	02	01	02	01	02	—	—	—	—	—	—
		2004	03	03	—	—	03	04	03	04	—	—	—	—	—	—	03	04
		2005	02	02	—	—	02	03	02	03	—	—	—	—	—	—	02	03
6	मो.व्ही.एक्ट	2003	650	650	—	—	—	—	650	650	650	650	—	—	—	—	—	—
		2004	1153	1153	—	—	—	—	1153	1153	1153	1153	—	—	—	—	—	—
		2005	1318	1318	—	—	—	—	1318	1318	1318	1318	—	—	—	—	—	—
7	पुलिस एक्ट	2003	600	600	—	—	—	—	600	600	600	600	—	—	—	—	—	—
		2004	350	350	—	—	—	—	350	350	350	350	—	—	—	—	—	—
		2005	453	453	—	—	—	—	453	453	453	453	—	—	—	—	—	—
8	नार0 एक्ट	2003	03	03	—	—	03	03	03	03	—	—	01	01	—	—	02	02
		2004	07	07	—	—	07	09	07	09	—	—	—	—	—	—	07	09
		2005	17	17	—	—	16	20	16	20	—	—	—	—	01	—	16	20
9	विस्फोटक अधि0	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	01	01	—	—	01	01	01	01	—	—	—	—	—	—	01	01
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

10	आफिस सीक्रेट	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	अन्य अधि0	2003	12	12	—	—	12	14	12	14	06	08	06	06	—	—	—	—
		2004	02	02	—	—	02	04	02	04	02	04	—	—	—	—	—	—
		2005	14	14	—	—	14	17	14	17	—	—	—	—	—	—	14	17
	योग	2003	1808	1808	—	—	558	1077	1808	2327	1668	2166	34	55	—	—	106	106
		2004	2237	2237	—	—	734	1111	2237	2614	2004	2356	28	50	—	—	205	208
		2005	2371	2371	—	—	599	902	2370	2673	2019	2199	—	—	01	—	351	474

ifrc/kkRed dk;okgh dh rqyukRed tkudkjh fnukd 01-01-03 ls 31-08-03] 01-01-04 ls 31-08-04 ,oa 01-01-05 ls 31-08-05 rd
ftyk 'kgMkyk ¼e0i0½

क्र0	अपराध शीर्ष	माह	रिपोर्ट	गिरफ्तारी		चालान		फाईल		बाउड ओवर		पेडिंग पुलिस		पेडिंग अदालत	
				मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	पुरुष	महिला	मु0	अ0	मु0	अ0
1	109 जा0फौ0	2003	170	170	170	170	170	170	170	–	–	–	–	–	–
		2004	196	196	200	196	200	196	200	–	–	–	–	–	–
		2005	254	254	254	254	254	42	42	–	–	–	–	212	212
2	धारा 110 जा0फौ0	2003	140	140	140	140	140	140	140	–	–	–	–	–	–
		2004	235	235	235	235	235	235	235	–	–	–	–	–	–
		2005	158	158	158	158	158	37	37	–	–	–	–	121	121
3	धारा 151 जा0फौ0	2003	28	28	55	28	55	28	55	–	–	–	–	–	–
		2004	33	33	53	33	53	33	53	–	–	–	–	–	–
		2005	83	83	102	83	102	08	09	–	–	–	–	75	93
4	धारा 107, 116(3)	2003	1446	–	–	1446	3672	1446	3672	524	–	–	–	–	–
		2004	1844	–	–	1844	4920	1844	4920	1700	–	–	–	–	–
		2005	2813	–	–	2813	5586	503	1241	479	–	–	–	2310	4345
5	एन.एस.ए.	2003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2004	04	04	04	04	04	04	04	–	–	–	–	–	–
		2005	01	01	01	01	01	–	–	–	–	–	–	01	01
6	जिला बदर	2003	08	08	08	08	08	08	08	–	–	–	–	–	–
		2004	33	33	33	33	33	33	33	–	–	–	–	–	–
		2005	15	15	15	15	15	–	–	–	–	–	–	15	15
	;kx&	2003	1792	346	373	1792	4045	1792	4045	524	&	&	&	&	&
		2004	2345	501	525	2345	5445	2345	5445	1700	&	&	&	&	&
		2005	2324	511	530	2324	6116	590	1329	479	&	&	&	2734	4787

lelr oxZ dh efgykvksa ij ?kfVr vijk/kksa dh rqyukRed tkudkjh fn0 01-01-03 ls 31-08-03] 01-01-04 ls 31-08-04 ,oa 01-01-05 ls 31-08-05 rd 'kgMksy

क्र0	अपराध शीर्ष	माह	रिपोर्ट	तप्तीस	खात्मा	खारिजी	गिरफ्तार		चालान		सजा		बरी		राजीनामा		पेडिग पुलिस		पेंडिग अदा0	
							मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु0	अ0	मु	अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	धारा 302	2003	10	10	—	—	10	12	10	12	02	02	03	03	—	—	—	—	05	07
		2004	04	04	—	—	04	04	04	04	01	01	—	—	—	—	—	—	03	03
		2005	08	08	—	—	08	10	08	10	—	—	—	—	—	—	—	—	08	10
2	धारा 307	2003	03	03	—	—	03	05	03	05	—	—	01	02	—	—	—	—	02	03
		2004	01	01	—	—	01	01	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01	01
		2005	04	04	—	—	04	05	04	05	—	—	—	—	—	—	—	—	04	05
3	धारा 376	2003	23	23	—	01	22	36	22	36	06	08	06	10	—	—	—	—	10	18
		2004	33	33	—	—	33	45	33	45	03	04	10	15	—	—	—	—	20	26
		2005	26	26	—	—	22	38	22	38	—	—	—	—	—	—	04	—	22	38
4	अपहरण	2003	03	03	—	—	03	06	03	06	—	—	01	01	—	—	—	—	02	05
		2004	06	06	—	—	06	11	06	11	01	02	—	—	—	—	—	—	05	09
		2005	05	05	—	—	03	05	03	05	—	—	—	—	—	—	02	—	03	05
5	धारा 324	2003	28	28	—	—	28	45	28	45	03	04	05	07	08	11	—	—	12	23
		2004	21	21	—	—	21	29	21	29	03	04	04	05	04	04	—	—	10	16
		2005	29	29	—	—	29	37	29	37	—	—	—	—	—	—	—	—	29	37
6	धारा 325	2003	07	07	—	—	07	07	07	07	01	01	02	02	—	—	—	—	04	04
		2004	06	06	—	—	06	12	06	12	01	01	03	08	—	—	—	—	02	03
		2005	07	07	—	—	07	07	07	07	—	—	—	—	—	—	—	—	07	07
7	धारा 354, 509	2003	106	106	01	—	105	137	105	137	11	15	16	23	17	26	—	—	61	73
		2004	96	96	—	—	96	121	96	121	07	12	10	17	14	21	—	—	65	71
		2005	104	104	—	—	97	141	97	141	—	—	—	—	—	—	07	—	97	141
8	धारा 306	2003	04	04	—	—	04	10	04	10	—	—	01	04	—	—	—		03	06
		2004	12	12	—	—	12	31	12	31	02	05	01	03	—	—	—	—	09	23
		2005	11	11	—	—	11	19	11	19	—	—	—	—	—	—	—	—	11	19

9	धारा 304 बी	2003	10	10	—	—	10	26	10	26	01	03	01	02	—	—	—	—	08	21
		2004	03	03	—	—	03	09	03	09	01	02	—	—	—	—	—	—	02	07
		2005	10	10	—	—	06	15	06	15	—	—	—	—	—	—	04	—	06	15
10	धारा 498 ए	2003	60	60	01	—	59	158	59	158	09	15	10	21	14	22	—	—	26	100
		2004	53	53	—	—	53	111	53	111	06	10	08	16	09	16	—	—	30	69
		2005	45	45	—	—	42	97	42	97	—	—	—	—	—	—	03	—	42	97
11	लूट	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	01	01	—	—	01	02	01	02	—	—	—	—	—	—	—	—	01	02
		2005	01	01	—	—	01	01	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01	01
12	धारा 341, 294, 506 बी	2003	90	90	—	—	90	126	90	126	09	13	13	16	18	23	—	—	50	74
		2004	94	94	—	—	94	153	94	153	13	21	16	21	21	30	—	—	44	81
		2005	72	72	—	—	72	96	72	96	—	—	—	—	—	—	—	—	72	96
13	धारा 436 ताहि0	2003	02	02	—	—	02	02	02	02	—	—	01	01	—	—	—	—	01	01
		2004	02	02	—	—	02	05	02	05	01	02	—	—	—	—	—	—	01	03
		2005	01	01	—	—	01	01	01	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01	01
14	3/4 दहेज अधिनियम	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	अनैतिक व्यापार निवारण अधि0	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2005	01	01	—	—	01	06	—	—	—	—	—	—	—	—	01	06	—	—
	;kx ¼&	2003	346	346	02	01	343	570	343	570	42	61	60	92	57	82	—	—	184	335
		2004	331	331	—	—	331	530	331	530	38	62	52	85	48	71	—	—	193	312
		2005	324	324	—	—	304	478	303	472	—	—	—	—	—	—	21	06	303	472

vigr ,oa cjken lifRr dh rqYukRed tkudkjh fnukd 01-01-03 ls 31-08-03] 01-01-04 ls 31-08-04 ,oa 01-01-05 ls 31-08-05 rd fty k 'kgMky

क्रमांक	अपराध शीर्ष	माह	पंजीवद्ध प्रकरण	बरामद प्रकरण	रफ्ता	बजाफ्ता	बरामदगी का प्रतिषत
1	डकैती	2003	—	—			—
		2004	—	—			—
		2005	—	—			—
2	लूट	2003	20	17	106060	76635	72
		2004	16	11	434400	288970	64
		2005	17	12	863480	266933	30
3	गृह भेदन	2003	173	37	1526393	251913	17
		2004	152	35	1107976	251700	23
		2005	150	43	2100128	267305	13
4	साधारण चोरी	2003	151	80	1120096	310099	28
		2004	134	52	2237160	613000	28
		2005	139	51	2536061	1418103	56
5	पशु चोरी	2003	08	01	47800	6000	13
		2004	06	—	37500	7000	19
		2005	17	02	114300	10100	09

ftyk esa fd, x;s vPNs dk;ksZ dh tkudkjh &

1. Fkkuk veyb& के अप0 क्र0 392/04 धारा 380/34 ताहि दिनांक 30.12.04 को फरियादी इन्द्रपाल सिंह नि0 बरगंवा द्वारा रिपोर्ट की गई कि 28/29.12.04 की दरम्यानी रात्रि अज्ञात बदमाषों द्वारा उसकी मोटर साईकिल चुरा ली गई है। रिपोर्ट पर अपराध कायम किया जाकर प्रकरण की विवेचना की गई विवेचना के दौरान आरोपी तीरथ प्रसाद पिता बाबूलाल पनिका निवासी धनपुरी एवं संतोष कुमार पिता गंगाराम बर्मन के कब्जे से चोरी गई मोटर सायकिल बरामद की जाकर जुडीषियल रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। इसी प्रकार थाना अमलई के अप0क्र0 04/05 धारा 379, 34 ताहि एवं थाना कोतवाली के अप0क्र0 871/04 धारा 379 ताहि में चोरी गई मोटर साईकिल पूंछतांछ के दौराान उक्त आरोपियों द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया।

2. Fkkuk veyb& अप0 क्र0 09/05 धारा 379 ताहि दिनांक 10.01.05 को फरियादी के0ए0 सुन्दर पिता के0बी0ए0 रमन रेल्वे कालोनी अमलई द्वारा रिपोर्ट की गई कि वे सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम देखने गये थे उसी दौरान उनकी स्कूटर अज्ञात बदमाष द्वारा चुरा लिया गया रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना के दौरान आरोपी लल्लू उर्फ सुभान सिंह पिता गम्भू सिंह नि0 धोबी दफाई के कब्जे से उक्त चोरी गया स्कूटर बरामद किया जाकर प्रकरण में चालान क्र 07/05 दिनांक 21.01.05 पेष न्यायालय किया गया।

3. Fkkuk veyb& दिनांक 29.05.05 को स्टेषन मास्टर अमलई द्वारा थाने में सूचना दी गई कि प्लेटफार्म नं0 03 में रंगीन पोलीथिन पैकेट में कोई संदिग्ध वस्तु रखी है जिससे घड़ी के अलार्म की तरह आवाज आ रही है। सूचना पर थाना प्रभारी अमलई द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर प्लेटफार्म नं0 03 में रखी संदिग्ध वस्तु जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रखी गई थी। इसी बीच प्लेटफार्म में यात्री गाड़ी भी आ गई, जिससे प्लेटफार्म नं0 03 पर काफी भीड़–भाड़ एवं अफरा–तफरी मच गई। किसी गंभीर घटना को रोकने हेतु संदिग्ध वस्तु को जो दिखने में टाईम बम की तरह बनाया गया था तत्काल पुलिस कर्मचारियों जोखिम उठाते हुए सार्वजनिक स्थान से बिना किसी साधन के हटवाया गया। इस घटना को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अनावष्यक जनता को भयभीत करने एवं पुलिस को परेषान करने के उद्देष्य से रखा गया था। अगर यह संदिग्ध वस्तु टाइम बम होता तो बहुत बड़ी गंभीर घटना घटित हो सकती थी। उक्त वस्तु को बम डिस्पोजल यूनिट जबलपुर द्वारा निष्क्रिय किया गया।

4. Fkkuk c<kj& अप0क्र0 45/05 धारा 457, 380 ताहि में फरियादी भुवनेष्वर दुवे निवासी बुढ़ार ने दिनांक 22.01.05 को रिपोर्ट लिखाया कि किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा 20/21.01.05 की दरम्यानी रात्रि 03 नग चालू कपलिंग चैन कन्वेयर कुल कीमती 3,00000/– रू0 का चोरी कर ले गये। रिपोर्ट पर अपराध का पंजीयन किया जाकर विवेचना के दौरान आरोपियों मुन्ना पासी, गेंदलाल कोंल, किरनदास कोल, केषव अगरिया को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से उपरोक्त चोरी गया सामान जप्त किया जाकर चालान क्र0 28/05 दिनांक 02.02.05 को चालान तैयार किया जाकर पेष न्यायालय किया गया।

5. Fkkuk c<kj& अप0क्र0 208/05 धारा 394 ताहि दिनांक 15.04.05 को फरियादी विष्वनाथ प्रसाद पिता गया प्रसाद तिवारी निवासी बुढ़ार ने रिपोर्ट लिखाया कि आरोपी सितवा उर्फ संतषरण ढीमर पिता ददईया ढीमर एवं नरोत्तम उर्फ छोटईया पिता जगदीष सिंह निवासी धमनी ने आरोपी को मारपीट कर उसके कब्जे से वाहन क्र0 एमपी/18/टी/1040 महेन्द्रा चैम्पियन श्री व्हीलर्स कीमती 175000/– रू0 छीन कर भाग गये। रिपोर्ट पर अपराध का पंजीयन किया

जाकर दिनांक 15.04.05 को आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से उपरोक्त छीनी गई वाहन जप्त कर आरोपियों को जुडीषियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

6. Fkkuk c<kj– मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी बुढ़ार द्वारा दिनांक 21.06.05 आरोपी संजय शुक्ला पिता नारायण प्रसाद शुक्ला एवं रामचन्द्र शुक्ला पिता नारायण प्रसाद शुक्ला साकिनान गोपालपुर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से 118 कि0 250 ग्राम गांजी कीमती 132000/– रू0 जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अप0 क्र0 330/05 धारा 20–बी नार0 एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपियों को जुडीषियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

7- Fkkuk c<kj& फरियादी एस0 साहू पिता बी0एल0 साहू कनिष्ठ पथ अभियन्ता बुढ़ार द्वारा दिनांक 18.05.05 को लिखित सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा उत्कल एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने के उद्देष्य से बुढ़ार छांदा के बीच जमुनिहा पुल के ऊपर अप लाईन में ईएसटी–9 स्लीपर को रेल्वे लाईन के मध्य में गाड़कर खड़ा कर दिया। सूचना पर थाना बुढ़ार में अपराध क्र0 270/05 धारा 150 (ख) भारतीय रेल अधिनियम 1989 के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियान (1) मनीष गुप्ता पिता मानिकचन्द्र गुप्ता 27 वर्ष (2) चन्द्रभान पिता रघुनाथ सिंह गोंड़ 18 वर्ष. (3) मेला राम पिता काषी वर्मा उम्र 19 वर्ष (4) राजेष कुमार पिता रामगरीब यादव 25 वर्ष (5) सूखे लाल पिता रामसहाय वैगा 19 वर्ष (6) नत्थू लाल पिता भूरा वैगा 20 वर्ष (7) सुदामा पिता रमेष लाल वैगा 19 वर्ष (8) गोकुल पिता लखन प्रसाद ढीमर 19 वर्ष (9) रामदीन यादव 19 वर्ष सभी निवासी छांदा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विवेचना पूर्ण होने से दिनांक 14.06.05 को चालान क्र0 261/05 तैयार किया जाकर प्रकरण क्र0 697/05 दिनांक 21.06.05 को पेष न्यायालय किया गया। उक्त आरोपियों में से पांच के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी शहडोल की ओर भेजा गया है। ष

8- Fkkuk c<kj–दिनांक 05.08.05 को फरियादी संजीव वर्मा निवासी सरईकापा ने रिपोर्ट लिखाया कि वाहर रखे ट्रेक्टर क्रमांक/एमपी/18/9401 कीमती 3,00000/– (तीन लाख रूपये) किसी अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर लिया गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक/398/05 धारा 379 ताहि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी श्यामलाल पिता कतकू वैगा निवासी सिंहपुर थाना कोतवाली शहडोल को गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से उक्त चोरी गया ट्रेक्टर बरामद किया जाकर आरोपी को जुडीषियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

9. tfl guxj–दिनांक 18.06.05 को जैसिंहनगर कस्बा में बहोरी जैसवाल की कुआं में गोकुल प्रसाद पिता रामेष्वर तिवारी एवं दादू जैसवाल पिता बहोरी जैसवाल कुएं के अंदर बेहोष हालत में पडे है। गांव की भीड़ इकट्ठा है किन्तु गैस रिसाव के कारण कुएं के अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सूचना पर मय स्टाफ के घटनास्थल पर पहुंचकर गांव वालों के सहयोग से बांस एवं रस्सी द्वारा उनके पैर में रस्सी फंसाकर बेहोष हालत में निकाला गया एवं चिकित्सा हेतु चिकित्सालय जैसिंहनगर भेजा गया।

10- Fkkuk tfl guxj– मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैधरूप से कोयला परिवहन करते हुए थाना प्रभारी जैसिंहनगर द्वारा दिनांक 08.06.05 को जांच पर 09 ट्रकों में स्टीम कोल लोड था सभी की बिल्टियों में स्टीम रिजेक्ट कोल लिखा हुआ था। उक्त कोयला कोल वासरी घिरौल से लोड होकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उ0प्र0 ले जाया जा रहा था, जिन्हें संदेह के आधार पर धारा 102 जा0फौ0 के तहत जप्त किया जाकर दिनांक 14.06.05 को कोयले की गुणवत्ता की जांच एसईसीएल के तकनीकी निरीक्षक से कराई गई जांच पर lh o Mh ग्रेट का कोयला पाया गया। रिजेक्ट कोल की जगह स्टीम कोल की श्रेणी का कोयला पाए जाने पर कूटरचित बिल्टियां होने के कारण खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी मोतीलाल अग्रवाल मेसर्स इण्डो यूनिक फ्लेम लिमिटेड घिरौल एवं समीर अग्रवाल संचालक, वाईस प्रसीडेंट सीमेन्ट सतना, बी0एन0 राय कोल वासरी एवं जप्त सुदा 09 ट्रकों के मालिक व चालकों के

विरूद्ध अप0 क्र0 0/05 धारा 407, 420, 467, 468, 471, 34 ताहि का पंजीबद्ध किया जाकर घटनास्थल थाना धनपुरी क्षेत्र का होने के कारण नम्बर पर कायमी हेतु थाना धनपुरी भेजा गया।

11- Fkkuk tfl lguxj& 17 fDoVy vo/k xkt k&

12. Fkkuk dkrokyh– मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा मय स्टाफ के दिनांक 04.05.05 आरोपी सुनील कुमार लाम्बा अवैध रूप से बहुत मात्रा में गांजा रखे हुए है। इस सूचना पर एसडीएम सोहागपुर की उपस्थिति में वाईपास रोड स्थित लाम्बा की मोटर गैरेज में जंहा ताला लगा हुआ था, ताला तोड़कर बोरियों में रखा 96 किलोग्राम गांजा, एक स्कारपियों एवं अन्य सामग्री कुल कीमती 7.5 लाख जप्त किया गया। सूचना के पूर्व आरोपी फरार होना पाया गया जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।

13. Fkkuk dkrokyh& अप0क्र0 484/05 धारा 302, 34 ताहि का पंजीबद्ध किया गया। फरियादी शम्भूलाल पटेल नि0 ग्राम अंतरा ने रिपोर्ट लिखाया कि आरोपी मुकीमुद्दीन अपने भाई निजामुद्दीन निवासी चंदनिया के साथ मिलकर मृतक पार्षद राजू उर्फ हीरालाल रजक को पूर्व रंजिष की वजह से किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या किया एवं सड़क के किनारे फेंक दिया। रिपोर्ट पर अपराध का पंजीयन किया जाकर विवेचना में लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा दिनांक 23.06.05 को जिलाबंद का आव्हान किया गया था। इसी बीच पुलिस द्वारा रातों–दिन परिश्रम से फरार अपराधियों को दिनांक 23.06.05 को सुबह गिरफ्तार किया जाकर जुडीषियल रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोापियों की गिरफ्तारी हो जाने से जिलाबंद का प्रस्ताव वापस लिया गया एवं नागरिकों द्वारा पुलिस की काफी प्रषंसा की गई।

14- Fkkuk dkrokyh& मुखविर की सूचना पर दिनांक 03.08.05 के 2200 रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली शहडोल द्वारा देह व्यापार में लिप्त फरजाना उर्फ परवीन सिद्दीकी 35 वर्ष नि0 बड़ा तालाव पाण्डवनगर के घर से गुड़िया खान 25 वर्ष, पूजा उर्फ ज्योति केवट 20 वर्ष, दिनेष कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी लपहा थाना करछना इलाहाबाद, अन्जुम जावेद उर्फ गुड्डू 23 वर्ष निवासी नौरोजाबाद, रामलाल केवट 44 वर्ष निवासी पिपरिया को घेराबंदी कर दिनांक घटना को गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध अप0क्रमांक 614/05 धारा 3, 4, 5, 6 देह व्यापार अधि0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को जुडीषियल रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण की विवेचना जारी है।

15- Fkkuk dkrokyh& फरियादी प्रकाष यादव निवासी दुर्गा मंदिर शहडोल ने दिनांक 22.06.05 को रिपोर्ट लिखाया कि आरोपियान अनिल पटेल, प्रकाष सोंधिया, गोलू उर्फ भूपेन्द्र शर्मा एवं सोनू उर्फ दिलीप यादव दिनांक 21.06.05 को चाय पीने के बहाने बुलाकर लाये एवं कट्टे का भय दिखाकर पहले कल्याणपुर फिर ग्राम बूंची ले गये एवं फरियादी के साथ मारपीट किये। फरियादी को रात्रि में तौलिया से बांधकर आरोपीगण सो गये रात्रि में मौका पाकर फरियादी उनके चंगुल से भाग निकला। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्र0 509/05 धारा 364, 294, 323, 506बी, 34 ताहि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों के दस्तयाब न होने पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/पुअ/षह/डीसीबी/344/05 दिनांक 01.07.05 को आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अनिल पटेल एवं प्रकाष सोधिया के ऊपर 5000–5000 रू0 एवं गोलू उर्फ भूपेन्द्र शर्मा तथा सोनू उर्फ दिलीप यादव के ऊपर 2000–2000 रूपये का इनाम घोषित किया गया। दिनांक 03.08.05 को आरोपी गोलू उर्फ भूपेन्द्र शर्मा एवं सोनू उर्फ दिलीप यादव को गिरफ्तार किया जाकर जुडीषियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

16- Fkkuk dkrokyh– फरियादी रमेष कुमार पिता काषी प्रसाद वर्मा ने दिनांक 25.02.05 को रिपोर्ट किया कि दिनांक 24/25.02.05 की दरम्यानी रात्रि एसडीएम जैसिंहनगर श्री रमेष कुमार मिश्रा के पाण्डवनगर स्थित आवासगृह से शासकीय वाहन जीप में लगा वायरलेस सेट मय प्रेषर माईक के किसी अज्ञात आरोपी द्वारा चुरा लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अप0क्र0 178/05 धारा 379 ताहि का पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना की गई। दौरान

विवेचना दिनांक 15.07.05 को आरोपी परवेज आलम उर्फ शाहिद अली 19 वर्ष एवं उसका भाई स्ताक अली उम्र 12 वर्ष पिता सैयद सोराज हसन नि0 चंदनिया को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से चोरी गयी सामग्री बरामद कर प्रकरण में चालान क्र0 439/05 दिनांक 31.07.05 को पेष न्यायालय किया गया।

17- Fkkuk dkrokyh& dEI;Vj pkjh ¼,lMh,e dk;kZy;½

18- Fkkuk noyksn– मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैधरूप से कोयला परिवहन करते हुए थाना प्रभारी देवलोंद द्वारा दिनांक 09.06.05 को जांच पर 02 ट्रकों में ट्रक क्र0 पूपी/70–एटी/0172 एवं ट्रक क्र0 एमपी/17 सी/0639 स्टीम कोल लोड था सभी की बिल्टियों में स्टीम रिजेक्ट कोल लिखा हुआ था। उक्त कोयला कोल वासरी घिरौल से लोड होकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उ0प्र0 ले जाया जा रहा था, जिन्हें संदेह के आधार पर धारा 102 जा0फौ0 के तहत जप्त किया जाकर दिनांक 17.06.05 को कोयले की गुणवत्ता की जांच खनिज अधिकारी शहडोल से कराई गई जांच पर Mh ,o b ग्रेट का कोयला पाया गया। रिजेक्ट कोल की जगह स्टीम कोल की श्रेणी का कोयला पाए जाने पर कूटरचित बिल्टियां होने के कारण खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी मेसर्स इण्डो यूनिक फ्लेम लिमिटेड घिरौल 02 ट्रकों के मालिको व चालकों के विरूद्ध अप0 धारा 407, 420, 467, 468, 471, 34 ताहि का होना पाया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना हेतु थाना धनपुरी की ओर भेजा जाता है।

19. ok.klkxj ifj;kstuk Mwc{ks= dk foLFkkiu–वाणसागर परियोजना डूब क्षेत्र विस्थापन/पुनर्वास कार्य दिनांक 15.05.2005 से प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण चल रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई है। कुल 22 ग्रामों के 3639 परिवारों का विस्थापन/पुनर्वास किया जाना था जिसमें अभी तक कुल 18 ग्रामों एवं 3130 परिवारों का विस्थापन हो चुका है। शेष 02 ग्रामों एवं इन ग्रामों के कुल 357 परिवार विस्थापन हेतु शेष हैं। विस्थापन/पुनर्वास कार्य शांतिपूर्ण चल रहा है। समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए वाढ़ की संभावना हो सकती है जिसमें बचाव कार्य एवं जान माल की सुरक्षा हेतु पृथक से कार्ययोजना बनाई गई है।

&000&

[ksy ,o ;qod dY;k.k foHkkx 'kgMksy ¼e0iz0½

1] iLrkouk¼&

शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। खेल एवं युवक कल्यांण गतिविधियो के विकास ,संवर्धन हेतु जिले मे समन्वित कार्य योजना की आवष्यकता है । यद्यपि शासकीय एवं अषासकीय प्रयासेा से इस दिषा मे काफी कुछ प्रयास किया गया है , किन्तु फिर भी इस क्षेत्र मे बहुत कुछ करना शेष है । जिला मुख्यालय के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्र मे संयुक्त प्रयास एवं सहभागिता से खेल एवं युवक कल्याण की गतिविधियो को बढावा मिल सकेगा । इस दृष्टि से विभाग द्वारा विभिन्न खेल विधाओ का प्रषिक्षण/ प्रतियोगिता/ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

2] y{; o mn~ns';¼&

1– शहरी एवं ग्रामीण खिलाडियो को विभिन्न खेल विधाओ का प्रषिक्षण देना।
2– अषासकीय एवं स्वयं सेवी संस्थाओ को अनुदान देना।
3– खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन करना।
4– खेल मैदानो के विकास विस्तार व मरम्मत हेतु अनुदान देना।
5– प्रषिक्षण षिविर मे समर कैम्प के साथ इसमे चयनित उत्कृष्ट खिलाडियो का 15 दिवसीय विषेष प्रषिक्षण षिविर आयोजन करना ताकि राज्यस्तर पर खिलाडी वेहतर प्रदर्षन कर सके।
6– खिलाडी, प्रोत्साहन के अंतर्गत उदयीमान खिलाडियो को खेल वृत्ति एवं राष्ट्रीय दिवसो के अवसर पर जैसे खेल दिवस जनसंख्या दिवस सदभावना दौड व स्वतंत्रता दौड,युवा दिवस आयोजन हेतु कार्य करने की पहल करना।
7– अधो संरचना मद के अतर्गत स्टेडियमो के रख रखाव व खेल मैदानो के विकास के साथ 5000 तक आवादी वाले गावो मे खेल मेदानो के विकास हेतु कार्य करना।

3] izkFkfedrk;sa ¼&

1– अषासकीय स्वयं सेवी खेल संस्थाओ को अनुदान देकर उन्हे रचनात्मक कार्यो से जोडने का प्रयास करना।
2– जिले के विभिन्न खेल विधाओ से संबंधित वालक /वालिकाओ खिलाडियो को प्रषिक्षण देना।
3– जिले के खिलाडी वर्ग के वालक बालिकाओ एवं युवाओ को उनकी प्रतिभा को निखारने हेतु खेल प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके उन्हे समुचित प्रषिक्षण देना एवं उत्कृष्ट प्रदर्षन हेतु तैयार करना ।
4– मूल भूत सुविधाओ के तहत जिले के खिलाडियो के लिये खेल मैदानो का निर्माण/मरम्मत /सुधार कार्य कर उपलब्धता सुनिष्चित करना।

4] orZeku fLFkfr ¼& वर्ष2004–05 मे 04.70 लाख का आवंटन प्रावधान था जिसमे विभिन्न आयु वर्ग के बालक /बालिका एवं महिला खिलाडी युवाओ को विभिन्न खेल विधाओ तथा कार्यक्रमो के माध्यम से लाभान्वित कराया गया है ।चालू वर्ष 2005–06 के लिये 02.67 लाख का प्रावधान है जिससे लगभग तीन हजार वालक/बालिका खिलाडी युवक /युवतियो को लाभान्वित कराया जा रहा है।

5] o"k 2006&2007 d fy; iko/kku %&

वर्ष 2006–2007 के लिये कुल 10,00 लाख प्रस्तावित है इस राषि से खेल एवं युवक कल्यांण की विभिन्न गतिविधियो को संचालित कर लगभग चार हजार बालक/बालिका खिलाडियो एवं युवाओ को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है।

प्रपत्र : अ– 1

ftyk ;ktuk o"k 2004&2005
okLrfod 0;; dh tkudkjh

जिला :– शहडोल

विभाग का नाम :– खेल एवं युवक कल्यांण विभाग (रूपये लाख मे)

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	राज्य योजना मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधान	कुल व्यय (4+14)	राज्यांष से व्यय की गई राषि					
				कुल व्यय (5+6)	चालू योजनाये	नई योजनाये	समान्य योजना	आदिवासी उप योजना	विशेष घटक योजना
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	00.09	00.09	00.09	00.09	00	00	00.09	00
2	खेलसामग्री का क्रय(जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	00.09	00.09	00.09	00.09	00	00	00.09	00
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	00.15	00.15	00.15	00.15	00	00	00.15	00
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	00.15	00.15	00.15	00.15	00	00	00.15	00
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	00.08	00.08	00.08	00.08	00	00	00.08	00
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	00.05	00.05	00.05	00.05	00	00	00.05	00
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	00.03	00.03	00.03	00.03	00	00	00.03	00
8	युवा संधि अनुदान(युवा उत्सव)	00.06	00.06	00.06	00.06	00	00	00.06	00
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	04.00	04.00	04.00	04.00	00	00	04.00	00
	;kx	04-70	04-70	04-70	04-70	00	00	04-70	00

प्रपत्र : अ– 1

ftyk ;kstuk o"kZ 2004&2005
okLrfod 0;; dh tkudkjh

जिलाः–शहडोल

विभाग का नाम :– खेल एवं युवक कल्यांण विभाग (रूपये लाख मे)

क्र0	योजना / कार्यक्रम का नाम	अन्य स्त्रोतो से प्राप्त व्यय की गई राषि					कुल व्यय मे से					रिमार्क	योजना का आईडी क्र0
		विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाये (केन्द्रांषं)	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाये (केन्द्रांषं)	आंतरिक संसाधन	योग (10+11+ 12+13	विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	पूजीगत व्यय	महिला कल्यांण की योजना काअंष	स्वैच्छिक संर्गठनो को अनुदान		
	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	77
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	78
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00.15	00	189
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	191
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	192
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	00	00	00	00	00	00	00	00	00.05	00	00	193
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	194
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	195
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	196
	;kx	00	00	00	00	00	00	00	00	00-05	00-15	00	00

izi= v& 2

ftyk ;kstuk o"kZ 2005&2006
;kstuk izko/kku ,oa vuqekfur O;; dh tkudkjh

जिलाः— शहडोल
विभाग का नाम :—खेल एवं युवक कल्यांण विभाग (रूपये लाख मे)

क्र0	योजना / कार्यक्रम का नाम	राज्य योजना मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रांवधान	वजट प्रावधान	कुल अनुमानित व्यय (5+15)	अनुमानित व्यय — राज्यांष					
					योग (6+7)	चालू योजनाये	नई योजनाये	सामान्य योजनाये	आदिवासी उपयोजना	विशेषघटक योजना
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	00.20	00.20	00.20	00.20	00.20	00.	00	00.20	00
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	00.20	00.20	00.20	00.20	00.20	00	00	00.20	00
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	00.12	00.12	00.12	00.12	00.12	00	00	00.12	00
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	00.20	00.20	00.20	00.20	00.20	00	00	00.20	00
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	00.13	00.13	00.13	00.13	00.13	00	00	00.13	00
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	00.13	00.13	00.13	00.13	00.13	00	00	00.13	00
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	00.05	00.05	00.05	00.05	00.05	00	00	00.05	00
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	00.15	00.15	00.15	00.15	00.15	00.	00	00.15	00
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	01.50	01.50	01.50	01.50	01.50	00	00	01.50	00
	;ksx	02-67	02-67	02-67	02-67	02-67	00	00	02-67	00

i=&v &2

ftyk ;ktuk o"k 2005&2006

iLrkfor iko/kku

;ktuk iko/kku ,o vuqekfur 0;; dh tkudkjh

जिलाः— शहडोल

विभाग का नाम :—खेल एवं युवक कल्यांण विभाग (रूपये लाख मे)

क्र0	योजना / कार्यक्रम का नाम	अन्य स्त्रोतो से प्राप्त व्यय की गई राषि					कुल व्यय मे से					रिमार्क	योजना का आईडी कोड क्र0
		विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाये (केन्द्रांषं)	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाये (केन्द्रांषं)	आंतरिक संसाधन	योग (11+12 + 13+14	विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	पूजीगत व्यय	महिला कल्यांण की योजना काअंष	स्वैच्छिक संर्गठनो को अनुदान		
	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	77
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	78
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00.15	00	189
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	191
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	192
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	00	00	00	00	00	00	00	00	00.13	00	00	193
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	194
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	195
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	196

	;kx	00	00	00	00	00	00	00	00	00-13	00-15	00	00

प्रपत्र अ–3

ftyk ;kstuk o"kZ 2006&2007
iLrkfor iko/kku

जिलाः– शहडोल
विभाग का नाम :–खेल एवं युवक कल्यांण विभाग

(रूपये लाख मे)

क्र0	योजना / कार्यक्रम का नाम	कुल प्रस्तावित योग(3+13)	प्रस्तावित परिव्यय (राज्यांष)					
			कुल प्रस्तावित राज्यांष परिव्यय (4+5)	चालू योजनाये	नई योजनायें	सामांन्य योजनाये	आदिवासी उप योजनाये	विशेष घटक योजना
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	00.50	00.50	00.50	00	00	00.50	00
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	00.60	00.60	00.60	00	00	00.60	00
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	00.50.	00.50.	00.50.	00	00	00.50.	00
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	00.40	00.40	00.40	00	00	00.40	00
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	00.50	00.50	00.50	00	00	00.50	00
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	00.50	00.50	00.50	00	00	00.50	00
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	00.50	00.50	00.50	00	00	00.50	00
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	00.50	00.50	00.50	00	00	00.50	00
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	06.00	06.00	06.00	00	00	06.00	00
	;kx	10-00	10-00	10-00	00	00	10-00	00

ftyk ;kstuk o"k 2006&2007
iLrkfor iko/kku

जिलाः–शहडोल

विभाग का नाम :– खेल एवं युवक कल्यांण विभाग (रूपये लाख मे)

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	अन्य स्त्रोतो से प्राप्त होने वाली राषि					कुल प्रस्तावित राषि मे से					रिमार्क	योजना का आईडी क्र0
		विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाये (केन्द्रांषं)	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाये (केन्द्रांषं)	आंतरिक संसाधन	योग (9+10 + 11+12)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	पूजीगत व्यय	महिला कल्यांण की योजना काअंष	स्वैच्छिक संर्गठनो को अनुदान		
	1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	77
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	78
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00.50	00	189
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	191
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	192
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	00	00	00	00	00	00	00	00	00.50	00	00	193
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	194
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	195
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	196
	;kx	00	00	00	00	00	00	00	00	00-50	00-50	00	00

Hkkfrd y{; ,o miyf0/k;k
i=i= v&4

जिलाः—शहडोल

विभाग का नाम :— खेल एवं युवक कल्यांण विभाग

क्र0	योजना / कार्यक्रम का नाम	इकाई	जिला योजना 2004—2005									
			निर्धारित लक्ष्य					वंस्तविक उपलब्धियां				
			सामान्य योजना	आदिवासी उप योजना	विशेषधटक योजना	योग (3+4+5)	कुल योग से महिला कल्यांण की योजनाओं का अंष	सामान्य योजना	आदिवासी उप योजना	विषेष घटक योजना	योग 8+9+10	कुल योग मे महिला कल्यांण की योजनाओ की उपलब्धि का अंष
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	संख्या	00	587	00	587	150	00	587	00	587	150
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	विधा	00	06	00	06	00	00	06	00	06	00
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	संस्था	00	05	00	05	00	00	05	00	05	00
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	संख्या	00	08	00	08	00	00	08	00	08	00
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	संख्या	00	125	00	125	00	00	125	00	125	00
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	संख्या	00	135	00	135	00	00	135	00	135	135
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	संख्या	00	27	00	27	08	00	27	00	27	08
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	संख्या	00	205	00	205	35	00	205	00	205	35
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	संख्या	00	09	00	09	00	00	09	00	09	00

i:i= v&4

Hkkfrd y{; ,o miyf0/k;k

जिलाः—शहडोल

विभाग का नाम :—खेल एवं युवक कल्यांण विभाग

क्र0	योजना / कार्यक्रम का नाम	इकाई	जिला योजना 2005—2006										जिला योजना 2006—2007						
			निर्धारित लक्ष्य					अनुमानित लक्ष्य					प्रस्तावित लक्ष्य						
			सामान्य योजना	आदिवासी उप योजना	विशेषधटक योजना	योग (13+14+15)	कुल योग मे से महिला कल्यांण की योजनाओ का अंष	समान्य योजना	आदिवासी उप योजना	विशेष घटक योजना	योग	कुलयोग मे से महिला कल्यांण की योजनाओ का अंष	समान्य योजना	टादिवासी उप योजना	विशेष घटक योजना	योग	कुल योग मे्से महिला कल्यांण ाअंष	रिमार्क	योजना का आईडी क्र0
	1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	संख्या	150	470	00	620	175	150	470	00	620	175	300	400	00	700	200	00	77
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	विधा	02	05	00	07	03	02	07	00	07	02	04	05	00	09	02	00	78
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	संस्था	03	05	00	08	02	03	05	00	08	02	05	08	00	13	03	00	189
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	संख्या	03	08	00	11	03	03	08	00	11	03	06	09	00	015	04	00	191
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	संख्या	135	150	00	285	85	135	150	00	285	85	150	200	00	350	50	00	192
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	संख्या	80	125	00	205	205	80	125	00	205	205	100	200	00	300	300	00	193
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	संख्या	27	70	00	97	40	27	70	00	97	40	35	80	00	115	25	00	194
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	संख्या	30	50	00	80	30	30	50	00	80	30	40	70	00	110	35	00	195
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	संख्या	05	08	00	13	03	05	08	00	13	03	06	09	00	15	03	00	196

i:i= l

ftyk ;ktuk vrxr iko/kku ,o 0;; dh jkf'k dk lkjk'k

जिलाः— शहडोल

विभाग का नाम :—खेल एवं युवक कल्यांण विभाग (रूपये लाख मे)

स0 क्र0	योजना का नाम	वर्ष 2004—2005		वर्ष 2005—2006		वर्ष 2006—2007 जिला योजना समिति द्वारा प्रस्तावित राषि				योजना का आई डी क्र0
		योजना प्रावधान	वास्तविक व्यय	योजना प्रावधान	मह अप्रेल 05से जून 05तक का वास्तविक व्यय	कुल राषि	सामान्य मद	आदिवासी उप योजना	विशेष घटक योजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	खेल प्रषिक्षण षिविर	00.09	00.09	00.20	00.20	00.50	00	00.50	00	77
2	खेलसामग्री का क्रय (जिला खेल प्रषिक्षणहेतु)	00.09	00.09	00.20	00	00.60	00	00.60	00	78
3	खेल संस्थाओ को अनुदान	00.15	00.15	00.12	00	00.50	00	00.50	00	189
4	खिलाडियो को प्रोत्साहन(खेल वृत्ति)	00.15	00.15	00.20	00	00.40	00	00.40	00	191
5	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	00.08	00.08	00.13	00	00.50	00	00.50	00	192
6	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	00.05	00.05	00.13	00	00.50	00	00.50	00	193
7	साहसिक अभियान कार्यक्रम	00.03	00.03	00.05	00	00.50	00	00.50	00	194
8	युवा संधि अनुदान (युवा उत्सव)	00.06	00.06	00.15	00	00.50	00	00.50	00	195
9	मुलभूत सुविधाओ के विकास, सुधार,स्टेडियम निर्माण हेतु अनुदान	04.00	04.00	01.50	00	06.00	00	06.00	00	196
	;kx	04-70	04-70	02-67	00-20	10-00	00	10-00	00	00

Citizen's Rights

- **Article 21** of the Constitution provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Every person has the right to live with human dignity which include guarantee against torture and assault.
- **Article 20(3)** of the Indian Constitution gives the individual protection against self incrimination
- Right to be informed of the grounds of arrest (Section 50, Section 55 and Section 75 of the Cr.P.C. & Supreme Court Judgement in Writ Petition (Crl) No. 539 of 1986 D.K. Basu Vs State of West Bengal)
- Right not to be subjected to unnecessary restraint (Section 49 of Cr.P.C.)
- Right against arbitrary or illegal detention in custody (Section 56, Section 57 and Section 76 of Cr.P.C.)
- Right to be released on bail if arrested (Section 436, Section 43, Section 50(2) and Section 167 of Cr.P.C.)
- Right to obtain receipt when property is seized (Section 100(6) and Section(7) of the Cr.P.C.)
- Right not to be detained for more than 24 hrs after arrest without judicial scrutiny (Section 57 of Cr.P.C.)
- Right to medical examination at his behest to disprove the commission of an offence by him or to establish commission of an offence against his body by others (Section 54 of the Cr.P.C.)
- Right to a fair and speedy investigation (Section 309 CRPC).
- Right to legal aid at the expense of the State in certain cases (Section 304 of the Code)
- Any person when arrested has the right to inform his friend/relative of his arrest or detention (Supreme Court Judgement in Writ Petition (Crl) No.539 of 1986 D.K. Basu Vs State of West Bengal)
- Any person arrested/detained without reasonable grounds has the right to take shelter of the Court U/S 220 IPC
- Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence (Section 96 of IPC).

Rights of a Person Arrested

Constitutional Rights

Special Rights for Women and Children

The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should wear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register.

- That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest and such memo shall be attested by at least one witness, who may either be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be countersigned by the arrestee and shall contain the time and date of arrest
- A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation centre or other lock-up, shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed, as soon as practicable, that he has been arrested and is being detained at the particular place, unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative of the arrestee
- The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the Legal Aid Organisation in the District and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest
- The person arrested must be made aware of this right to have some one informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detention
- An entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person which shall also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest and the names and particulars of the police officials in whose custody the arrestee is
- The arrestee should, where he so requests, be also examined at the time of his arrest and major and minor injuries, if any present on his/her body, must be recorded at that time. The “Inspection Memo” must be singed both by the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee
- The arrestee should be subjected to medical examination by a trained doctor every 48 hours during his detention in custody by a doctor on the panel of approved doctors appointed by Director, Health Services of the State or Union Territory concerned. Director, Health Services should prepare such a panel for all tehsils and districts as well
- Copies of all the documents including the memo of arrest, referred to above, should be sent to Illaqa Magistrate for his record
- The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogation, though not throughout the interrogation
- A police control room should be provided at all district and State headquarters, where information regarding the arrest and the place of custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing the arrest, within 12 hours of effecting the arrest and at the police control room it should be displayed on a conspicuous notice board.

Community Policing

Definition

Community Policing is understood as Policing with the help of Community.
Community Policing is a collaborative effort between Police and Community to identify problems of crime, disorder and involves all elements of the community in the search for solutions to these problems. This concept brings the police and community into a closer working relationship and calls for greater responsibility on citizens.
We all are aware that Policing includes the following:

- Maintenance of order and peace,
- Security, safety of the people and property.
- Ensure effective enforcement of law.
- Detection of crimes
- Orderly flow of traffic in urban areas and in highways and lot more.

Thus discussing the objective of Police in relevance to community reveals to concept of community policing which ideally is:

- Policing, as far as possible and practicable, by the community itself which means that any or all the functions mentioned above may be performed by the community to the extent they can and the remaining functions to be performed by the police with the assistance and involvement of the community to the maximum extent possible.
- The concept of Community Policing started from village Kotwal. Where a person from the community performs the functions of the police in the village. Gradually and unfortunately the concept of Village Kotwal had been undergoing changes where its community character seems to be dwindling. Home-guards were another form of community policing. Even this has now become more a part of police force than of the community.
- Civil defense / emergency relief plan developed primarily on involvements and participation of the people in performing the safety, security, relief, and crisis management functions of the police during emergency. But now the idea needs a broader vision, more and regular involvement of Citizens and Police itself.

Few examples of Community Policing are :

- Informal arrangements of night watchman, patrolling an area and obtaining remuneration from the house-holds of the area, is another form of community policing at the initiative of the watch-man but with the willing acceptance of the neighborhood.
- Security arrangements in housing complexes and housing societies, security arrangements in factories and large establishments are another form of community policing.
- Institutions like Peace committees activated during period when there is serious apprehension / threat of break down of law and order.

- Civil defense plans / emergency relief plans during riots or wide spread break-down of law and order.
- The concepts of rural policing by community (Kotwal),
- Trained people in the community to perform the functions of the police when required (home-guards)
- Identified Sector Wardens, Chief wardens etc (under civil defense / emergency relief plan),
- Special police officers, Honorary Magistrates and involvement of people in trail of offences

Few Schemes for Community Policing are :

- Neighborhood watch scheme.
- Senior citizens' scheme.
- Self defense camp for girls.
- Special police offers for every neighborhood in the in the urban areas.
- Crime stopper scheme aimed to encourage members of the public to play a part in detecting crime by giving information.
- Management by one or close involvement of police in.
    - De-addiction centers for drug addicts and alcoholics.
    - Juvenile aid camps.
    - Orphanage.
    - Shelter homes for run away children.
    - Senior citizen's home.

Thus, citizens can form groups within the society or the area they live or work. Such social group can enroll themselves with the Police and work hand in hand with Police to solve problems, minimize disorders in the society and thus achieve the very objective of Community Policing.

Evolution

The evolution of police in India over the years, has been guided by the compulsions and needs of the dominant ruling class, may it be a Maurya or Gupta king, a Moghul Monarch, the British running a colonial system to achieve their ends of occupation or even, sadly, so, in our present day democratic arrangement. We must well understand that the Police have been the principle medium through which the dominant classes have sought to perpetuate their hold on power and authority by means fair or foul. Thus, making the Police an instrument of oppression and giving it the image of a rough and ready ruler friendly organization rather than that of an agency, which is impartial and neutral and which objectively enforces the rule of law.
Ironically, in our country's post independent history too any move to change the basic framework, which even remotely lead to the lessening of control over the Police has been resisted wholeheartedly by the powers that be. In over half a century of independence many commissions were set up and recommendations received without much having been done to let the Police come out its negative image.

In any free society all organs of governance or private enterprises feel a compelling need to contribute positively to the growth and progress of the country. If this is true than how can those who join the police continued to be identified as a grossly negative force of oppression? All of us have the want and desire to contribute positively.

Even today Police continue to be inextricably enmeshed in and unable to come to terms with contemporary social reality and increasingly becoming alien and painfully irrelevant in the current Indian situation. Can a rapidly changing society swearing by democratic principles afford to live in perpetual conflict with its primary law enforcement agency?

The crying need to move from a negative to positive image is always present in our minds. The society too -- informally - wants this most manifest arms of governance to become more people friendly and compassionate - like the British "Bobby" - may be. Having known the Police only as a repressive corrupt and aggressive agency, the society had to be the first got involved in the processes, which the Police executed. It was also felt that such efforts would essentially and actively have to come from the Police itself.

This was the guiding force for us in Madhya Pradesh to launch ourselves into the entire gamut of Police - Community relations. Though informally efforts in this direction had been made at different levels earlier but a concerted deliberate and formal effort was launched in 1995 at Indore. These initiatives were also emulated by other districts and are getting accepted as an effective mode of improving Police - Community Relations.

Initiatives and History

Initiatives in Past

The concept of village Defense Society involving people in Community policing was first introduced in 1956 in M.P. in the docity infested area with the express purpose of enlisting the corporation of the villages in the fight against the dreaded dacoits. At the out set such defense societies were first established in Gwalior, Bhind and Morena districts. Subsequently this was extended to Shivpuri, Datia, Guna, Rewa, and Sagar districts as well.

Madhya Pradesh Government, appointed one Chief Organizer, 17 Tehsil Organizer, along with supporting staff for the purpose. These societies creative work proved very useful to the Police Department over the year. In the 90s the government was again seized of the matter and as a result the "Madhya Pradesh Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Vidheyak 1999" was enacted in the legislature. It sought to establish the village defense societies as well as the City defense societies in the establish the village defense societies as well as the City defense societies in the remaining parts of the State also.
Superintendent of Police of the districts are primarily responsible for the constitution and smooth functioning of these Gram Raksha and Nagar Raksha Samities.The task of constituting these societies got a major fill following the passage of the Bill. The number of such societies spread over the 41 districts of the State and the total number of members of society is as follows:

S. No.	Society	No. of Societies	No. of Members
1	Village Defence Society	33,804	3,17,140
2	City Defence Society	3, 896	46,014
	Total	**37,770**	**3,63,154**
			Click here for Range wise Details

These societies have the primary responsibility in their respective villages of protection of people and their property as well as maintenance of peace and harmony. Since the villagers who become the members of the societies are ignorant of their duties as well as the methods they are supposed to employ in carrying out these duties, efforts are a foot to organize training camps for them. Proposals have been sent to the Government for allocation of funds to meet the requirement of such training camps. A six day training schedule is considered useful which will entail an expenditure of nearly of Rs. 30 crores. To begin with the Naxalite infested districts of Balaghat, Mandla and Dindori have been earmarked for such training at an estimated cost of Rs. 1.2 crores in the first phase.
The State Government is also considering a proposal to arm the members of the societies so as to enable the members to discharge their duties in a determined manner. The members would be entitled to use weapons as long as their membership lasts. In the meantime the district police authorities have been advised to help the eligible and willing members obtain valid arms licences.
Efforts are being made to form such Gram Raksha Samities in every village of the state and impart training to the members. Meetings at various level are also being organized to sensitize the members towards the role they are expected to play in maintenance of Law and Order in their respective juridiction.
For six days training camp the following statistics and expenses are proposed for members of the committee::

S. No.	Training Days	Expenses per head per day	Total no. of members	Total Expenses
1	1	Rs. 150 /-	3, 23, 145	4, 84, 71, 750.00
2	6	Rs. 150 /-	3, 23, 145	29, 08, 30, 500.00

In accordance of 6 days training, for a total of 10803 members in Balaghat, Mandla and Dindori District a training proposal is designed, which costs around 1, 01, 48, 600 /-, and is under consideration in Police Department.

To avail the weapons for the members of committee an amendment in the Vidheyak is required, although they can keep weapons with them during the period of their membership. Proposal is also made to purchase weapons by members, which are captured by police, if members have a arms act license.

Before passing of "Madhya Pradesh Village and City Community Policing *Vidheyak* 1999", in 1956, the ranked officer, governing officers which are authenticated by Government in Gwalior, Chambal, Sagar and Rewa Districts are proposed to incorporate as a unit in Police Department.

On every police station level, attempts are made to cent-percent establish the Village Protection Committee. Efforts are also made to give a training on police station level to all members. Summits are also organized in districts for activation of the Mission. Expectations are there from the government to pay some money to members and providing them with weapons license and budget allocation for training and make appropriate changes in the *Vidheyak* for this purpose.

Advisory Committee at the District Level

- There will be an advisory committee to assist and advise the Superintendent of Police.
- All important sections of the Society may find representations in the committee.
- Women and deprived communities should have proportionate representation.
- Representation of the 3 tier panchayat and urban bodies in the district may also be included.
- Good voluntary agencies engaged in the areas of assertion of human rights, women development, SC and ST development may also be associated.
- The advisory committee should meet once in a month.
- It may suggest -:
  - Steps for community involvement in police functions.
  - Assist in implementing such suggested measures.
  - Monitor implementations of these measures.
  - Assist in redressal in people's grievances.
  - Review the law and order situation in the district.
  - Review the progress in investigation, detection of crimes and the pace in the prosecution.

Community Policing Schems in M.P.

The initiative undertaken by the Police in Madhya Pradesh are as follows:

Parivar Paramarsh Kendra (Family Counseling Centers)

Launched on 10th October 1995

Aimed at alleviating the suffering of women in the family setup in our society. This effort has positively galvanized the functioning of the Police department hitherto not known to or associated with positive humanitarian endeavor. In Indore 9 centers are working to save the families from disintegrating. These centers are run by the active support and cooperation of volunteers from society, these include social workers, lawyers, medical professional's etc. Out of the 2909 complains received at these centers 2364 have resulted in settlement after counseling, a success rate of 81.26%. In cases where legal aid was required female lawyers associated with this effort provide this aid free.

Nagar Suraksha Samiti (Town Defense Committee)

Launched in January 1996

Originally aimed at creating a group of right thinking citizens without any criminal record or known political affiliations, this effort has acquired dimensions, which were not originally thought of. Apart from assisting the police in doing its normal duties like managing major processions, generating awareness about police working, assisting in management of traffic. These centers have proceeded beyond the original charter and organized social work such as blood donation/grouping/HIV testing, tree plantations, cleanliness drive etc. This has helped in improving Police-Community relations and insured coordination. There is a great enthusiasm amongst the citizens to join the societies.

De-Addiction Camp

Launched in 1995

Although the State Govt. had formally set up a De-addiction Committee in the year 1989.This committee in its real sense started functioning effectively for the last four years, as a part of Police initiatives to organize De-addiction camps. For these camps services of three government doctors and one private practitioner were hired. Each camp was of 45 days duration. Initially Detoxification was done for the first two weeks and thereafter for one month duration the edicts of Brown Sugar were treated through psychological and psychiatrics therapy. Yoga was used as a mode to make these addicts more positive in their mind. The family members, after counseling were requested to behave normally with the patients. These services were rendered free of cost. N.S.S.(National Social Service) volunteers were engaged to follow up the cured addicts. An effort is also being made to provide training and loans where possible, to the cured persons for their rehabilitation. More than 150 persons in Six camps were treated and they are now leading normal life.

Gram Suraksha Samiti (Village Defense Committee)

28875 member are working in a total 3525 Village Defense Committees. Patrolling local law and order maintenance during festivals and various other works of village improvement are being carried out through these members. Apart from the above Police has also carried out work of adult education and literacy expansion through these Committees.

For example, Road construction / repair work in Shajapur District was done through voluntary labor contribution. 320 villages in 16 police stations areas connected with main roads. Work of road leveling, repair of drainage systems and reconstruction of damaged roads was carried out through voluntary labor contribution of Police and village defense committees.

Mobile Police Thana

Launched in October 1996

This is a novel initiative towards providing social justice to villagers. Under this initiative officers of police station camp at a fixed place, date and time.

Officers of revenue and forest department are also requested to be present depending on the need. These meetings are held to dispose off the minor incidents or problems of the village. 353 villages have benefited by this scheme.

Bal Mitra Scheme

Launched in October 1997

Under this scheme, school students of different age group are brought to Police Stations to acquaint them with the working of the Police station and give them the opportunity to interact with Police Officers. This is done with the help of the school administration. Besides the opportunity to exchange views with Policemen, this effort helps allay the fear of about the Police from the minds of these children. Thus their negative views and fears about the Police change favorably.

Community Policing Centers

The first such center was started in the crime prone and sensitive areas of Indore called 'Rustam Ka Baqicha'. Under this scheme police personnel's make contacts with the local residents by door visit and successfully solved the problems of the people. This led to a considerable decrease in the crime about 25% especially on the front of Alcohol and women exploitation and other minor offense. This experiment is based on the famous 'KOBAN" technique of Japan. At present there are 3 months community policing centers working successfully in Indore.

Medical Relief to injured persons

In coordination with the Trauma Management Center of the Health Department the Police started this effort to provide immediate relief to the injured in any accident within the Golden Hour 12 Nursing homes were voluntarily involved keeping in view the suitability of their location. Each nursing home dedicated one ambulance to this effort. Coordination was done through the Police Control Room. The ambulance was fully equipped and also had trained emergency medical technicians including Police on reviewing information about the injured/accident. The ambulance rushes to the spot of accidents, provide first aid to the injured and brings the injured to concerned nursing home.

After being declared out of danger an option is given to the patient to continue treatment at the same nursing home or to leave it and get treated in another hospital of his choice. Action is taken to reach him to the hospital concerned accordingly for further treatment. During this process, no cost for treatment is charged from the patient. But if the patient shows interest to continue his treatment in the same hospital, then the cost of treatment is charged. Over 180 cases have been handled by this effort.

Police help for the Visually impaired

Launched in January 1996

For the over-all developments of visually impaired students, the Police have made available to the school for visually impaired, "Audio Cassettes" which covers all - important topics of the syllabus. The visually impaired students have by and large appreciated this valuable gift from the police.

A "Writers Bank for visually impaired" also called the "Talking Book" was set up. This is the first bank of its type in India, which provides writers for the examinations to the visually impaired students as per regulations prescribed by the controlling body off school/college. 300 visually impaired students are being provided writers for their examinations. For the proper use of the calculator for the visually impaired called ABACUS, the first audiocassette of India is under preparation, which would make the use of ABACUS simpler and more effective.

विवरण– स्वीकृत एवं उपलब्ध बल वाहन शाखा जिला शहडोल

क्रमांक	विवरण	उप निरीक्षक	सहा0 उप निरीक्षक	प्रधान आरक्षक	आरक्षक	योग
1	स्वीकृत बल	01	03	06	18	28
2	उपलब्ध बल	01	03	04	12	20
3	कमी बल	–	–	02	06	08

विवरण– स्वीकृत एवं उपलब्ध वाहन, जिला शहडोल

क्रमांक	विवरण	भारी वाहन	मध्यम वाहन	हल्के वाहन	मोटरसाइकल	योग
1	स्वीकृत वाहन	07	03	18	11	39
2	उपलब्ध वाहन	07	03	18	11	39
3	कमी वाहन	–	–	–	–	–

नोट :– वर्तमान में जिले में मोटर सायकिल को छोडकर 31 वाहन उपलब्ध हैं जबकि चालकों की संख्या 20 है । प्रति वाहन के मान से 11 चालकों की आवश्यकता पडेगी ।

okguk l; lcf/kr tkudkjh ftyk 'kgMky ¼e0i0½

Ø0	okgu Øekd	i:dkj	ekMy	r:ukrh
01	MP 03 / 5422	कार	2002	पुलिस उप महानिरीक्षक शहडोल क्षेत्र
02	MP 03 /2510	कार एम्बेसडर	2000	पुलिस अधीक्षक
03	MP 03 / 3343	मारुती जिप्सी	2001	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल
04	MP 03 / 3346	महेन्द्रा जीप	2001	थाना अमलाई
05	MP 03 / 5737	महेन्द्रा जीप	2003	अनु0अधि0(पु0) धनपुरी
06	MP 03 / 3345	महेन्द्रा जीप	2001	अनु0अधि0(पु0) ब्यौहारी
07	MP 03 / 4237	महेन्द्रा पिकअप	2001	थाना जयसिंहनगर
08	MP 03 / 4239	–''–	2001	थाना बुढ़ार
09	MP 03 / 4240	–''–	2001	थाना ब्यौहारी
10	MP 03 / 5682	–''–	2003	थाना कोतवाली शहडोल
11	MP 03 / 5314	–''–	2002	एफएसएल शहडोल
12	MP 03 / 5497	–''–	2003	उप पुलिस अधीक्षक अजाक शहडोल
13	MP 03 / 3632	आयसर जेल वाहन	2001	थाना ब्यौहारी
14	MP 03 / 4955	जीप	2002	विशेष शाखा शहडोल
15	MP 03 / 6048	टोयोटा क्वालिस	2004	पुलिस कन्ट्रोल रुम शहडोल (हाईवेपेट्रोलिंग)
16	MP 03 / 4485	स्वराज माजदा (बज्र वाहन)	2002	रक्षित केन्द्र शहडोल
17	MP 03 / 3251	आयसर मिनि बस	2001	–''–
18	MP 03 / 3634	आयसर जेल वाहन	2001	–''–
19	MP 03 / 4632	टाटा ट्रक, 1109	2001	–''–
20	MP 03 / 5271	टाटा टैंकर, 1109	2002	–''–
21	MP 03 / 6211	महेन्द्रा मार्षल	2004	उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
22	MP 03 / 4294	बजाज केलीवर मोटर सायकिल	2002	थाना यातायात शहडोल
23	MP 03 / 4295	–''–	2002	थाना कोतवाली शहडोल
24	MP 03 / 4296	–''–	2002	उप पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय डीआर
25	MP 03 / 4297	–''–	2002	–''–
26	MP 03 / 4298	–''–	2002	जिला विषेष शाखा शहडोल
27	MP 03 / 4299	–'''–	2002	थाना कोतवाली शहडोल
28	MP 03 / 5137	टी0व्ही0एस0 मोटर सायकिल	2002	थाना जैतपुर
29	MP 03 / 5180	हीरो होण्डा स्पेण्डर	2002	विशेष शाखा शहडोल
30	MP 03 / 6284	टी0व्ही0एस0 फियरो मो.सा.	2004	थाना कोतवाली
31	MP 03 / 6285	टी0व्ही0एस0 फियरो मो.सा.	2004	थाना कोतवाली शहडोल
32				
33	MP 03 /1554	टाटा 407	1996	कोतवाली
34	MP 03 /1364	टाटा 407	1996	कोतवाली
35	MP 03 /1744	महिन्द्रा जीप	1997	थाना अजाक
36	MP 03 /1837	––''––	1998	थाना जैसिंहनगर
37	MP 03 /2000	टाटा 207	1998	रक्षित केन्द्र
38	MP 03 /1384	स्वराज जेल वाहन	1996	रक्षित केन्द्र
39	MP 03 /6521	टाटा वाटर टैंकर	2004	रक्षित केन्द्र
	MP 03 /1923	हीरो होण्डा मो.सा.	1998	डी.आर. डियूटी

turk }kjk ifyl dk nh tkus okyh lpuk dk ifyl oc lkbV dk Qke
ifjf'k"V&5

Information to Police

Choose the type of information you want to give:

General Information

District — Select from List

City — Select from List | Select from List

Date of occurance — - | - | -

Time of occurance (optional) — - | - | AM

Subject *

Message *

Informer's Information:

First Name

Last Name

E-mail id

Contact No.

Address

Cancel